खण्ड-380, अंक-3
मंगलवार, 2 आषाढ़, शक संवत् 1909
(23 जून, 1987 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1987)

खण्ड 380 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 25 पैसे , उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 31 पैसे, महसूल सहित १० रुपये |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १२ रुपये, महसूल सहित Mudrak City is Not Mentio

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 23 जून, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	वीरेन्द्र सोन, श्री	आगरा
चारु शीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	शिरोमणि भाई, श्री	बांदा
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	सखावत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	सुरेश चन्द्र, श्री	नैनीताल
बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद	हरदेव, श्री	बलिया
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
मोहम्मद अबरार अहमद, इंजीनियर	बदायूं	हीरा सिंह बिष्ट, श्री	देहरादून
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी		

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 23 जून, 1987

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों हेतु गठित वेतन समिति की रिपोर्ट में विलम्ब

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य कर्मचारियों के विगत राजव्यापी आन्दोलन के बाद गठित वेतन समिति की रिपोर्ट शासन को कब तक प्राप्त हो जाना चाहिए थी? क्या रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं? यदि नहीं प्राप्त हुई तो कब तक प्राप्त हो जायेगी?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

समिति के गठन की तिथि से छः माह के अन्दर।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आशा की जाती है कि समिति अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र शासन को प्रस्तुत कर देगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिस समय सन् 86 में राज्य कर्मचारियों और माध्यमिक शिक्षकों का एक सामूहिक आन्दोलन हुआ था और उसकी वापसी के समय उनके साथ शासन का जो समझौता हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि 6 महीने में वेतन समिति की रिपोर्ट आ जाएगी और वह समय 29 मई, 87 को पूरा होता है और रिपोर्ट अभी नहीं आयी है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उक्त कमेटी ने शासन को लिखकर समय बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ इस तरह की अनुमति चाही है कि हमारा कार्यकाल बढ़ा दिया जाए? यदि नहीं, तो क्या सरकार बताएगी कि रिपोर्ट कब तक उसे प्राप्त हो जाएगी?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जहां तक कमेटी के द्वारा लिखित रूप से समय की अनुमति मांगने या अन्य कोई ऐसी बात है, इस तरह की कोई बात हमें प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि उनको कहा गया था कि वह कोशिश करें कि 6 माह में रिपोर्ट दे दें। लेकिन जैसा माननीय सदस्य परिचित हैं 3 जनवरी, 1987 को यह एक समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष श्री भट्टाचार्य जी थे, किन्तु वह अस्वस्थ हो जाने के कारण कार्यभार नहीं सम्भाल सके और उनकी असमर्थता के बाद 25 फरवरी, 87 को श्री माहेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में इस समिति ने अपना कार्य करना प्रारम्भ किया। तो आप देखें कि इस प्रकार हमारे सामने एक व्यवहारिक कारण था कि समिति अपने समय में अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकी और इसके लिए जैसा कि कल

अपने बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी ने कहा था और रिपोर्ट में भी कहा था कुछ कारण ऐसे बन गये थे जिसमें ऐसा लग रहा था कि अब समय पर यह रिपोर्ट नहीं आ पाएगी, इसीलिए कल 10 प्रतिशत की अन्तरिम सहायता और घोषित की गई है। 29 मई की जो बात है यानी समझौते के बाद समझौते के अनुसार 6 माह जिस दिन पूरे होते हैं, यह जो कल अन्तरिम सहायता दी गई है, यह पहली जून से दी गई है, जो तत्काल उसके बाद तारीख पड़ती है। उसको इसीलिए कर दिया गया कि उनको राहत मिल जाए और समिति की रिपोर्ट जिसकी 15-15 मीटिंगें प्रतिदिन विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ हो रही हैं, उसकी मंशा यही है कि जल्दी से जल्दी वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जो विलम्ब हुआ है उसको मद्देनजर रखकर ही अन्तरिम राहत दी गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जैसा कि मंत्री जी ने यह बताया है कि रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन अन्तरिम राहत दे दी गई है, लेकिन कर्मचारी नेताओं के साथ शासन के लिखित समझौते के अनुसार कर्मचारी का न्यूनतम वेतन रु0 750 होना चाहिए था, जिससे कि केन्द्र के साथ पैरिटी हो जाए, फिर केन्द्र ने उसके बाद पुनः बढ़ाया है और आपने जो दिया है पहले 15 प्रतिशत दिया और अब 10 परसेंट 60 से 225 के बीच दिया है, तो इस सबको मिलाकर भी कर्मचारी की 750 रुपया की न्यूनतम मांग पूरी नहीं होती है, वह अब भी कम है, तो मैं यह शासन से जानना चाहता हूं कि क्या वह इसको देखते हुए तत्काल घोषणा करेंगे कि रु0 750 तक पहुंचने में अब भी जो अंश बाकी रह गया है, उसको तत्काल से दिया जायगा।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, अगर शब्दों को देखें तो इसमें स्पष्टतः कहा गया है कि वेतन समिति 750 रु0 मिनिमम करने की यथा संगत स्थिति को देखते हुए उसी के हिसाब से रिकमेंड करेगी। जो यह कहा गया कि 10 परसेंट देने से भी अभी 750 रुपये से कम पड़ता है तो मान्यवर, ऐसी स्थिति नहीं है। आप देखें मूल वेतन 305 रुपये हैं। इसमें जो दिनांक 1-1-86 को महंगाई भत्ता है वह 256 रुपये 20 पैसे होता है। 8 परसेंट की दर से और दिया गया था जो 45 रुपये होता है। इसी तरह से अन्तरिम राहत 15 परसेंट घोषित की गयी जो 80 रुपये मिनिमम की गयी है। इसके बाद वर्तमान में कल जो घोषित किया गया है उसको देखा जाय तो यह 60 रुपये हो गयी, तो इन सबको अगर जोड़ लिया जाय तो 740.20 रुपये हो जाता है। सी0 सी0 ए0 इसमें शामिल नहीं है। अगर सी0सी0ए0 को शामिल कर लिया जाय जो 15 रुपये होते हैं तो यह कुल मिलाकर 761.20 रुपये होती है। तो जिस राहत की बात माननीय सदस्य राज्य कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं तो वह इससे पूरी हो रही है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि शासन ने राज्य कर्मचारियों की यह मांग कि उनके वेतन आदि केन्द्र के समान हों, को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है या नहीं? क्या इसको लागू करने के उपायों पर विचार कर रहे हैं या इस मांग के औचित्य या अनौचित्य पर विचार कर रहे हैं?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, औचित्य या अनौचित्य पर विचार नहीं कर रहे हैं। समिति को निर्देश दिया गया है कि अपने रिसोर्सेज को देखते हुए और 750 मिनिमन की मांग को देखते हुए, सिफारिश करे।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि समिति ने रिपोर्ट समय से नहीं दी है और समिति ने समय बढ़ाने के लिए अनुरोध भी नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि समिति का प्रतिवेदन माननीय मंत्री जी को कब तक प्राप्त हो जायगा?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा, शायद माननीय सदस्य उस समय बातचीत कर रहे थे। मैंने कहा कि यदि माननीय राजेन्द्र गुप्त जी की डेड लाइन को मान लिया जाय, समझौते की तारीख को मान लिया जाय तो 29 मई होती है। लेकिन जिस दिन शासकीय संकल्प हुआ, 3 जनवरी, 1987 को अगर उसको माना जाय तो जुलाई में 6 महीने पूरे होते हैं। मान्यवर, अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब तक समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं देती है तब तक क्या सरकार बढ़ती हुयी महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों को कोई राहत किश्त देने पर विचार कर रही है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, अभी 10 परसेंट की अंतरिम सहायता दी गयी है। जो राज्य कर्मचारियों की मांग थी और जैसा अभी मैंने डिटेल में बताया, राज्य कर्मचारियों की जो मांग थी, वह लगभग इससे फुलफिल हो गयी है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 761 रुपये इस समय मिनिमम वेजेज दे रहे हैं जो 750 रुपये से 11 रुपये ज्यादा होते हैं। आपने समिति से कहा है कि संसाधनों को देखते हुए वह तय करें कि मिनिमम वेजेज केन्द्र के बराबर देने हैं या नहीं। संसाधन नहीं हैं, कल समिति यह रिपोर्ट दे दें तो क्या ऐसी स्थिति में जो ज्यादा दिया गया है उसको वापस लेंगे या राहत देंगे। उस समय यदि यह विरोधाभास पैदा होगा तो आपकी क्या स्थिति होगी इसको स्पष्ट कर दें?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि आपने प्रश्न किया है। इसमें मुझे लगता है कि वह स्वयं कन्फ्यूज हैं। क्योंकि समिति जिस दिन गठित की गयी थी तो उसकी जो शर्तें दी गयी थीं वह मैंने आपको बताईं। अंतरिम राहत की मांग घोषित की उसमें बहुत स्लैब आ रहे हैं वह मैंने बताईं। इसमें कहीं भी यह बात नहीं प्रतीत होती कि उसको वापस लिया जायेगा। लेकिन जिस दिन रिपोर्ट आती है, जो व्यवहार में है मैं उसकी

बात कर रहा हूं, जो भी मिनिमम घोषित किया जाता है उसके ऊपर उस दिन से जो और डी0 ए0 वगैरह होता है उसकी किश्त वगैरह लगाकर ही घोषित होता है। हर प्रदेश में देख लीजिए। मान्यवर, ऐसा कुछ नहीं है कि उससे कम होगा तो वापस लिया जायेगा। जो दिया गया है वह दिया गया है। जो समिति की रिपोर्ट आयेगी वह आयेगी उसको वापस करने की व्यवस्था नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 750 से कम रिपोर्ट आती है तो आप क्या करेंगें ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैंने कह दिया है कि उसको वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि 6 महीने की शर्त थी और वह 6 महीने की शर्त 29 मई को पूरी होनी थी किन्तु जिसका 3 जनवरी से नोटिफिकेशन हो सका, यह तो शासन की गलती हुई। इसी वजह से कर्मचारियों में आन्दोलन है, लखनऊ में बहुत बड़ा आन्दोलन था जिसमें इसके नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सम्बोधित करने वाले थे। मान्यवर, जो यह विलम्ब हो गया इसके लिए शासन ने कोई फैसला किया ? कमेटी की रिपोर्ट किस तिथि को आ जानी चाहिए थी ? मान्यवर, दूसरी मैं यह जानकारी चाहता हूं कि शासन ने सिद्धान्ततः अगर यह बात स्वीकार किया है कि राज्य कर्मचारियों के वेतन और केन्द्र कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन समान होंगें तो यह सही है कि 750 के बाद केन्द्र सरकार ने एक अंतरिम राहत और मंहगाई भत्ते की किस्त और दी है तो क्या राज्य सरकार उसी के समान पूर्ति करेगी ? मान्यवर, विश्वविद्यालय यू0 जी0 सी0 ने अध्यापकों का एक वेतनमान घोषित कर दिया जिसकी वजह से स्लैब में एक अन्तर बढ़ गया है। इसको ध्यान में रखते हुए कमेटी को कोई नया निर्देश देने की कृपा करेगें ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, कमेटी अपने स्वयं विवेक से सारे निर्णय लेने के लिए सक्षम है। यह सारे संदर्भ संदर्भित है, वह इस पर निर्णय ले सकती है उसकी रिपोर्ट आने पर बाकी चीजों पर विचार किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार

**2–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के वकीलों के लिए प्राविडेण्ट फण्ड बनाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी और उसे कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1974 से "उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974" लागू है। इस अधिनियम में संशोधन करने के प्रश्न पर शासन विचार कर रहा है। अन्य प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह जो हमारा सवाल है यह प्रदेश के 80 हजार अधिवक्ताओं के संदर्भ में है । प्रदेश के 80 हजार अधिवक्ता अपने भविष्य के बारे में चिन्तित हैं जब कि इनको किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है । माननीय न्याय मंत्री स्वयं वकील हैं, राम सकल तिवारी जी बैठे हैं वह भी वकील हैं। मान्यवर, विधान परिषद् में 5 मार्च को माननीय न्याय मंत्री ने यह जबाब दिया था कि अधिवक्ताओं के प्रावीडेण्ट फण्ड के लिए सरकार शीघ्र ही विधेयक लाने वाली है । मान्यवर, मेरा सवाल साफ तौर पर यह था कि क्या प्रावीडेन्ट फण्ड बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है, इस सवाल का जबाब माननीय मंत्री जे ने नहीं दिया है । बल्कि घुमाकर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1974 से "उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974" लागू है । इस अधिनियम में संशोधन करने के प्रश्न पर शासन विचार कर रहा है । मान्यवर, मैं 74 का एक्ट लाया हूं जिसमें पी0एफ0 का कोई प्राविधान नहीं है। इस अधिनियम में किस प्रकार का संशोधन लाने का सरकार का प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव क्या है? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बार कौंसिल उ0 प्र0 ने पी0 एफ0 बनाने के संदर्भ में एक ऐसा प्रस्ताव भेजा है जिसमें उसने यह कहा है कि 125 रुपया प्रति वर्ष वकीलों के नाम पर टिकट लेकर जिनकी 15 वर्ष से प्रैक्टिस कम है और ज्यादा से 250 रुपया प्रति-वर्ष काटा जायेगा और शेष धनराशि सरकार द्वारा दी जायगी । क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, प्रावीडेंट फण्ड के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही इस तरह की कोई बात विधान परिषद् में कही गयी है । तीसरी बात जो आपने कही कि इस अधिनियम में संशोधन करने के क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । मान्यवर, प्रस्ताव तो विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। वैसे यह अवश्य सोचा जा रहा है कि हम वकीलों की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम का वर्णन किया गया है । वकीलों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता पहले से ही हम दे रहे हैं, जैसे कि कोई वकील गरीब है, प्रैक्टिस उसकी नहीं चल रही है और किसी को कोई बड़ा रोग कैंसर आदि हो गया है, तो उसकी बीमारी में उसको आर्थिक सहायता कर दी जाती है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस पूरे प्रश्न को टालना चाहते हैं। मैंने बहुत साफ प्रश्न किया है कि क्या बार कौंसिल, उत्तर प्रदेश द्वारा जूनियर एडवोकेट्स के द्वारा प्रति वर्ष 125 रु0 के वकालतनामें पर टिकट लगा कर तथा 15 वर्ष से ऊपर प्रैक्टिस वाले वकीलों को 250 रु0 के टिकट लगा कर जमा करने पर सरकार द्वारा क्रमशः 350 रु0 और 250 रु0 की धनराशि अनुदान के रूप में देकर प्रावीडेंट फण्ड की व्यवस्था की जायगी? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया? इस तरह का कोई प्रस्ताव बार कौंसिल ने आपके पास भेजा है? यदि भेजा है, तो उसे कब तक लागू कर देंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, बार कौंसिल ने इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा है । इस पर विचार करने की जहां तक बात है, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से प्रदेश के पूरे के पूरे वकीलों का अपमान हुआ है । अगर किसी वकील की प्रैक्टिस नहीं चलती है, तो सरकार उसकी वकालत चलायेगी ? यह सम्भव नहीं है । मैं सरकार से पूछता हूं कि अभी तक पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में सरकार ने कितने ऐसे वकीलों को आर्थिक सहायता दी है, जिनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही थी ? दो-तीन-चार-पांच कितने ऐसे वकीलों को सरकार ने आर्थिक सहायता दी है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि हर एक वकीलों को ऐसी आर्थिक सहायता दी जाती है, बल्कि कुछ ऐसे वकील जिनकी वकालत नहीं चलती है, या कोई वकील बीमार पड़ गया है, उसको आर्थिक सहायता दी जाती है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, कितने ऐसे वकीलों को आर्थिक सहायता दी गयी है ? एक भी वकील को ऐसी कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है ।

डा0 दिनेश जोहरी–

वर्ष 1986-87 में इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने वकीलों को आर्थिक सहायता दी गयी है और किस-किस वकील को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गयी है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है कि किसको- किसको कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गयी है । यह तो मान्यवर प्रश्न से संबंधित भी नहीं है ।

डा0 दिनेश जोहरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह प्राविडेन्ट फन्ड योजना जिस तरह से केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में लागू है क्या उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी लागू करने पर विचार करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसको देख लेंगे।

श्री मोहम्मद असलम खां–

मान्यवर, अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि जो वकील ऐसे हैं जिनका काम नहीं चल रहा है या जिनको पैसा नहीं मिल रहा है या जो काम नहीं करना चाहते हैं तो क्या ऐसे तमाम वकीलों को सरकार पैसा देना चाहेगी?

श्री बृह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दो उत्तर दिये और उनके दोनों उत्तरों में विरोधाभास है। माननीय मंत्री जी ने पहले उत्तर दिया कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि, 1974 का जो बिल है उसके सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं और दुबारा उत्तर दिया कि प्राविडेन्ट फन्ड के बारे में कोई विचार नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी क्या संशोधन करना चाहते हैं? उसे स्पष्ट कर दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, दोनों बातें अलग-अलग हैं। इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। प्राविडेन्ट फन्ड के बारे में स्पेसिफिकली कहा कि शासन के सामने कोई विचार नहीं है। दूसरा जो कहा अधिवक्ता कल्याण निधि, 1974 के बारे में, इसमें कहा कि विचार कर रहे हैं। इसमें सोचा जा रहा है कि कुछ ऐसे संशोधन लाये जांय जिससे कि हम अपने वकीलों की कुछ सहायता कर सकें।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है सहायता के बारे में तो मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितने वकीलों को सहायता किस-किस प्रकार की और किस आधार पर दी गई है? क्या उसके लिए कोई आधार निर्धारित किया गया है या बगैर आधार के सहायता दिया है? दलगत राजनीति के आधार पर सहायता दिया है या कोई सिद्धान्त निर्धारित करके सहायता दिया है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। माननीय सदस्य तो काफी पुराने सदस्य हैं और जानते हैं कि दलगत राजनीति के आधार पर कोई नियम नहीं बनते हैं। मान्यवर, इसके कुछ नियम हैं जिसके आधार पर यह सहायता दी जाती है जैसे 60 वर्ष तक की आयु तक के अधिवक्ताओं को 15,000 रु0 बीमा की सहायता दी जाती है तथा जो अपंग हैं या बहुत बीमार हैं उन्हें 150 रु0 प्रति माह की आर्थिक सहायता देने का नियम है। मान्यवर, इसी प्रकार के नियम बने हैं और उन नियमों के आधार पर ही आर्थिक सहायता दी जाती है। यह कोई भी किसी प्रकार की दलगत राजनीति के आधार पर सहायता नहीं दी जाती है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

25 अगस्त, 1986 को प्रदेश के 70 हजार अधिवक्ताओं ने प्राविडेन्ट फण्ड दिवस मनाया और कचहरियों का बहिष्कार किया और 26 अगस्त, 1987 को उत्तर प्रदेश बार कौन्सिल के अध्यक्ष श्री ज्ञान चन्द्र द्विवेदी एम0 एल0 सी0 के साथ 10 अन्य कांग्रेस के विधान परिषद् के माननीय सदस्यों सर्वश्री जगेन्द्र स्वरूप, धनीराम सिंह नेगी, हर प्रसाद तिवारी, फूल चन्द्र, नागेन्द्र नाथ सिंह, कलराज मिश्र, नित्यानन्द स्वामी आदि ने सचिवालय अनेक्सी में माननीय मुख्य मंत्री, श्री बीर बहादुर सिंह से भेंट की और उनको अपना ज्ञापन दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधि सचिव को बुलाकर अधिवक्ताओं के लिए प्राविडेन्ट फण्ड का कानून बनाने का निर्देश दिया तो क्या माननीय मंत्री जी को इस संबंध में कुछ बतायेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने क्या निर्देश इस संबंध में दिए थे? और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी?

श्री सुरेन्द्र सिंह चाहान–

जी हां, मान्यवर विधान परिषद् के माननीय सदस्यों का एक डेलीगेशन माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलने के लिए गया था, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि इस तरह कुछ निर्देश नहीं हुए थे कि इस तरह का कोई प्राविडेन्ट फण्ड होना चाहिए, केवल इस सिलसिले में मा0 मुख्य मंत्री जी से बात-चीत हुयी, विचार-विमर्श हुआ, इनकी बातों को मा0 मुख्य मंत्री जी ने ध्यान पूर्वक सुना परन्तु किसी प्रकार का कोई विचार इस संबंध में अभी तक तो हुआ नहीं।

मंगलवार दिनांक 23 जून, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न

*1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

*2–श्री जयदीप सिंह बरार–

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश के आठों पर्वतीय जनपदों को अलग प्रान्त बनाये जाने की मांग

*3–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के आठों पर्वतीय जनपदों (उत्तराखण्ड) को अलग प्रान्त बनाये जाने के समर्थन में उत्तराखंड क्रांति दल के तत्वावधान में कुमायूं मंडल मुख्यालय नैनीताल में 10 नवम्बर, 1986 को तथा गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में 9 मार्च, 87 को हजारों पर्वतीय जनता ने बृहद् प्रदर्शन किया था? यदि हां, तो राज्य सरकार ने वहां की व्यापक जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार को इस हेतु अपनी संस्तुति प्रेषित की है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, बड़े आश्चर्य की बात है। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि अभी सूचना एकत्र की जा रही है जबकि मैंने 13-4-87 को प्रश्न दिया था और दो बातें स्पष्ट रूप से जानना चाहीं थीं कि क्या कुमायूं मण्डल मुख्यालय नैनीताल में 10 नवम्बर, 86 में तथा गढ़वाल मण्डल पौड़ी में 9 मार्च, 1987 को कोई प्रदर्शन हुए थे? मान्यवर, इसकी जानकारी इस सरकार के पास नहीं है, इतने महीने बीत जाने के बाद भी और फिर यह प्रदर्शन कोई छिपने वाली चीजें नहीं हैं और मान्यवर मेरे प्रश्न का जो दूसरा भाग था कि व्यापक जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या इस सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई संस्तुति भेजी है अथवा नहीं? मान्यवर, मैं फिर अपनी इसी बात को दोहराता हूं कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी छोटी सी सूचना आपके पास नहीं आई तो क्या आपके यहां जितने भी प्रदर्शन होते हैं उसकी सूचना आपके यहां नहीं आती है? इस पर मान्यवर, मैं अपना खेद व्यक्त करता हूं और यह जानना चाहता हूं कि यह सूचना न आने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही आप करेंगे?

श्री राम नरेश शुक्ल–

प्रश्न के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है क्योंकि प्रश्न आपका व्यापक है, इसलिए जब इस संबंध में पूरी सूचना आ जायेगी तो आपको सूचित कर दिया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न है उत्तराखण्ड के आठों जनपदों का अलग प्रान्त बनाये जाने के संबंध में और इस सिलसिले में कई जगहों पर पौड़ी, देहरादून व नैनीताल आदि स्थानों पर बराबर प्रदर्शन भी हो रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में अब तक कोई नीति अपनाई है और अगर अपनाई है तो क्या उसे कृपाकर बताने का कष्ट करेंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में। यह जो प्रश्न है इसके दो भाग हैं एक सूचना से संबंधित है दूसरा नियुक्ति से संबंधित है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मा0 सदस्य श्री एरी द्वारा पूंछी गयी सूचना इकट्ठा करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गयी, क्या-क्या कदम उठाये गये। दूसरा जो नीतिगत विषय है क्या इस संबंध में मंत्रिमण्डल में विचार हो रहा है? विचार विमर्श किया या नहीं?

श्री राम नरेश शुक्ल–

सूचना जिलाधिकारियों से मंगायी जाती है। जहां तक नीति का संबंध है शासन की नीति उत्तर प्रदेश के खण्डन करने की नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उत्तराखण्ड बने या न बने इस मांग पर सहमत की बात अलग है, इस गम्भीर सवाल पर भी सरकार ने कितने हल्के ढंग से उत्तर दे दिया। मैं शासन से जानना चाहूंगा कि जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन हुआ यह बात तय है, पुलिस डिपार्टमेंट ने उसकी शासन को रिपोर्ट दी, शासन ने क्या उस पर कोई कार्यवाही की?

श्री राम नरेश शुक्ल–

जो जरूरी समझा जायेगा वह कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, संरक्षण दें। मैंने जानना चाहा था कि कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ये जानना चाहूंगा कि यह जो दो प्रश्न हुए इन दोनों प्रश्नों के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को क्या मांग-पत्र प्रस्तुत किये गये और उन मांग पत्रों की सूचना वहां से भेजी गयी या नहीं भेजी गई? यदि सूचना आ गयी तो क्या आपके कार्यालय में विचाराधीन पड़ी है? इस संबंध में माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें?

श्री राम नरेश शुक्ल–

इन्हीं सब बातों के संबंध में तो सूचना इकट्ठा की जा रही है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

बार-बार माननीय मंत्री जी से यह भी प्रश्न हुआ । प्रदर्शन नैनीताल पौड़ी में हुए। प्रदर्शन की सूचना माननीय मंत्री जी को नहीं है। प्रदर्शन में ज्ञापन दिये गये, ज्ञापन के संबंध में उन्हें सूचना नहीं मिली। माननीय मंत्री जी से पूछा गया क्या सूचना को प्राप्त करने में अपनी तरफ से कोई कदम उठाया गया। मा0 मंत्री जी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की दशा में नहीं है। मान्यवर, क्या इस प्रश्न को स्थगित करेंगे? माननीय मंत्री जी चाहेंगे स्पष्ट सूचना प्राप्त करना। क्या इस संबंध में कोई ऐसे निर्देश देने की कृपा करेंगे कि मंत्री जी को बार-बार न कहना पड़े कि सूचना इकट्ठा की जा रही है?

श्री काशी सिंह ऐरी–

यह जो मांग है उत्तराखण्ड को अलग राज्य बनाये जाने की इसमें उत्तर प्रदेश को खंडित करने की कोई भावना नहीं है। इसमें मंत्री जी सुधार कर लें।

दूसरे मान्यवर, मैं इस सदन को भी आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि दोनों प्रदर्शनों में, जो नैनीताल और पौड़ी में हुए, मैं स्वयं उपस्थित था और इसकी लिखित सूचना दोनों मुख्यालयों पर कमिश्नरों को समय से दे दी गयी थी । इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी और एस0 पी0 को भी लिखित रूप में सूचना दी गयी थी । इतनी सारी सूचनाएं लिखित रूप में दिये जाने के बाद भी और ज्ञापन लिखित रूप में दिये जाने के बाद भी प्रशासन आज तक कहां सोया रहा । इसके बाद 13 अप्रैल का मेरा प्रश्न है, लेकिन उसके बाद भी सूचना नहीं मिली । मैं मानता हूं कि इनका प्रशासन इतना लुंज-पुंज है, लेकिन 13 अप्रैल के मेरे प्रश्न के बाद से आज तक इसके बारे में सूचना न आने के लिये कौन उत्तरदायी है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है और वह कार्यवाही क्या हो रही है, मा0 मंत्री जी इसका जवाब दें ।

श्री राम नरेश शुक्ल–

मान्यवर, इसी का तो जवाब दिया है ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह सदन का अपमान है, सारे मा0 सदस्यों की भावना का अपमान है । ऐसे गम्भीर मामले में सारे मा0 सदस्य जानना चाहते हैं सूचना अब तक न आने का क्या कारण है, इस पर कह रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है । हम मानते हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है, लेकिन जानना यह चाहते हैं कि सूचना अभी तक क्यों नहीं आयी ? मान्यवर, इसमें मा0 सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए आप कार्यवाही करें ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने इस सवाल का जवाब देने में काफी दिक्कत पेश की है। इससे पहले भी उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिये आन्दोलन तो हुए ही हैं, मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि यह प्रान्त बनाया जाय या नहीं?, इस पर कभी कुछ विचार हुआ है या नहीं?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, जहां तक राज्य बनाने के प्रश्न है, यह भारत सरकार के तहत होता है, प्रदेश इसमें निर्णय नहीं ले सकता । स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार को है । जहां तक प्रशासन का संबंध है, तो प्रशासन इस तरह के आन्दोलनों से सख्ती से निपटेगा ।

*4–श्री रमेश चन्द्र–

[व्यक्तिगत दोषारोपण होने के कारण निरस्त]

कालीदास मार्ग के बेदखलियों द्वारा पुनः आवास बनाये जाने पर जांच

*5–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 6 अक्टूबर, 1986 को कालीदास मार्ग स्थित मुख्य मंत्री आवास के बाहर की तरफ अनेक वर्षों से रह रहे जिन 13 व्यक्तियों के खिलाफ विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा मुकदमा कायम करके बेदखल करके गिराया गया था उसमें से कितने व्यक्ति अब भी उक्त स्थान पर आवास बनाकर फिर से रह रहे हैं ? क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण एवं मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

माह 10/86 में 4-ए कालीदास मार्ग पर स्थित मुख्य मंत्री आवास की बाउन्ड्रीवाल के सहारे 13 आवास विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा मुकदमा कायम करके बेदखली करके गिरवाये गये थे । उस स्थान पर फिर से कोई आवास नहीं बनाया गया है । अतः अब किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह 13 व्यक्ति जिनके मकान गिराये गये थे, उनके नाम क्या हैं तथा क्या यह सही है कि उनमें से 8 व्यक्ति, जिनके नाम मैं दे सकता हूं, अगर मंत्री जी चाहें, ये आठों लोग उसी स्थान पर पुनः मकान बनाकर रह रहे हैं और केवल 5 व्यक्तियों को मकान नहीं बनाने दिया जा रहा है, यदि हां, तो क्यों?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, वह 13 व्यक्ति हैं–हीरालाल, कल्लन, राम किशोर यादव, मिठाई लाल, राम प्रसाद, मंगला प्रसाद, साहब राम यादव, भगवान बख्श सिंह, राम किशन, मुकेश, दुर्गा, कृष्ण और भुलई । वहां पर अब कोई मकान नहीं है, न कोई रह रहा है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं । श्रीमन् मेरे पास सबूत है कि भुलई, किशन, राम प्रसाद, मुकेश, दुर्गा प्रसाद, हीरालाल, कल्लू और दुःखीराम, इन आठ लोगों के मकान गिराये गये थे, ये वहां पुनः मकान बनाकर रह रहे हैं ।

श्रीमन्, इसकी जांच इस सदन की एक कमेटी बनाकर, उसे वहां भेजकर करा लें । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के गलत उत्तर के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, जो सूचना मेरे पास है, उस सूचना के अनुसार वहां पर कोई रह नहीं रहा है । 13 आदमियों के मकान की बेदखली कर दी गयी थी । केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, कोई न्यायालय में भी नहीं गया । एक श्री रामकिशोर यादव ने रिट दायर की थी, माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी रिट को निरस्त कर दिया अब वह सिविल कोर्ट में गये ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी की सूचना को सत्य मानते हुए तथा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध सूचना को असत्य मानते हुए, क्या इसे दोबारा दिखवा लेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

इसकी पुनः जांच करा लूंगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने इस सन्दर्भ में स्पष्ट सूचना सदन में दी । मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस तरह से असत्य उत्तर दें और सदन के अन्दर यह कहकर निकल जायं कि पुनः जांच करा लूंगा इसका क्या औचित्य है। मैंने 8 नाम दिये हैं। आप अपने सचिवालय के किसी अधिकारी को वहां भेजकर जांच करा लें । 8 व्यक्ति वहां पुनः रह रहे हैं, केवल 5 को वहां नहीं बनाने दिया जा रहा है । या तो 13 व्यक्ति जो बेदखल हुए थे, वे सभी वहां रहे, या कोई न रहे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसकी जांच करा लें।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, जांच करा लूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय दिवाकर विक्रम जी ने 13 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों के नाम बताये, जो वहां रह रहे हैं । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वहां कोई नहीं रह रहा है । मान्यवर, इस तरह से गुमराह करने से सदन का समय भी नष्ट होता है । आप अपने स्तर से इसकी खुद जांच करा लें और अगर वस्तुस्थिति, जैसी की माननीय सदस्य द्वारा बतायी जा रही है, सही निकले तो इन्हें निर्देशित करें कि इस तरह के असत्य उत्तर यहां नहीं आने चाहिये । स्वयं आप अपने स्तर से जांच करा लें और यह भी बता दें कि बात सही निकलती है, तो आप इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

हमारे लिये संभव नहीं है कि हम जांच करायें । माननीय मंत्री जी और माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी–आप कृपा करके दोनों लोग मेरे कक्ष में आ जायं तो देख लेंगे कि क्या हो सकता है ।

श्री गौरी शंकर भैय्या–

फैजाबाद के डी0 एम0 ने इनके खिलाफ जमीन हड़पने की रिपोर्ट लिखायी है ।

श्री सीताराम निषाद–

यह बात बिल्कुल असत्य है, निराधार है।

सादे व अलंकृत दोनों प्रकार की चूड़ियों पर बिक्रीकर वसूलने की योजना

*6–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या एस0 टी0–2,466 दिनांक 10-3-77 में स्पष्ट किया गया है कि कांच के सामान संबंधी प्रविष्टि के अंतर्गत सादे व अलंकृत दोनों प्रकार के सामान पर एक ही बार बिक्रीकर लगाया जा सकता है एक बार कर देने के बाद फिर उसे अलंकृत (डेकोरेट) करके पुनः बेचा जाय तो डेकोरेटेड सामान पर दूसरी बार कर देय नहीं होगा? यदि हां, तो अलंकृत चूड़ी विक्रेताओं से फिर दोबारा बिक्रीकर वसूलने की योजना क्यों बनी? क्या इस संदर्भ में दी बैंगिलस एसोसिएशन द्वारा गत वर्ष जून, 1986 में शासन के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था? यदि हां, तो क्या शासन ने दिनांक 17-4-86 को स्थगन आदेश जारी किया? यदि हां, तो अलंकृत चूड़ी विक्रेताओं का उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

उच्च न्यायालय के तत्समय प्रभावी कई निर्णयों में निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार कांच के सादे सामान से अलंकृत सामान बनाने की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत "निर्माण" नहीं माना जाता था। फलस्वरूप दोनों प्रकार के सामान पर एक ही बार कर आरोपित किया जा सकता था और शासन द्वारा तदनुसार स्पष्टीकरण दिया गया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ही अपने ऐसे पूर्व निर्णयों का अवलोकन करते हुए कदरुल सेहत दवाखाना तथा चंदौसी केमिकल्स के मामलों में भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसके अनुसार अलंकरण की प्रक्रिया "निर्माण" मानी जायगी। यह दोनों निर्णय दो दो भिन्न माननीय न्यायाधीशों की दो अलग अलग खण्ड पीठ ने दिए हैं। इस प्रकार चार भिन्न भिन्न मा0 न्यायाधीशों ने एक ही मत व्यक्त किया है।

चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम के प्राविधानों की केवल व्याख्या ही की जाती है, प्राविधान का अर्थ व्याख्या के अनुसार सदा से ही समझा जाता है और तद्नुसार विधिक कार्यवाही आवश्यक हो जाती है।

जी हां।

जी नहीं। आयुक्त बिक्रीकर ने अपने आदेश दिनांक 17-4-86 द्वारा तथा आदेश दिनांक 17-5-86 द्वारा कालबाधित होने वाले मामलों को छोड़कर, सादी चूड़ी से अलंकृत चूड़ी बनाने वाले व्यापारियों के शेष वादों में कर निर्धारण कार्यवाही क्रमशः एक तथा एक माह के लिए स्थगित की थी।

श्रीमन्, इसकी जांच इस सदन की एक कमेटी बनाकर, उसे वहां भेजकर करा लें । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के गलत उत्तर के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, जो सूचना मेरे पास है, उस सूचना के अनुसार वहां पर कोई रह नहीं रहा है । 13 आदमियों के मकान की बेदखली कर दी गयी थी । केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, कोई न्यायालय में भी नहीं गया । एक श्री रामकिशोर यादव ने रिट दायर की थी, माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी रिट को निरस्त कर दिया अब वह सिविल कोर्ट में गये ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी की सूचना को सत्य मानते हुए तथा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध सूचना को असत्य मानते हुए, क्या इसे दोबारा दिखवा लेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

इसकी पुनः जांच करा लूंगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैंने इस सन्दर्भ में स्पष्ट सूचना सदन में दी । मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस तरह से असत्य उत्तर दें और सदन के अन्दर यह कहकर निकल जायं कि पुनः जांच करा लूंगा इसका क्या औचित्य है। मैंने 8 नाम दिये हैं। आप अपने सचिवालय के किसी अधिकारी को वहां भेजकर जांच करा लें । 8 व्यक्ति वहां पुनः रह रहे हैं, केवल 5 को वहां नहीं बनाने दिया जा रहा है । या तो 13 व्यक्ति जो बेदखल हुए थे, वे सभी वहां रहे, या कोई न रहे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसकी जांच करा लें।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, जांच करा लूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय दिवाकर विक्रम जी ने 13 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों के नाम बताये, जो वहां रह रहे हैं । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वहां कोई नहीं रह रहा है । मान्यवर, इस तरह से गुमराह करने से सदन का समय भी नष्ट होता है । आप अपने स्तर से इसकी खुद जांच करा लें और अगर वस्तुस्थिति, जैसी की माननीय सदस्य द्वारा बतायी जा रही है, सही निकले तो इन्हें निर्देशित करें कि इस तरह के असत्य उत्तर यहां नहीं आने चाहिये । स्वयं आप अपने स्तर से जांच करा लें और यह भी बता दें कि बात सही निकलती है, तो आप इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

हमारे लिये संभव नहीं है कि हम जांच करायें । माननीय मंत्री जी और माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी–आप कृपा करके दोनों लोग मेरे कक्ष में आ जायं तो देख लेंगे कि क्या हो सकता है ।

श्री गौरी शंकर भैय्या–

फैजाबाद के डी0 एम0 ने इनके खिलाफ जमीन हड़पने की रिपोर्ट लिखायी है ।

श्री सीताराम निषाद–

यह बात बिल्कुल असत्य है, निराधार है।

सादे व अलंकृत दोनों प्रकार की चूड़ियों पर बिक्रीकर वसूलने की योजना

*6–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या एस0 टी0–2,466 दिनांक 10-3-77 में स्पष्ट किया गया है कि कांच के सामान संबंधी प्रविष्टि के अंतर्गत सादे व अलंकृत दोनों प्रकार के सामान पर एक ही बार बिक्रीकर लगाया जा सकता है एक बार कर देने के बाद फिर उसे अलंकृत (डेकोरेट) करके पुनः बेचा जाय तो डेकोरेटेड सामान पर दूसरी बार कर देय नहीं होगा? यदि हां, तो अलंकृत चूड़ी विक्रेताओं से फिर दोबारा बिक्रीकर वसूलने की योजना क्यों बनी? क्या इस संदर्भ में दी बैंग्लिस एसोसिएशन द्वारा गत वर्ष जून, 1986 में शासन के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था? यदि हां, तो क्या शासन ने दिनांक 17-4-86 को स्थगन आदेश जारी किया? यदि हां, तो अलंकृत चूड़ी विक्रेताओं का उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

उच्च न्यायालय के तत्समय प्रभावी कई निर्णयों में निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार कांच के सादे सामान से अलंकृत सामान बनाने की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत "निर्माण" नहीं माना जाता था। फलस्वरूप दोनों प्रकार के सामान पर एक ही बार कर आरोपित किया जा सकता था और शासन द्वारा तदनुसार स्पष्टीकरण दिया गया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ही अपने ऐसे पूर्व निर्णयों का अवलोकन करते हुए कदरुल सेहत दवाखाना तथा चंदौसी केमिकल्स के मामलों में भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसके अनुसार अलंकरण की प्रक्रिया "निर्माण" मानी जायगी। यह दोनों निर्णय दो दो भिन्न माननीय न्यायाधीशों की दो अलग अलग खण्ड पीठ ने दिए हैं। इस प्रकार चार भिन्न भिन्न मा0 न्यायाधीशों ने एक ही मत व्यक्त किया है।

चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम के प्राविधानों की केवल व्याख्या ही की जाती है, प्राविधान का अर्थ व्याख्या के अनुसार सदा से ही समझा जाता है और तद्नुसार विधिक कार्यवाही आवश्यक हो जाती है।

जी हां।

जी नहीं। आयुक्त बिक्रीकर ने अपने आदेश दिनांक 17-4-86 द्वारा तथा आदेश दिनांक 17-5-86 द्वारा कालबाधित होने वाले मामलों को छोड़कर, सादी चूड़ी से अलंकृत चूड़ी बनाने वाले व्यापारियों के शेष वादों में कर निर्धारण कार्यवाही क्रमशः एक तथा एक माह के लिए स्थगित की थी।

अलंकृत चूड़ी पर कर का पुनः दायित्व उच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। अतएव उत्पीड़न का प्रश्न नहीं उठता। तथापि विज्ञप्ति संख्या–एस0 टी0–2-7124/दस-7(24)/83, दिनांक 30-9-86 एवं संख्या–एस0 टी0-2-7125/दस-7(24)/83, दिनांक 30-9-86 द्वारा दिनांक 1-10-86 से निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर कांच की अलंकृत एवं कटावदार चूड़ियों की प्रदेशीय तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान की गई बिक्री कर मुक्त कर दी गई है। साथ ही पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में ऐसी चूड़ी के निर्माताओं की कठिनाई दूर करने हेतु शासन ने यह प्रशासनिक आदेश दिनांक 13-10-86 को जारी कर दिए हैं कि यदि प्रदेश के अन्दर से बिक्रीकर देकर क्रय की गई सादी चूड़ी से अलंकृत चूड़ी बनाई गई हो और अलंकृत चूड़ी की बिक्री पर कर के आपात को ग्राहक से वसूल न किया गया हो तो उसे वसूल न किया जाय वरन् अपलिखित कर दिया जाय।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1-10-1986 से जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, वे क्या-क्या हैं? दूसरा यदि कोई व्यापारी पूरा का पूरा सादी चूड़ी खरीदता है और उस पर अलंकृत कर विक्रय करता है और जो सादी चूड़ियां बच जाती हैं उनका विक्रय करता है तो फिर सादी चूड़ियों पर पुनः विक्रय कर क्यों लिया जा रहा है? एक बार कर वसूल करने के बाद, चाहे वह अलंकृत चूड़ी हो या सादी, पर पुनः कर नहीं लगाया जायेगा, इसे आप सिद्धान्त लागू करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, अगर किसी अलंकृत करने वाले के पास सादी चूड़ियां बच जाती है और वह उन्हें बेचता है, यदि उसने अपने यहां उसे मैनुफैक्चर नहीं किया होगा, किसी मैनुफैक्चर के यहां से खरीदा होगा और उसका टैक्स पे कर दिया होगा, तो उस पर दुबारा टैक्स नहीं लिया जायेगा। 1-10-86 से तो जो अलंकृत चूड़ियां होगी, वे भी कर मुक्त रहेंगी।

*7–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में बन्दी नक्सलपंथियों की संख्या एवं उनके रिहाई का मामला विचाराधीन

*8–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने और कौन-कौन नक्सलपंथी बन्दी सजा भुगत रहे हैं? क्या उनकी रिहाई का प्रकरण विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इस समय प्रदेश में दो नक्सलपंथी बन्दी (1) सत्यपाल सिंह उर्फ ओम प्रकाश पुत्र छवि लाल तथा (2) रामराज सिंह पुत्र धरमू सजा भुगत रहे हैं।

बन्दी सत्यपाल सिंह उर्फ ओम प्रकाश पुत्र छवि लाल की रिहाई का प्रकरण विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है। बन्दी रामराज सिंह पुत्र धरमू की रिहाई का प्रकरण विचाराधीन है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि पूरे प्रदेशों में जो नक्सलपंथी थे, उन्हें रिहा किया जा चुका है। बंगाल जो नक्सलपंथियों को जन्म देने वाली भूमि है, उसे प्रदेश में भी जितने नक्सलपंथी बन्द थे, उन्हें रिहा किया जा चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नक्सलपंथियों को रिहा न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, दोनों जगह की परिस्थितियां अलग अलग हैं और हर व्यक्ति की परिस्थिति भी अलग-अलग है। जिन हालात में और जो घटनायें इनके द्वारा हुई, उनके बारे में जो रिपोर्टें मांगी गयी, वे भी इनके विरुद्ध आती रहीं। ऐसा नहीं है कि विचार न किया गया हो, पहला जो बन्दी है सत्यपाल सिंह उर्फ ओम प्रकाश पुत्र छवि लाल, इसके नाम पर भी तीन बार विचार हुआ और तीनों बार वह खारिज हुआ, दूसरा बन्दी राम राज सिंह पुत्र धरमू का मामला अभी भी विचाराधीन है। यह प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द विचार किया जाय।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए कि सारे देश में नक्सलपन्थी बन्दी रिहा कर दिये गये, ये दो नौजवान वर्षों से सजा भुगत रहे हैं और आजीवन सजा की अवधि भी पूरी कर चुके हैं, जेल में इनका आचरण भी अच्छा रहा है, यहीं लखनऊ जेल में बन्द हैं। तीन बार अस्वीकार कर दिया तो क्या चौथी बार बोर्ड को अपना विवेक इस्तेमाल करने के लिए प्रभावित करेंगे कि इन्हें छोड़ दिया जाय ताकि एक नये वातावरण में यह आयें और अपना जीवन समाज के लिए दें? क्या इस पर विचार करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इस पर विचार कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी ने विचार करने के लिए आश्वासन दिया, इसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा। मैं जानना यह चाहूंगा कि प्रोबेशन बोर्ड ही अगर विचार करेगा तो उनकी निर्धारित शर्तों के अनुसार चलने में दिक्कत होगी, क्या इस पर विचार करेंगे कि शासन स्तर पर इनके सम्बन्ध में विचार करके फैसला कर लिया जाय कि दोनों लोगों को छोड़ दिया जाय?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

सम्मानित सदस्य मैनेजर सिंह जी ने जब कहा तभी मैंने कहा कि विचार कर लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, प्रश्न एक-दो व्यक्तियों का नहीं है, शासन की नीतियों का है। दूसरे प्रदेशों में नक्सलपन्थी बन्दियों को रिहा करने की नीति रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कौन सा व्यवधान आ गया है कि जिसके कारण रिहा करने की नीति नहीं अपना रहे हैं? मन्त्री जी ने कहा कि मैरिट्स और डिमैरिट्स के आधार पर, तो यदि शासन की नीति होगी तो इसे नहीं देखा जायगा। मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश

अलंकृत चूड़ी पर कर का पुनः दायित्व उच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। अतएव उत्पीड़न का प्रश्न नहीं उठता। तथापि विज्ञप्ति संख्या–एस0 टी0–2-7124/दस-7(24)/83, दिनांक 30-9-86 एवं संख्या–एस0 टी0-2-7125/दस-7(24)/83, दिनांक 30-9-86 द्वारा दिनांक 1-10-86 से निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर कांच की अलंकृत एवं कटावदार चूड़ियों की प्रदेशीय तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान की गई बिक्री कर मुक्त कर दी गई है। साथ ही पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में ऐसी चूड़ी के निर्माताओं की कठिनाई दूर करने हेतु शासन ने यह प्रशासनिक आदेश दिनांक 13-10-86 को जारी कर दिए हैं कि यदि प्रदेश के अन्दर से बिक्रीकर देकर क्रय की गई सादी चूड़ी से अलंकृत चूड़ी बनाई गई हो और अलंकृत चूड़ी की बिक्री पर कर के आपात को ग्राहक से वसूल न किया गया हो तो उसे वसूल न किया जाय वरन् अपलिखित कर दिया जाय।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1-10-1986 से जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, वे क्या-क्या हैं? दूसरा यदि कोई व्यापारी पूरा का पूरा सादी चूड़ी खरीदता है और उस पर अलंकृत कर विक्रय करता है और जो सादी चूड़ियां बच जाती हैं उनका विक्रय करता है तो फिर सादी चूड़ियों पर पुनः विक्रय कर क्यों लिया जा रहा है? एक बार कर वसूल करने के बाद, चाहे वह अलंकृत चूड़ी हो या सादी, पर पुनः कर नहीं लगाया जायेगा, इसे आप सिद्धान्त लागू करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, अगर किसी अलंकृत करने वाले के पास सादी चूड़ियां बच जाती है और वह उन्हें बेचता है, यदि उसने अपने यहां उसे मैनुफैक्चर नहीं किया होगा, किसी मैनुफैक्चर के यहां से खरीदा होगा और उसका टैक्स पे कर दिया होगा, तो उस पर दुबारा टैक्स नहीं लिया जायेगा। 1-10-86 से तो जो अलंकृत चूड़ियां होगी, वे भी कर मुक्त रहेंगी।

*7–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में बन्दी नक्सलपंथियों की संख्या एवं उनके रिहाई का मामला विचाराधीन

*8–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने और कौन-कौन नक्सलपंथी बन्दी सजा भुगत रहे हैं? क्या उनकी रिहाई का प्रकरण विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इस समय प्रदेश में दो नक्सलपंथी बन्दी (1) सत्यपाल सिंह उर्फ ओम प्रकाश पुत्र छवि लाल तथा (2) रामराज सिंह पुत्र धरमू सजा भुगत रहे हैं।

बन्दी सत्यपाल सिंह उर्फ ओम प्रकाश पुत्र छवि लाल की रिहाई का प्रकरण विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है। बन्दी रामराज सिंह पुत्र धरमू की रिहाई का प्रकरण विचाराधीन है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि पूरे प्रदेशों में जो नक्सलपंथी थे, उन्हें रिहा किया जा चुका है। बंगाल जो नक्सलपंथियों को जन्म देने वाली भूमि है, उस प्रदेश में भी जितने नक्सलपंथी बन्द थे, उन्हें रिहा किया जा चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नक्सलपंथियों को रिहा न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, दोनों जगह की परिस्थितियां अलग अलग हैं और हर व्यक्ति की परिस्थिति भी अलग-अलग है। जिन हालात में और जो घटनायें इनके द्वारा हुई, उनके बारे में जो रिपोर्टें मांगी गयी, वे भी इनके विरुद्ध आती रहीं। ऐसा नहीं है कि विचार न किया गया हो, पहला जो बन्दी है सत्यपाल सिंह उर्फ ओम प्रकाश पुत्र छवि लाल, इसके नाम पर भी तीन बार विचार हुआ और तीनों बार वह खारिज हुआ, दूसरा बन्दी राम राज सिंह पुत्र धरम् का मामला अभी भी विचाराधीन है। यह प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द विचार किया जाय।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए कि सारे देश में नक्सलपन्थी बन्दी रिहा कर दिये गये, ये दो नौजवान वर्षों से सजा भुगत रहे हैं और आजीवन सजा की अवधि भी पूरी कर चुके हैं, जेल में इनका आचरण भी अच्छा रहा है, यहीं लखनऊ जेल में बन्द हैं। तीन बार अस्वीकार कर दिया तो क्या चौथी बार बोर्ड को अपना विवेक इस्तेमाल करने के लिए प्रभावित करेंगे कि इन्हें छोड़ दिया जाय ताकि एक नये वातावरण में यह आयें और अपना जीवन समाज के लिए दें? क्या इस पर विचार करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इस पर विचार कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी ने विचार करने के लिए आश्वासन दिया, इसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा। मैं जानना यह चाहूंगा कि प्रोबेशन बोर्ड ही अगर विचार करेगा तो उनकी निर्धारित शर्तों के अनुसार चलने में दिक्कत होगी, क्या इस पर विचार करेंगे कि शासन स्तर पर इनके सम्बन्ध में विचार करके फैसला कर लिया जाय कि दोनों लोगों को छोड़ दिया जाय?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

सम्मानित सदस्य मैनेजर सिंह जी ने जब कहा तभी मैंने कहा कि विचार कर लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, प्रश्न एक-दो व्यक्तियों का नहीं है, शासन की नीतियों का है। दूसरे प्रदेशों में नक्सलपन्थी बन्दियों को रिहा करने की नीति रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कौन सा व्यवधान आ गया है कि जिसके कारण रिहा करने की नीति नहीं अपना रहे हैं? मन्त्री जी ने कहा कि मैरिट्स और डिमैरिट्स के आधार पर, तो यदि शासन की नीति होगी तो इसे नहीं देखा जायगा। मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश

की सरकार नक्सलपन्थी बन्दियों को रिहा करने की नीति अपनाने से क्यों कतरा रही है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

अभी सम्मानित सदस्य मैनेजर सिंह जी ने काफी कुछ कहा, मैंने कहा कि विचार कर लिया जायगा, अब माननीय सदस्य और क्या चाहते हैं।

जनपद लखनऊ के काकोरी में शहीद स्मारक का निर्माण

*9–श्री शारदा प्रताप–

(अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शहीदों के 56वें बलिदान दिवस के अवसर पर काकोरी, जिला लखनऊ में भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा दिसम्बर, 1983 में शहीद स्मारक का शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त शहीद स्मारक का निर्माण क्यों नहीं किया गया तथा क्या यह भी सत्य है कि शिलान्यास के समय लगाया गया पत्थर भी उखाड़ लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

जी हां।

शहीद स्मारक का निर्माण प्रगति पर है। शिलान्यास के समय लगाया गया पत्थर अपने स्थान पर कायम है।

बाराबंकी की तहसील फतेहपुर को दैवी आपदा हेतु आवन्टित धन का पूरा उपयोग

*10–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 85 की बाढ़ में जनपद बाराबंकी की तहसील फतेहपुर भयानक रूप से प्रभावित हुई थी और इस कारण दैवी आपदा से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से लगभग 15 लाख रुपया आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त रुपया जनपद बाराबंकी को न देकर अधीक्षण अभियन्ता 58वां वृत ने उसका अधिकांश रुपया जनपद बहराइच को दे दिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सीता राम निषाद–

जी हां।

1985 की बाढ़ में प्रभावित मार्गों के सुधार हेतु वर्ष 1985-86 में दैवी आपदा के अन्तर्गत बाराबंकी जनपद की फतेहपुर तहसील को 17.88 लाख रुपये मार्गों के सुधार हेतु आवंटित किये गये थे जो पूरा उपयोग हो गया।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

जैसा कि मा0 मन्त्री जी ने कहा कि 17.88 लाख रुपये मार्गों के सुधार के लिये आवंटित किये गये थे, जो पूरे उपयोग हो गये, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रुपया लखनऊ में उपयोग हो गया या बाराबंकी में ? दूसरा प्रश्न यह है कि यदि बाराबंकी में यह धनराशि उपयोग हुई है तो कृपया उन सड़कों के नाम बतायें जिन पर यह रुपया खर्च हुआ है और हर सड़क पर कितना-कितना धन खर्च किया गया है ?

श्री सीताराम निषाद–

बाराबंकी के लिये 68 लाख रु0 स्वीकृत किया गया था और फतेहपुर के लिये 17·88 लाख रु0 दिया गया है । यह धन जिन आठ सड़कों पर खर्च किया गया है वह है :–

बाराबंकी-देवा-फतेहपुर मार्ग	रु0 2·27 लाख
लखनऊ-कुर्सी-महमूदाबाद मार्ग	रु0 2·87 लाख
फतेहपुर-बेल्थरा मार्ग	रु0 3·34 लाख
कुर्सी-कुम्भरवां मार्ग	रु0 1·32 लाख
फतेहपुर-मोहमदाबाद मार्ग	रु0 0·63 लाख
फतेहपुर-सूरतगंज-बहरामघाट मार्ग	रु0 1·27 लाख
बहराइच-बांदा मार्ग	रु0 4·00 लाख
देवा-कुर्सी मार्ग	रु0 2·18 लाख

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

मेरी निश्चित जानकारी है कि यह पूरा रुपया हड़प लिया गया है, आप कहें तो मैं यह लिखकर भी दे सकता हूं, तो क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर इस तथ्य की जांच करायेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

जांच करवा लेंगे ।

*11–श्री हर्ष वर्धन–

[विस्तीर्ण एवं कई विभागों से सम्बंधित होने के कारण निरस्त]

प्रेम महाविद्यालय, पालिटेकनिक विद्यालय वृन्दावन (मथुरा) में डिग्री कक्षाएं खोलने की मांग

*12–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि स्वतंत्रता सेनानी राजा महेन्द्र प्रताप द्वारा 1909 में स्थापित प्रेम महाविद्यालय, पालिटेकनिक विद्यालय वृन्दावन (मथुरा) को ब्रिटिस सरकार ने वर्ष 1932 से 38 तक बन्द कर दिया था जिससे विद्यालय की इमारत तबाह हो गयी थी ? यदि हां, तो वर्तमान शासन ने उक्त विद्यालय के लिये क्या किया ?क्या शासन इस विद्यालय को उच्चीकृत कर डिग्री कक्षायें खोलने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

जी हां ।

संस्था का वर्तमान भवन वृन्दावन से लगभग 6·5 किलोमीटर दूर वृन्दावन मथुरा मार्ग पर प्रेमनगर नामक स्थान पर स्थित है । समय-समय पर भवन एवं साज-सज्जा हेतु अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये गये जिसके फलस्वरूप ही संस्था वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर सकी एवं वर्तमान स्वरूप में चल रही है । वर्तमान में इस संस्था को उच्चीकृत कर डिग्री कक्षायें खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, राजा महेन्द्र प्रताप 31 वर्ष विदेशों में रहे । यह संस्था आजादी के समय पर गढ़ बन गयी थी जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने आठ-दस वर्षों के लिये बिलकुल बन्द कर दिया था । इसमें जवाहर लाल नेहरू, आचार्य नरेन्द्र देव, आचार्य जुगुल किशोर जैसे लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। क्या शासन इन अमर शहीदों के बलिदान को देखते हुए इस संस्था को कम से कम डिग्री कालेज तक करेगी ? क्योंकि यह दुनियां की सबसे पुरानी संस्था है ।

श्री चेतराम गंगवार–

यह सही है कि स्वतंत्रता संग्राम में इस संस्था का बड़ा योगदान रहा और आचार्य जुगुल किशोर आदि व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं किन्तु शासन की भी अपनी नीतियां हैं । अभी पिछले वर्ष हमने बुन्देलखण्ड में तथा दो कालेज हिल्स में खोले हैं । यह सही है कि इस संस्था का स्वतंत्रता के संग्राम के साथ सम्बन्ध है लेकिन एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिए कम से कम 20-30 हजार रुपये चाहिए, शासन के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि इसे डिग्री कालेज स्तर तक किया जाय ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि राजा महेन्द्र प्रताप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जब शासन अन्य स्थानों के लिये धन खर्च कर सकता है तो फिर इस संस्था जिससे कि भावनात्मक संबंध जुड़ा हुआ है और जिसमें स्वतंत्रता संग्राम का संचालन हुआ और इससे फायदा उठाया गया तो उस पर सरकार को धन व्यय करने में क्या कठिनाई है ? मंत्री जी ने स्वयं अपने मूल उत्तर में कहा है कि समय-समय पर भवन एवं साज-सज्जा हेतु अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किये गये, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने आज तक इस संस्था को कितना रु0 अनुदान में दिया है जिससे कि हम समझ सके कि सरकार ने इस पर कितनी सहायता की है ?

श्री चेतराम गंगवार–

हमारी सरकार ने इसके महत्व को बनाये रखने के लिये हर काम किये हैं जैसा कि प्रश्न से ही विदित है कि वर्ष 1932 से 38 तक यह संस्था बिलकुल बन्द कर दी गयी थी जिससे कि विद्यालय की इमारत तबाह हो गयी । उ0 प्र0 सरकार ने इसके लिये अनावर्तक अनुदान कई बार दिया । मार्च, 1985 तक केन्द्रीय सरकार के द्वारा 15 लाख 10 हजार 550 रु0 इसको दिया गया और इस पर इसके बाद 31 मार्च, 1987 तक 18 लाख 659 रुपया अनावर्तक अनुदान के रूप में दिया गया । मैं यह भी बता रहा हूं कि राज्य सरकार ने कितना दिया। मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा मार्च, 1987 तक भवन निर्माण के लिये 4 लाख 12 हजार 925 रुपया दिया गया, साज-सज्जा के लिये 14 लाख 46 हजार 731 रुपया दिया गया और कुल अब तक 18 लाख 59 हजार 656 रुपया दिया गया है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त और भी आवर्तक अनुदान दिया गया है, इस संस्था को बनाये रखने के लिये बहुत कुछ पैसा दिया गया है। इसके बाद हर वर्ष कुछ न कुछ संस्था को मदद की जाती रहती है। हम उसके स्वरूप को बनाये हुये हैं । माननीय सदस्य बरेली शायद मेरी बात को समझ नहीं पाये हैं । वह चाहते हैं कि इसको डिग्री कर दिया जाये । हम सारा खर्चा दे रहे हैं, 60 लाख 99 हजार 570 रुपया दे रहे हैं, इसके अलावा वर्ष 1986-87 में 17 लाख 11 हजार 517 रुपया आवर्तक अनुदान के रूप में दे रहे हैं ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनके पास सीमित संसाधन हैं और उन्होंने बुन्देलखण्ड में एक इन्जीनियरिंग कालेज खोला है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उस इन्जीनियरिंग कालेज में पढ़ाई कब से शुरु हो जायेगी और भवन निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगी और क्या इस विद्यालय के उच्चीकृत करने पर इसी वर्ष विचार कर लिया जायेगा ?

श्री चेतराम गंगवार–

बुन्देलखण्ड इन्जीनियरिंग कालेज के सम्बन्ध में सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, राजा साहेब सारी अपनी सम्पत्ति इसी विद्यालय को दे गए और सब में यह पुराना विद्यालय है । क्या शासन राजा साहब के त्याग और बलिदान को देखते हुये प्रदेश के अन्दर जितने पोलीटेक्निक विद्यालय हैं, उनके नाम के पहले राजा साहेब का नाम जोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, इस पर विचार कर लेंगे। मैनेजमेन्ट कमेटी के चेयरमैन राजा साहेब के लड़के राजा गोपाल सिंह हैं और यह उनकी देख-रेख में है । हम तो उनको ग्रान्ट देते हैं। मैनेजिंग कमेटी अपना प्रस्ताव भेज दे तो शासन उस पर विचार कर लेगा ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मेरा मतलब प्रदेश के पूरे विद्यालयों से है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठे ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि, जैसा कि माननीय सदस्य सरदार सिंह जी ने कहा, उस पर तो विचार कर ही लिया जाये, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और जो काफी सम्मानित रहे हैं और जिन्होंने काफी बलिदान किया है, उनके नाम विभिन्न संस्थाओं के साथ, वहां पर जो भी बहुधंधी पोलीटेक्निक हैं, उनके साथ जोड़ने पर विचार करेंगे ? उनके नाम से जो स्मारक बनाये जाते हैं, वह केवल भावनात्मक होते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता है, तो क्या सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो उनका नाम किसी बहुधन्धी संस्था के साथ जोड़ने की कृपा करेंगे और ऐसा करने पर विचार करेंगे ?

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, यह संस्था एक सहायता प्राप्त संस्था है और इस प्रकार की 20 सहायता प्राप्त संस्थायें इस प्रदेश में चल रही हैं । प्राइवेट सेक्टर की जो संस्था हैं या जो सरकारी पोलिटेक्निक्स हैं वे यहां पर 80 हैं और भी बराबर खुलती जा रही हैं । मैंने इन सारी संस्थाओं के बारे में नहीं कहा । मैंने इसके बारे में निवेदन किया कि इस संस्था की जो मैनेजिंग कमेटी है अगर वह इस प्रकार का कोई प्रस्ताव हमारे पास भेजे तो सरकार उस पर विचार कर लेगी । वैसे इस संस्था के जो मैनेजर हैं वह राजा महेन्द्र प्रताप सिंह के

पात्र हैं वे इस संस्था को चला रहे हैं । अगर वहां से कोई ऐसा प्रस्ताव आता है या कोई भी जो सहायता प्राप्त पोलिटेक्निक हैं उनका अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार उस पर विचार कर लेगी ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सीमित संसाधनों के होते हुये भी हम जनहित में कालेज खोलते हैं । तो क्या बलिया के टाउन पोलिटेक्निक को जनहित में अप-ग्रेड करके इंजीनियरिंग कालेज में परिणत करने की कृपा करेंगे ?

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, आपकी आज्ञा हो तो मैं यह निवेदन कर दूं कि इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है । बलिया के लिए अलग से प्रश्न कर लीजिए, मैं बता दूंगा ।

प्रदेश के समस्त कारागारों का निरीक्षण उ0 प्र0 के न्यायिक सेवा के अधिकारी द्वारा कराने सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय की सूचना

*13–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-4-86 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आशय की सूचना प्रदेश के समस्त कारागारों को मिली कि उ0 प्र0 न्यायिक सेवा के अधिकारी जेलों का निरीक्षण कर यह देखेंगे कि 16 वर्ष से कम आयु के बन्दी बाल कैदियों की दशा क्या है तथा किन हालात में वह जेलों में रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उसकी कोई रिपोर्ट तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका जिलेवार विवरण क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रश्न आप देख लें । इस प्रश्न के दो अंश हैं । वस्तुस्थिति यह है, आप भी जानते हैं और इस आदरणीय सदन के सभी सम्मानित सदस्य अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश की कारागारों में आज छोटी उम्र के बच्चों को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है । इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका पेश की गई थी । इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को यह निर्देशित किया है कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जो जुडीशियल सर्विस के दन्डाधिकारीगण हैं उनसे मामलों की जांच करायें । मैंने पूछा था कि क्या ऐसा कोई निर्देश राज्य सरकार को मिला ?

मेरे प्रश्न का दूसरा अंश यह था कि अगर ऐसा कोई निर्देश मिला है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? रिपोर्ट आई है या नहीं ? मंत्री जी ने कह दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के किस अंश के संदर्भ में सूचना एकत्र की जा रही है । यदि दूसरे अंश के सन्दर्भ में सूचना मंगाई जा रही है तो कुछ जिलों से आपको जानकारी मिली होगी, वह क्या है और पूरी सूचना कब तक एकत्र की जा सकेगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, कुछ जिलों से सूचना आना बाकी है। इसलिये विलम्ब हुआ है। जल्द से जल्द हम सूचना मंगाकर माननीय सदस्य को सूचित कर देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या सर्वोच्च न्यायालय से आपको कोई डाइरेक्टिव मिला है? यदि हां, तो वह कब मिला है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जानकारी में यह आया है कि रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट इलाहाबाद में इस आशय का पत्र आ गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पहले मंत्री जी ने कहा कि जिलों से सूचना मंगा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है उसकी एक प्रतिलिपि भी उसमें अटैच की है। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार को मेरी जानकारी के अनुसार निर्देश मिल चुका है और सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आप यह बतायें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस तरह का पत्र आया है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली है। इस तरह का पत्र हाई कोर्ट इलाहाबाद में आया है इस जानकारी का आपका स्रोत क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसको दिखवाया गया था जब माननीय सदस्य ने प्रश्न किया। जब उपलब्ध नहीं हुआ तो इलाहाबाद से पता कराया और मालूम हुआ कि इस आशय का निर्देश आया है।

दूसरी बात का मैंने अनुरोध किया कि जल्दी हम सूचना एकत्र करवा कर माननीय सदस्य को सूचित कर देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह सूचना पूरे प्रदेश से आनी थी तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने जिलों से उन्हें सूचना प्राप्त हो गयी है या सरकार ने अभी जांच की व्यवस्था ही नहीं की?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

अभी कहीं से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद बुलन्दशहर में चीनी मिल लगाने के प्रस्ताव का भारत सरकार द्वारा निरस्तीकरण

*14–श्री किरन पाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में एक नई चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव गत पांच वर्षों से शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह मिल किस स्थान पर लगाई जायेंगी तथा कब तक लग जायेगी?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)–

जनपद बुलन्दशहर के परतापुर-सैदपुर स्थान पर सहकारी चीनी मिल की स्थापना हेतु लाइसेंस प्राप्त करने का प्रस्ताव वर्ष 1980 में भारत सरकार को भेजा गया था । भारत सरकार ने प्रस्तावित क्षेत्र में गन्ने की कम उपलब्धता मानकर प्रस्ताव अन्तिम रूप से 20-11-80 के पत्र द्वारा निरस्त कर दिया ।

पुनः जनपद बुलन्दशहर के सेंगा-जगतपुर स्थान पर चीनी मिल लगाने के लिये लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव जुलाई, 1984 में भारत सरकार को भेजा गया, किन्तु भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को भी पत्र दिनांक 1-1-1985 द्वारा निरस्त कर दिया। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री किरन पाल सिंह–

मैं माननीय गन्ना राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में नयी चीनी मिल लगाने के लिये गन्ना उपलब्धता का क्या मानक है?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, भारत सरकार की नीति के अंतर्गत 25 सौ टी0 सी0 डी0 से कम की चीनी मिल नहीं लगेगी । तथा जनपद में लगी हुई चीनी मिलों से लगने वाली चीनी मिल में 40 कि0मी0 का अन्तर अनिवार्य है । यह दोनों चीनी मिलें इन शर्तों के अंतर्गत नहीं आई इसलिये भारत सरकार ने निरस्त कर दिया।

श्री किरन पाल सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि बुलन्दशहर की चीनी मिल के प्रस्ताव के अलावा जो दूसरे चीनी मिल लगने के प्रस्ताव स्वीकृत हुये उनके मानक बुलंदशहर की चीनी मिल से हीन थे और वह स्वीकार हो गये तो वह किन आधारों पर चीनी मिलें वहां लग गयी?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से चीनी मिल लगाने के लिये प्रस्ताव बना कर भेजा गया। और लिखा गया कि 4 मिलों से गन्ना काट कर इसे दिया जायेगा चूंकि भारत सरकार के मानक में नहीं आया और प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि गत दो वर्षों में बुलन्दशहर की चीनी मिलों में जितना गन्ना काश्तकारों द्वारा उत्पादित किया गया वह वहां की मिलों के पेरने से काफी था और उसे बाहर भेजा गया? यदि बाहर भेजा गया तो निश्चित रूप से नयी मिल स्थापित करने का दायित्व सरकार का बनता है। तो क्या इस पर विचार करके माननीय मंत्री जी वहां गन्ना मिल लगाने की कृपा करेंगे?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, सिंभावली चीनी मिल की क्षमता 2750 टी0 सी0 डी0 से 5000 टी0 सी0 डी0 हो गयी है। सर्वे के अनुसार गन्ने की उपलब्धता चीनी मिल से ज्यादा नहीं थी। यदि गन्ने की उपलब्धता 25 सौ टी0 सी0 डी0 क्षमता की मिल के लिए पर्याप्त होती है तो यह सरकार का दायित्व है कि जहां गन्ना ज्यादा होगा वहां मिल लगेगी।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय का नाम पुकारने पर)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मंत्री जी बहुत होशियार हैं । गाजीपुर, अपने जिले, में गन्ना है नहीं मिल लगवा लिया, आजमगढ़ में भी मिल लगवा लिया और दूसरी जगहों के गन्ने से अपनी चीनी मिलें चलाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जो मानक मंत्री जी ने बताया है कि इतनी-इतनी दूरी पर और इतनी-इतनी दूरी से कम पर मिलें नहीं लगाई जा सकती हैं, क्या इन नियमों का पालन गाजीपुर और आजमगढ़ में किया गया है जैसे कि मानक बुलंदशहर में निर्धारित हैं?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, भारत सरकार की नीति सातवीं पंचवर्षीय योजना में बनी है और यह मिलें पहले की बनी हैं, इसलिये यह मानक उन पर लागू नहीं होते हैं ।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जहां गन्ना उत्पादन अधिक होता है और मिलों की संख्या कम है क्या वहां मिलों की संख्या बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, यह प्रश्न भारत सरकार के विचार का है, प्रदेश से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, बुलंदशहर में गन्ना केश क्राप है और वहां एक चीनी मिल काम करती है जिस पर 14 करोड़ रुपये का कर्ज है, मिल बंद है, जिससे बुलंदशहर का गन्ना दूसरे जिले गाजियाबाद को जाता है, इसलिये वहां गन्ने की अधिकता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दो तीन बार भारत सरकार को प्रस्ताव भेज चुकी है, क्या भविष्य में एक और प्रस्ताव सरकार केन्द्र सरकार को भेजने की कृपा करेगी ?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, एक बार नहीं प्रदेश सरकार कई बार भारत सरकार को प्रस्ताव भेज चुकी हैं और वह निरस्त हो गये हैं । सरकार ने दिनांक 29-10-80 को भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जो 30-1-81 को निरस्त कर दिया गया । गन्ना आयुक्त ने इस निर्णय के विरुद्ध प्रत्यावेदन भेजा लेकिन भारत सरकार ने उसे भी निरस्त कर दिया । जगतपुर के लिये 19-7-84 को शासन ने प्रस्ताव भेजा जिसको केन्द्र सरकार ने निरस्त कर दिया । इस निर्णय के विरुद्ध दिनांक 27-11-84 को चीनी मिल संघ ने भारत सरकार को प्रत्यावेदन चीनी मिल लगाने के संबंध में भेजा लेकिन अंतिम रूप से उसे भी केन्द्र सरकार ने निरस्त कर दिया। इसलिए बार-बार प्रस्ताव भेजने में समय, धन और श्रम का दुरुपयोग समझा जायेगा।

अखिल भारतीय स्तर पर खेल रहे प्रदेश के खिलाड़ी एवं उन पर व्यय का औसत

*15–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में खेल का स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है जिसके कारण अखिल भारतीय स्तर पर जो भी खेल होते हैं उसमें उ0 प्र0 के कोई भी खिलाड़ी सफल नहीं हो पाते ? यदि हां, तो उसे दूर करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या खेल कूद मंत्री यह भी बतायेंगे कि पहलवानों तथा अन्य खिलाड़ियों के भोजन पर स्पोर्ट्स हास्टलों में प्रतिदिन कितना खर्च किया जाता है ?

पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा) –

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता । रु0 12.50 पैसे प्रति खिलाड़ी की दर से खर्च किया जाता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह –

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में हाकी, फुटबाल, क्रिकेट में कौन-कौन खिलाड़ी भारत में खेल रहे हैं या निकट भविष्य में खेलने वाले हैं ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश से श्री गोपाल शर्मा खेल रहे हैं, इसके अलावा बहुत से और खिलाड़ी हैं ।

श्री गोपाल दास यादव –

मान्यवर, मंत्री जी से इस प्रश्न का तालुक नहीं है या वह खेली होती तो सही उत्तर देती । मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किन-किन जिलों में किस-किस खेल के हास्टल खोले गये हैं और क्या वह पर्याप्त हैं ?

श्री अध्यक्ष –

इस प्रश्न में तो सूचना की आवश्यकता होगी । आप दूसरा प्रश्न कर लें ।

श्री गोपाल दास यादव –

साढ़े बारह रुपया पर्याप्त नहीं है, इससे आप बच्चों से यह उम्मीद करती हैं कि वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर....

श्री अध्यक्ष –

आप प्रश्न कीजिए ।

श्री गोपाल दास यादव –

क्या मंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद को बढ़ाने के लिए बच्चों को आगे से 25 रुपया देने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती दीपा –

हमारा प्रति खिलाड़ी 20 रुपया करने का प्रस्ताव है और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी यह हो जाए ।

श्री अध्यक्ष –

प्रश्नों का समय समाप्त ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी –

पहले मंत्री जी यह बात साफ कर दें कि माननीय मंत्री जी कौन-कौन खेल खेलना जानती हैं ?

(व्यवधान)

विधायकों के निवास में शीतल पेय जल की व्यवस्था में एक रूपता की मांग

*16–श्री शिव नारायण मिश्र –

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों के निवास में शीतल पेयजल के लिए दोहरे मापदण्ड की नीति क्यों अपनाई गयी है ? दारुल शफा ए0 और बी0 ब्लाक रायल होटल में आम व्यक्तियों के लिए बाहर वाटर कूलर लगाये गये हैं किन्तु ओ0 सी0 आर0 के ए0 एवं बी0 ब्लाक में रहने वालों को उससे उपेक्षित किया गया ? क्या निकट भविष्य में भीषण गर्मी को देखते हुए ओ0 सी0 आर0 में निवास करने वाले विधायकों को भी वाटर कूलर के माध्यम से शीतल जल की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

विधायक निवास-3 में पहले से ही वाटर कूलर की व्यवस्था होने के कारण ओ0सी0 आर0 "ए" एवं "बी" ब्लाक में अतिरिक्त वाटर कूलर की व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है ।

*17–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी –

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय नीति एवं लक्ष्य

*18–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी –

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 से अधिक आबादी के ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिए 14 वर्ष बाद सन् 71 की जनसंख्या को आधार मानने का क्या औचित्य है, जबकि सभी क्षेत्रों का विकास समान रूप से नहीं हुआ है और जनसंख्या भी एक अनुपात से नहीं, बढ़ी है ? अतः सन् 1985 को आधार मानकर क्या सड़कों के मास्टर-प्लान संशोधित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों को वर्ष 1990 तक सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का राष्ट्रीय लक्ष्य है ।

जी नहीं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है । राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा, उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत, सम्पर्क मार्गों के निर्माण की योजना पर विचार किया जाता है ।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

वित्तीय धनराशि की अनुपलब्धता के कारण होमगार्डों के पारिश्रमिक भुगतान में विलम्ब

*19–श्री बदन सिंह –

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश होम गार्ड्स को जुलाई, सन् 1986 से अब तक उनका वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

होमगार्डों की वेतन नहीं बल्कि ड्यूटी के समय का दैनिक दर पर पारिश्रमिक दिया जाता है। प्राप्त सूचना के अनुसार जुलाई, 86 से मार्च, 87 तक के अधिकांश पारिश्रमिक का भुगतान किया जा चुका है। भुगतान में विलम्ब का कारण अन्य विभागों से धनराशि का प्राप्त न होना, मस्टर रोल के भेजने या सत्यापन में विलम्ब या बजट में वित्तीय धनराशि की अनुपलब्धता आदि है।

गैर विधायकों को विधायक निवास का कथित आवंटन तथा उनके प्रवेश द्वारों पर प्रवेश पत्र जारी करने की मांग

*20–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ में इस समय कितने ऐसे विधायक निवास हैं जिनमें विधायकों के अतिरिक्त किसी भी गैर विधायक को आवास आवंटित नहीं है ? क्या शासन विधायकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इन विधायक निवासों के प्रवेश द्वारों को नियन्त्रण में लेकर हर आने जाने वाले व्यक्ति को पास देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

ऐसा कोई विधायक निवास नहीं है जिसमें विधायकों के अतिरिक्त किसी भी गैर विधायक को आवास आवंटित न किया गया हो ।

जी नहीं । विधायक निवासों के प्रवेश द्वारों को नियंत्रण में लेकर हर आने जाने वाले को पास देने की व्यवस्था व्यवहारिक दृष्टि से भी सम्भव नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश सरकार के मंत्री/अधिकारीगण द्वारा विदेश यात्रा के दौरों पर हुआ व्यय

1–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में उत्तर प्रदेश सरकार के किन-किन मंत्रियों व अधिकारियों ने किस उद्देश्य से विदेश यात्रा की थी ? इस हेतु प्रत्येक मंत्री/अधिकारी को क्रमशः किस दर से कितने रुपयों का यात्रा भत्ता व अन्य संबंधित भत्ते भुगतान किए गए ? इन दौरों में क्रमशः कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ? सरकार ने इन खर्चों में नियंत्रण हेतु क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सम्पूर्ण सूचना एकत्र नहीं हो पाई है । वांछित सूचना बहुत ब्यौरे की है, जो विभागाध्यक्षों द्वारा भी मंडल व जिला स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध करायी जानी है ।

2—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बरेली के बिक्रीकर श्री अमर नाथ अग्रवाल के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

3—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बरेली में 81-82 में तैनात बिक्रीकर अधिकारी श्री अमरनाथ अग्रवाल के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 578 दि0 19-12-85 मा0 मुख्य मंत्री को ता0 19-12-85 को मिला है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन-जिन विन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है क्या उपरोक्त जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, किन्तु पत्र दिनांक 17-12-85 का है ।

माननीय विधायक को शासन के पत्र दिनांक 16-6-87 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कर दिया गया है ।

4—श्री यदुनाथ सिंह—

[दि0 10-3-87 को अता0 प्र0 सं0 18 द्वारा उत्तरित]

बेसिक शिक्षा परिषद्, बस्ती द्वारा सार्व0 निर्माण विभाग को प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु दिया गया धन

5—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत भनवापुर ब्लाक के जूनियर हाई स्कूल पिड़रियाजीत, प्रा0 पाठशाला तेंतरी तथा प्रा0 पा0, महनुआ का भवन बनाने हेतु सम्पूर्ण धन बेसिक शिक्षा परिषद् ने पिछले दो वर्ष पहले सा0 नि0 वि0 बस्ती को दिया था ? यदि हां, तो इन भवनों की क्या प्रगति है और अब तक कितना निर्माण कार्य इन स्कूलों का कराया गया तथा इन प्राइमरी स्कूलों तथा जूनियर स्कूलों को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जूनियर हाई स्कूल, पिड़रियाजीत के भवन निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को बेसिक शिक्षा परिषद् से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है अतः प्रश्नगत भवन के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता है । दिसम्बर, 1983 व जनवरी, 1984 में बेसिक शिक्षा परिषद् से जनपद बस्ती के 42 प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण

हेतु धन तथा उससे निर्मित होने वाले स्कूलों की सूची प्राप्त हुयी थी । इस सूची में प्रायमरी पाठशाला तेतरी तथा महनुआ के भी नाम थे । इन स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु प्रति स्कूल के लिये जो धन बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा उपलब्ध कराया गया था वह प्रति स्कूल भवन की निर्माण लागत से कम था। अतः प्राप्त धनराशि से जितने स्कूल भवनों का निर्माण कराया जाना सम्भव था, उतने भवनों का ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया ।

तद्नुसार प्रायमरी स्कूल महनुआ का भवन निर्माणाधीन है । भवन छत तक पूरा कर लिया गया है और इसी वित्तीय वर्ष में उसे पूरा कर दिया जायेगा ।

धन की कमी के कारण प्रायमरी पाठशाला तेतरी का भवन निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया है । भवनों के निर्माण पूरे करने के लिये आवश्यक अतिरिक्त धन बेसिक शिक्षा परिषद् से प्राप्त करने हेतु आगणन तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती को 3 नवम्बर, 1986 को उपलब्ध करा दिया गया है । यह धन प्राप्त होते ही प्रायमरी पाठशाला, तेतरी के भवन निर्माण को भी प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

6–श्री आसान सिंह–

[1ले बुधवार में अता0 प्र0 सं0 167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

7–श्री काशी सिंह एरी–

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

फर्म सुन्दर प्रिंटिंग प्रेस बनाम बिक्रीकर सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

8–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ ने निर्णय दि0 1-1-86 सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 740 आफ 1985 फर्म सुन्दर प्रिंटिंग प्रेस बनाम आयुक्त बिक्रीकर दिया है और धारा 21 के अन्तर्गत पारित आदेश को रद्द किया ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 803 ए मुख्य मंत्री जी को ता0 28-5-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

पत्र का उत्तर मा0 विधायक जी को दिया जा चुका है ।

प्रान्तीय खण्ड गोण्डा में छटनीशुदा एजेन्टों की संख्या एवं समायोजन

9–श्री सतीश अजमानी–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रान्तीय खण्ड गोण्डा में वर्ष 1974 में कितने वर्क एजेन्ट की छटनी की गई थी और इनमें से कितने वर्क एजेन्ट (कर्मचारियों) को सेवायोजित किया जा चुका है ? क्या यह सही है कि इन्हें ज्येष्ठता के आधार पर सेवायोजित न करके कनिष्ठ कर्मचारियों तथा नई नियुक्तियां की गई है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है और इसके विरुद्ध क्या कार्य-

वाही की जा रही है ? क्या उक्त ज्येष्ठ छटनी शुदा वर्क एजेन्टों का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इनकी पुनः नियुक्ति शासन करेगा ? क्या इससे संबंधित आपके आदेश संख्या 1141/बी0 आई0 पी0/86 दिनांक 28-10-86 पर क्या सम्बन्धित कर्मचारी को पुनः सेवायोजित किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1974 में इस खण्ड के 42 वर्क एजेन्टों की छटनी हुई थी । इनमें से एक वर्क एजेन्ट को समायोजित किया गया है। वर्ष 1982 में केवल एक छटनीशुदा कनिष्ठ कर्मचारी की नियुक्ति की गयी है, क्योंकि इससे वरिष्ठ कोई भी छटनीशुदा वर्क एजेन्ट उस समय उपलब्ध नहीं हुए तथा इसके बाद वर्क एजेन्ट की कोई नयी नियुक्ति नहीं की गई है । इसलिए उत्तरदायित्व निर्धारण करने तथा इसके लिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

ज्येष्ठ छटनीशुदा वर्क एजेन्टों से कोई प्रार्थना पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिए नई नियुक्ति करने पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के नेशनल पार्कों तथा सुरक्षित वनों में बाघों की हुई मृत्यु के कारण एवं संख्या का विवरण

10–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में प्रदेश में वर्षवार किन-किन नेशनल पार्कों तथा सुरक्षित वनों में कितने-कितने बाघों की मृत्यु किन-किन कारणों से हुई है ? क्या यह सही है कि पिछले कुछ दिनों से बाघों की मृत्यु में बढ़ोत्तरी हुई है साथ ही सुरक्षित वनों में अन्य जानवरों का भी शिकार अवैधानिक रूप से काफी हद तक खेला जाने लगा है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन हैं और इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी) —

गत पांच वर्षों में वर्ष 1982 से 1986 तक प्रदेश में नेशनल पार्कों तथा सुरक्षित वनों में निम्न कारणों से उनके सम्मुख दिए गए बाघों की मृत्यु हुई है :—

1982.

नेशनल पार्कों में— कोई बाघ नहीं मारा गया ।

सुरक्षित वनों में— अवैध रूप से 4, स्वाभाविक मृत्यु से 3, अज्ञात कारण-2, पानी में डूबकर-1, आपस में लड़कर 1, ग्रामवासियों द्वारा आत्मसुरक्षा-2, तथा मानवभक्षी-2 बाघ मारे गये । मरे बाघो की कुल संख्या-15)

1983

नेशनल पार्कों में— कोई बाघ नहीं मारा गया ।

सुरक्षित वनों में— अवैध रूप से-4, स्वाभाविक मृत्यु से-2, आपस में लड़कर 3, ग्रामवासियों द्वारा आत्म सुरक्षार्थ-3, मानवभभी-2,
(कुल मरे बाघों की संख्या–14)

1984

नेशनल पार्कों में–स्वाभाविक मृत्यु से–
दुधवा राष्ट्रीय पार्क में–1,
कार्बेट राष्ट्रीय पार्क में–1,
अज्ञात दुधवा पार्क–1,

सुरक्षित वनों में–
स्वाभाविक मृत्यु से–7
आपस में लड़कर–1,
मानवभक्षी–2,
अज्ञात–1,
कुल मरे बाघों की संख्या–14,

1985

नेशनल पार्कों में–
आपस में लड़कर–कार्बेट राष्ट्रीय पार्क में–1,
मानवभक्षी घोषित होने से–दुधवा राष्ट्रीय पार्क में–1,

सुरक्षित वनों में–
अवैध रूप से–4,
स्वाभाविक मृत्यु से–2,
पानी में डूबकर–1,
लड़कर–1,
मानवभक्षी–1,
ग्रामवासियों द्वारा आत्मसुरक्षार्थ–1,
(कुल बाघों की संख्या–12)

1986

नेशनल पार्कों में–
रेल से कटकर दुधवा पार्क में–1
सुरक्षित वनों में–
अवैध रूप से–5,
स्वाभाविक मृत्यु–1,
पानी में डूबकर–1,
आपस में लड़कर–1,
मानवभक्षी घोषित होने पर–2,
अज्ञात–5
(जिसमें 5 कंकाल शामिल है यह कंकाल काफी पुराने है यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि ये 1 या 2 वर्ष पुराने है या इससे अधिक कुल मरे बाघों की संख्या–16, यदि 5 कंकालों को पुराने माना जाता है तब मारे गये बाघों की संख्या–11 है)

गत वर्ष बाघों की मृत्यु (5 कंकालों को छोड़कर क्योंकि इनके मरने का समय निश्चित नहीं है) इसके पूर्व वर्षों वर्ष 1982, 1983 के मुकाबले में बहुत अधिक नहीं है। यह सही नहीं है कि सुरक्षित वनों में अन्य जानवरों का अवैधानिक शिकार काफी हद तक बढ़ा है। अवैध शिकार पर बहुत कड़ा नियंत्रण है और अवैध शिकार की घटनाएं यदा-कदा ही होती है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि गत 5 वर्षों में वर्ष 82 से वर्ष 86 तक बाघों की मृत्यु विभिन्न कारणों से हुई है। जहां तक अवैध रूप से बाघों की मृत्यु का प्रश्न है, पहले तो ऐसी घटनाएं होती ही कम है और जब कभी बाघ अवैध रूप से मारा जाता है तो विभागीय कर्मचारियों द्वारा अभियुक्तों का पता लगाया जाता है और अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है अभियुक्तों को दण्ड दिलाने हेतु ऐसे मामले न्यायालय में भेजे जाते हैं।

सुरक्षित वन क्षेत्रों में जहां वन्य जीव संरक्षण संगठन का स्टाफ नियुक्त है। स्टाफ द्वारा निरन्तर अवैध चोर शिकारियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

रपटे के निर्माण कार्य में स्वीकृत धन का उपयोग न होना

11–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी जिले के गुरूसराय कोटरा मार्ग पर बेतवा नदी पर रिपटा बनाये जाने हेतु रिपटा की कुल लागत छत्तीस लाख में से वर्ष 1986-87 हेतु नौ लाख रुपये दिये जाने का प्राविधान बजट में किया गया था? यदि हां, तो क्या शासन ने उक्त नौ लाख रुपये संबंधित खण्ड को दे दिये हैं? यदि हां, तो अब तक रिपटा निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

चूंकि प्रश्नगत रपटे का निर्माण तकनीकी दृष्टिकोण से अनुपयोगी एवं असुरक्षित पाया गया, इसलिए निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका और बजट की धनराशि का उपयोग नहीं हो पाया।

निदेशक मत्स्य के पद पर वैकल्पित व्यवस्था

12–श्री मूलचन्द–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निदेशक मत्स्य की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन अथवा सरकार द्वारा गठित चयन समिति से न कराये जाने का क्या कारण है?

श्री सीताराम निषाद–

लोक सेवा आयोग के निदेशक के पद को अपनी परिधि से निकालने संबंधी सेवा नियमावली पर सहमति दे दी है, जिसके प्रख्यापन की कार्यवाही की जा रही है। नियमावली के प्रख्यापित होते ही नियमानुसार गठित चयन समिति से चयन करा कर पद को भर लिया जायगा। फिलहाल विभाग के एक मात्र स्थाई उप निदेशक को, लोक सेवा आयोग से नियमित नियुक्ति होने तक अनुमोदित अस्थाई आधार पर अल्पकाल हेतु निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है।

स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासन की सामान्य नीति

13–श्री राम लाल–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सचिवालय के किसी एक विभाग/अनुभाग में किसी कर्मचारी को लगातार 10 वर्ष के अधिक समय तक न रखे जाने के संबंध में शासन के कोई आदेश हैं ? यदि हां, तो पर्वतीय विकास विभाग में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो एक ही अनुभाग/विभाग में लगातार 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या सरकार इन्हें तुरन्त अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रवर वर्ग सहायकों के एक ही शाखा में 10 वर्ष तक निरन्तर कार्यरत रहने के उपरान्त अन्यत्र स्थानान्तरित करने की शासन की सामान्य नीति है । पर्वतीय विकास विभाग में सम्प्रति 6 ऐसे प्रवर वर्ग सहायक हैं जो 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं । विभाग के विकास संबंधी कार्यों की दृष्टि से इन सभी को तुरन्त स्थानान्तरित किया जाना जनहित में उचित नहीं है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के वृत्तीय कार्यालयों में लिपिकों के स्थायीकरण का मामला

14–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्तीय कार्यालयों में कार्यरत ऐसे कितने लिपिक हैं जिनका सेवा काल 3 वर्ष से अधिक हो चूका है परन्तु अभी तक स्थाई नहीं किए गए ? इनमें से ऐसे कितने हैं जिनकी सेवा अवधि एक पद पर कार्य करते हुए 5 वर्ष से भी अधिक हो चुकी है ? 3 वर्ष से अधिक सेवारत लिपिकों को अभी तक स्थाई न करने का क्या कारण है और कब तक उन्हें स्थाई कर दिया जाएगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्तीय कार्यालयों में कार्यरत ऐसे लिपिक जिनका सेवा-काल 3 वर्ष से अधिक हो चुका है, परन्तु अभी तक स्थाई नहीं किये गए, की संख्या–173 है ।

इनमें से ऐसे लिपिक जिनकी सेवा अवधि एक पद पर कार्य करते 5 वर्ष से भी अधिक हो चुकी है, की संख्या–66 है ।

स्थायीकरण हेतु स्वीकृत पद 50 उपलब्ध हैं तथा (रिजल्टैन्ट) रिक्त होने वाले 52 पद हैं । कुल 102 पदों पर ही स्थायीकरण किया जाना है ।

(1)–स्वीकृत 50 पदों पर स्थायीकरण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर विचाराधीन है ।

(2)–शेष (रिजल्टैन्ट) रिक्त होने वाले 52 पदों पर स्थायीकरण तभी सम्भव हो सकेगा, जब कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2, वरिष्ठ सहायक व वरिष्ठ लिपिक अपने-अपने पदों पर स्थायी हो जाएं तथा उनके द्वारा निम्न पद रिक्त कर दिए जाएं । इनकी ज्येष्ठता का मामला विवादास्पद है तथा न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही इन पदों पर स्थायीकरण किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

15–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[2रे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ की चोरी गई जीप के मूल्य की वसूली का निर्णय

16–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में वि0 निर्माण इकाई मार्ग–2 लखनऊ में एक नयी जीप एक अधि0 अभियन्ता के आवास से चोरी चली गई थी ? यदि हां, तो इसके लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार दोषी अधिकारी से क्षतिपूर्ति कराये जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

मामले की जांच करने हेतु एक जांच कमेटी गठित की गई, जिसकी जांच आख्या प्राप्त हो गई है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जीप के पूर्ण पुस्तकीय मूल्य की वसूली का निर्णय लिया गया है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रतिनियुक्ति के आधार पर कथित नियुक्ति

17–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 विभाग में अवर अभियन्ताओं के पद पर प्रति नियुक्ति कर दूसरे विभाग के अवर अभियन्ता लिए जाने की नीति है? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या इस नीति का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है ।

प्राविधिक शिक्षा व्याख्याताओं का नियमितीकरण की मांग

18–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासनादेश सं0 1915/1981-कार्मिक–1 दिनांक 22-3-1984 के आधार पर 1-5-1983 तक राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती से की गयी तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण कर दिये जाने के आधार पर प्राविधिक शिक्षा के व्याख्याताओं का नियमितीकरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक नियमित कर दिये जायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

एसे 11 व्याख्याताओं को विनियमित किया जा चुका है। अन्य मामलों का परीक्षण किया जा रहा है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में आवास विकास के अवर अभियन्ता की कथित प्रतिनियुक्ति की छानबीन

19–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में अक्टूबर, नवम्बर, 1986 में आवास विकास परिषद् के किसी अवर अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति की गयी थी? यदि हां, तो क्यों ? जिस कार्य के लिये यह प्रतिनियुक्ति की गई है क्या उस क्षमता का कोई अवर अभियन्ता सा0 नि0 वि0 में उपलब्ध नहीं था? क्या मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिलेखों के अनुसार एसी कोई प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। तथापि, मामले की और छानबीन की जा रही है ।

20–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

21–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

दारुलशफा बी ब्लाक में लिफ्ट लगाना तथा आवागमन की व्यवस्था

22–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या शासन दारुलशफा बी-ब्लाक में एक और लिफ्ट लगाने पर विचार कर रहा है ? क्या बी-ब्लाक के किसी बरामदे को दीवाल उठाकर बन्द करने से विधायकों का रास्ता अवरुद्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और उक्त दीवार कब तक हटा दी जावेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । प्रश्नगत कार्य रुकवा दिया गया है तथा आवागमन चालू है। यदि इस कार्य से आवागमन में किसी कठिनाई की सम्भावना होगी तो कार्य नहीं कराया जायेगा ।

दारुलशफा स्थित विधायक निवास–2 में व्यवस्था हेतु कर्मचारियों की संख्या

23–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विधायक निवास–2 दारुलशफा में इस समय जितने कर्मचारी पद नाम सहित कार्यरत हैं, क्या वह संख्या मानक के अनुसार पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो विधायक निवास-2 में अव्यवस्था, अस्वच्छता तथा चमन (पार्क) के रख-रखाव की व्यवस्था में कमी क्यों है ? क्या सरकार मानक के अनुरूप कर्मचारियों की पूर्ति कर उक्त व्यवस्था को अविलम्ब दूर करेगी? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दारुलशफा स्थित विधायक निवास–2 नया तथा पुराना में 1-6-87 को कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या पद नाम सहित निम्नवत् है :—

मैनेजमेन्ट आफिसर	1
मैनेजर	2
पूछताछ लिपिक	1
कुक	4
माली	2
टेलीफोन अटेन्डेंट	7
साइकिल चौकीदार	1
चौकीदार	4
लिफ्टमैन	3
चपरासी	1
भिश्ती	3
फर्राश	19
मसालची	4
बियरर	8
स्वीपर	9
बढ़ई	2
कुर्सी बुनकर	2
दैनिक दर कर्मचारी की संख्या	42

कर्मचारियों की संख्या मानक के अनुसार पर्याप्त है फिर भी सत्र के दौरान कुछ दैनिक दर कर्मचारी और दे दिये जाते हैं ताकि व्यवस्था में यथासमय कमी न रहे।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद में यमुना नदी के शंकरपुर घाट पर पक्का पुल बनाने की मांग

24–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद और फिरोजाबाद को जोड़ने के लिये फिरोजाबाद फतेहाबाद मार्ग में यमुना नदी के शकरपुर घाट पर बने पेन्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाकर जोड़ेंगे ताकि दोनों तहसीलों का विकास हो सके? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इस स्थान पर पक्के पुल का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

संसाधनों की कमी की विवशता के कारण सम्भव नहीं है।

25–श्री विष्णु देव–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद आजमगढ़ को जनपद बलिया से जोड़ने हेतु पक्के पुल के निर्माण की मांग

26–श्री विष्णु देव–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ को जनपद बलिया से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग सोनाडीह (बलिया) अहिरूपुर (आजमगढ़) के बीच हाहा नाले पर पुल बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? क्या जनपद बलिया में सोनाडीह तक पक्की सड़क बन चुकी है तथा जनपद आजमगढ़ में अहिरूपुर तक सड़क पर खड़ंजा व मिट्टी का काम हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक स्वीकृत होकर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी, नहीं ।

जी, हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

27–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

[1ले बुधवार में अता0 प्र0 सं0 168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

28–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[1ले बुधवार में अता0 प्र0 सं0 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की मांग

29–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो स्थापना कब तक हो जायेगी?

श्रीमती दीपा–

जी नहीं ।

दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना का विषय भारत सरकार का है और उन्होंने सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले दूरदर्शन केन्द्रों में जनपद हरदोई को सम्मिलित नहीं किया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राज्य चीनी निगम इकाई धुधली, गोरखपुर के सामान्य प्रबन्धक, श्री सुदामा प्रसाद के विरुद्ध आरोप एवं मूल पद पर प्रत्यावर्तन

30–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई धुधली (गोरखपुर) के पूर्व सामान्य प्रबन्धक (श्री सुदामा प्रसाद श्रीवास्तव) के विरुद्ध भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, शासकीय आदेशों की अवहेलना इत्यादि के विषय में कई पत्र शासन को देकर खुली जांच की मांग की है ? यदि हां, तो अब तक आरोपों की जांच न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

घुघली इकाई के तत्कालीन सामान्य प्रबन्धक (श्री सुदामा प्रसाद श्रीवास्तव) के विरुद्ध मा0 विधायक के शिकायती-पत्र समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं।

मा0 विधायक के शिकायती पत्रों की उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा विभागीय जांच की गयी है । प्राथमिक जांचोपरान्त कतिपय मामलों पर श्री सुदामा प्रसाद श्रीवास्तव को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध विधिवत विभागीय जांच की जा रही है इसके लिये राज्य चीनी निगम मुख्यालय के मुख्य गन्ना विकास सलाहकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । सम्प्रति श्री सुदामा प्रसाद श्रीवास्तव को उनके मूल पद (मुख्य अभियन्ता) पर प्रत्यावर्तित कर निगम मुख्यालय में सम्बद्ध कर लिया गया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, इटावा को किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा देने के आदेश

31–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञानपुर इमामअली, औरैया, इटावा के किसानों से अधिग्रहीत की गयी भूमि के सम्बन्ध में किसानों को मुआवजा दिये जाने विषयक श्री नित्यानन्द स्वामी, सदस्य, विधान परिषद् के पत्र दिनांक 24 मार्च, 1987 (संलग्नक सहित) एवं 3 अप्रैल, 1987, सचिव, सा0 नि0 विभाग को एवं 3 अप्रैल, 1987 का पत्र जिलाधिकारी, इटावा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इन पत्रों की प्रमुख बातें क्या हैं एवं उन पर अब तक (दिनांक 13-4-87 तक) क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

उक्त पत्र में मुख्य रूप से यमुना नदी पर निर्माणाधीन शेरगढ़ घाट के पुल तक सड़क के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि के प्रतिकर के शीघ्र भुगतान की बात कही गई है। इन पत्रों के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कर प्रतिकर के भुगतान हेतु जिलाधिकारी, इटावा तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इटावा को निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के कतिपय सम्पर्क मार्गों को जोड़ने की मांग

32–श्री राम सागर राव–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बहराइच के विकास खण्ड-विशेश्वरगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा-निगोहा व अन्य कई गांव जैसे-गनेशपुर, मेभरिया, खानपुर मल्लेह, गेंधरिया आदि राजकीय सम्पर्क मार्ग (सड़क) से अलग-थलग पड़े हुए हैं ? क्या इसे सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने तथा इसके बीच पड़ने वाले "बिसुही" नामक नाले पर पुल बनवाने की कोई योजना जिला अथवा राज्य स्तर पर शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार उक्त कार्य का कराया जाना कब तक सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत ग्रामों में से केवल खानपुर मल्लोह ग्राम, विश्वेसरगंज तक खड़ंजा स्तर के मार्ग से तथा इसके आगे बहराइच तहसील एवं जनपद मुख्यालय से लोपित मार्ग से जुड़ा हुआ है। शेष ग्रामों के लिये अभी सम्पर्क मार्ग उपलब्ध नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत ग्रामों के लिए मार्गों का निर्माण व विसुही नाले पर पुल का कार्य जिला सेक्टर के अन्तर्गत आता है, जो जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

पर्वतीय क्षेत्र के प्राकृतिक वनों (भोजपत्र आदि) के सम्बर्ध्दन एवं विकसित करने की मांग

33–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 के सीमान्त जनपदों में एक निश्चित ऊंचाई (7000 फुट)के बाद प्रसिद्ध भोजपत्र के व्यापक जंगल हैं? यदि हां, तो भोजपत्र के इन प्राकृतिक जंगलों के लगातार कम हो रहे क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए, इनके संबर्धन एवं विकास के लिये राज्य सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं?

क्या सरकार भोजपत्र के (लेखन) पत्रों के उत्पादन, विपणन और विक्रय हेतु अत्याधुनिक तकनीक विकसित कर स्थानीय लोगों को शीघ्र उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जफर अली नकवी–

जी हां। भोजपत्र उत्तर प्रदेश के सीमान्त जनपदों में लगभग 10 हजार फीट से ऊंचाई के बाद प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र के प्राकृतिक वनों, जिनमें भोजपत्र के जंगल भी सम्मिलित हैं, के सम्बर्धन एवं विकास के लिए राज्य सरकार ने 1000 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों में स्थित समस्त हरे वृक्षों के व्यापारिक पातन पर रोक लगा दी है।

ऐसी कोई योजना नहीं है। भोजपत्र के वन दुर्गम पहाड़ियों में सीमित क्षेत्र में ही स्थित हैं। इनसे कागज बनाने का कार्य आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक नहीं होगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितिकरण की मांग

34–श्री शूरबीर सिंह सजवाण–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं व गढ़वाल मण्डल में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्कचार्ज में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी हैं जिनको लगातार सेवारत रहते हुये आठ वर्ष या इससे अधिक हो गया है, परन्तु अभी तक उन्हें नियमित/स्थाई घोषित नहीं किया गया है? यदि हां, तो इस संदर्भ में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टेहरी गढ़वाल के कतिपय विकास खण्डों के भूस्खलन से प्रभावित गांवों को अन्यत्र पुनर्वासित करने की व्यवस्था

35–श्री शूरबीर सिंह सजवाण–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड जखोली, जाखणीधार, देवप्रयाग की मिलती हुई सीमाओं में दिनांक 17 व 18 जुलाई, 1986 को भयंकर भूस्खलन हुआ था जिसमें उपरोक्त क्षेत्र में वन विभाग की (कच्ची, असुरक्षित व खतरनाक रूप से पूर्व में ही भुस्खलन से प्रकोपित) वन भूमि में भूस्खलन होने के कारण भारी मात्रा में चट्टानों के टूटने, पेड़ों के टूटने, पत्थरों व मिट्टी के खिसकने से भयावह **घटना घटी थी ? यदि हां, तो प्रभावित ग्रामवासियों को वन विभाग द्वारा सुरक्षित स्थान पर वन भूमि व क्षतिपूर्ति देने हेतु अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?**

श्री जफर अली नकवी–

जी हां । **जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड जखोली, जाखणीधार, देवप्रयाग की मिलती हुयी सीमाओं में तहसील देवप्रयाग के विकास खण्ड जखोली की पट्टी वागंर के कई ग्रामों को दिनांक 17 व 18 जुलाई, 1986 को अतिवृष्टि से हुयी भूस्खलन के कारण व्यापक रूप से क्षति हुई है ।**

उपरोक्त घटना से लगभग 12 ग्राम प्रभावित हुये थे जिनमें से 6 ग्रामों, सिरवाड़ी, लिसवाल्टा, पुजारगांव, जखवाड़ी तल्ली/मल्ली की हरिजन बस्ती, हरिजन बस्तीकोट तथा रहड़ को अधिक क्षति हुयी है । इन ग्रामों की नाप भूमि के अतिरिक्त समीपवर्ती वन क्षेत्र में भी व्यापक भूस्खलन हुआ है । भूस्खलन तथा इससे हुयी क्षति का एक मात्र कारण अतिवृष्टि तथा बादल फटने की दैवी घटना है ।

क्योंकि भूस्खलन का कारण बादल फटने व अतिवृष्टि की दैवी घटना है, अतः **वन विभाग द्वारा क्षति पूर्ति किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है । जहां तक सुरक्षित स्थान पर बदले में वन भूमि देने का प्रश्न है, राजस्व विभाग ने भूगर्भशास्त्री से प्रभावित** ग्रामों का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया है । भूगर्भशास्त्री ने उपरोक्त 6 ग्रामों के अन्यत्र पुनर्वासन **की संस्तुति की है । इसके पश्चात राजस्व तथा वन विभाग ने पुनर्वासन हेतु सुरक्षित भूमि के चयन के लिए संयुक्त निरीक्षण किये हैं । वर्तमान स्थिति यह है कि प्रभागीय वना**धिकारी, टिहरी वन प्रभाग द्वारा जिलाधिकारी, टिहरी से अनुरोध किया गया है कि वे **अधिक प्रभावित ग्रामों के पुनर्वास हेतु वन विभाग से भूमि विनिमय के औपचारिक प्रस्ताव बनाकर भेजें ।**

झांसी और जालौन जिले के बीच बेतवा नदी पर रपटे के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

36–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि झांसी और जालौन जिले के बीच कोटरा के निकट बेतवा नदी पर जो रिपटा इस वर्ष स्वीकृत हुआ है उसका आधे से अधिक भाग

झांसी जिले में पड़ता है ? इस आधार पर क्या जो धन जालौन जिले को आवंटित किया गया है उसमें से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अस्थाई खण्ड झांसी के क्षेत्र में होने वाले कार्य हेतु धन आवंटित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

चूंकि प्रश्नगत रपटे के निर्माण की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2289–ई/23–सा0 नि0 अनु0–11–309 ई/85 दिनांक 17-9-86 के द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद जालौन के लिए ही 36.00 लाख रुपये की लागत पर प्रदान की गई है, अत: प्रशासनिक दृष्टिकोण से अस्थाई खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झांसी को कोई धन आवंटित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

37–श्री यदुनाथ सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

फर्म इन्दरमल त्रिलोक नाथ बनाम आयुक्त बिक्रीकर के निर्णय के अनुसार कार्यवाही

38–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ ने निर्णय दि0 16-8-85 एस0 टी0 आर0 संख्या 160 आफ 1985 फर्म इन्दरमल त्रिलोकी नाथ बनाम आयुक्त बिक्रीकर में दिया है और धारा 21 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही को रद्द किया है और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 5071 दि0 29-12-86 को मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

उक्त पत्र का उत्तर दे दिया गया है।

फर्म राकेश कोल एजेन्सी की बिक्रीकर सम्बन्धी पंजीयन प्रमाण-पत्र

39–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड 9 में फर्म राकेश कोल एजेन्सी ने वर्ष 82-83 व 83-84 के लिए पंजीयन प्रार्थना-पत्र जून, 1982 में दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। दिनांक 14-6-82 को दिया था। व्यापारी को पंजीयन प्रमाण-पत्र दिनांक 1-6-82 से प्रभावी जारी किया गया।

40–श्री यदुनाथ सिंह–

[व्यक्तिगत दोषारोपण होने के कारण निरस्त]

श्री वी0 एन0 मिश्र शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) आजमगढ़ के प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर पुनः नियुक्ति तथा नवीन नियुक्ति का मामला विचाराधीन

41–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पद पर कार्यरत व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप में दिसम्बर सन् 1984 में सेवामुक्त कर दिया गया था परन्तु वह आज भी उसी पद पर कार्यरत है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जनपद आजमगढ़ में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के पद धारक श्री वी0 एन0 मिश्र को वर्ष 1984 में पदमुक्त करने का निर्णय लिया गया था परन्तु श्री मिश्र द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त उन्हें जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) के पद पर कार्यरत रखा गया। तदोपरान्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के पद पर नवीन नियुक्ति के प्रस्ताव मांगे गये। नवीन नियुक्ति होने तक श्री वी0 एन0 मिश्र जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) के पद का कार्य कार्यहित में देख रहे हैं।

42–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि नई नियुक्ति हेतु जिला प्रशासन आजमगढ़ ने जून सन् 1985 में पैनल शासन को भेजा है? क्या नयी नियुक्ति से संबंधित फाइल मुख्य मंत्री के विचारार्थ जून सन् 1985 से लम्बित है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

नवीन नियुक्ति का पैनल मई, 1986 में प्राप्त हुआ है परन्तु पत्रावली में कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया जा सका है क्योंकि पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों के विषय में मांगी गई अतिरिक्त सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

सचिवालय सुरक्षा दल पर गेट खोलने एवं बन्द करने का दायित्व

43–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सचिवालय प्रशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य भवन के गेट नं0 9 के ताला चाभी का दायित्व सशस्त्र पुलिस पर रहता है? यदि हां, तो 27 नवम्बर, 1982 को हुए सचिवालय काण्ड के सिलसिले में श्री प्रेम नारायन तिवारी नामक सुरक्षा गार्ड पर ताला बन्द करने का आरोप लगाकर उसकी सेवा समाप्त करने का क्या औचित्य है? क्या इस पर पुनः विचार कर उसे सेवा में लिए जाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

सचिवालय के मुख्य भवन के गेट नम्बर–9 को खोले जाने व बन्द करने का दायित्व जब तक भवन बन्द नहीं होता, सचिवालय सुरक्षा दल पर होता है। गेट बन्द हो जाने के पश्चात् ही गेट नम्बर–9 की चाभी सचिवालय में नियुक्त सशस्त्र पुलिस को दी जाती है।

श्री प्रेम नारायण तिवारी ने दिनांक 27 नवम्बर, 1982 को अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होने के पश्चात् प्रातः 10.05 बजे गेट नम्बर–9 का ताला बन्द कर दिया तथा गेट से अपनी ड्यूटी छोड़कर चले गए। इस घोर अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य विमुखता के कारण उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं।

जी नहीं।

राजकीय कोषाध्यक्षों की सेवा नियमावली के प्रकाशन न कराये जाने का औचित्य

44–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कोषाध्यक्षों की सेवा नियमावली प्रकाशित की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों तथा यह कब तक प्रकाशित करा दी जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

ठेकेदारी पर आधारित राजकीय कोषाध्यक्ष संस्था अब समाप्त की जा चुकी है, अतः उनकी सेवा नियमावली प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं रह गई है।

45–श्री राम आसरे वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कतिपय अधिकारियों द्वारा दल विशेष हेतु सामग्री मुद्रित कराने सम्बन्धी कथित आरोप

46–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चुनाव में दल विशेष के लिए एक करोड़ रुपए की चुनाव सामग्री छपवाने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को सतर्कता विभाग ने दोषी पाया है? यदि हां, तो इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यूकेलिप्टस के पेड़ों की अधिकतम आयु सीमा

47–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवासीय क्षेत्रों की सड़कों पर लगे यूकिलिप्टस के पेड़ अधिकतम कितने दिनों बाद सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से काट दिए जाने चाहिए ? क्या फैजाबाद रोड, लखनऊ से कुकरैल पिकनिक स्पाट को जाने वाली सड़क, जो इन्दिरा नगर की घनी आबादी के बीच से गुजरती है, पर लगे यूकिलिप्टस के पेड़ अति विशालकाय तथा जीर्ण होने के कारण उक्त सड़क के किनारे के भवनों के लिए खतरा बन चुके हैं? यदि हां, तो क्या सरकार नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें कटवाकर दूसरे छायादार वृक्ष लगवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जफर अली नकवी–

आवासीय क्षेत्रों की सड़कों पर लगे यूकिलिप्टस के पेड़ों के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कटान हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

जी नहीं। ऐसे वृक्षों से फिलहाल कोई खतरा प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता ।

रत्ना शुगर मिल्स, शाहगंज, जौनपुर पर गन्ना किसानों की बकाया धनराशि तथा भुगतान की कार्यवाही

48–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी तथा श्री राम नरेश यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रत्ना शुगर मिल्स शाहगंज, जिला–जौनपुर पर गन्ना किसानों का कितना रुपया बकाया है? बकाया धन के भुगतान के लिए सरकार की ओर से कौन से प्रयत्न तथा कार्यवाही की गई है ? भुगतान कब तक हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

रत्ना शुगर मिल्स, शाहगंज, जिला–जौनपुर पर गन्ना किसानों का 70.77 लाख रुपया भुगतान हेतु बकाया है। बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए चीनी मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है, जिस पर जिलाधिकारी, जौनपुर के स्तर पर कार्यवाही चल रही है।

जनपद इटावा में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर के भुगतान की कार्यवाही

49–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के महत्वपूर्ण आदेश संख्या 7–4(9)/86-114-राजस्व-13, दिनांक 7 मार्च, 1987 के माध्यम से समस्त विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दिये गये हैं कि उनके विभाग द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि के प्रतिकर का भुगतान किये जाने हेतु, उस क्षेत्र के स्टैम्प पंजीयन शुल्क की दर से प्रतिकर की धनराशि प्रत्येक दशा में जून, 1987 तक, जिलाधिकारी को सौंप दी जाय तथा उसका तत्काल भुगतान उसके भूस्वामी को कर दिया जाय? यदि हां, तो मौजा ज्ञानपुर इमामअली, परगना औरैया, जनपद इटावा में सा0 नि0 विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान तदनुसार कब तक कर दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत भूमि के अर्जन हेतु धारा 4 व 6 की अधिसूचनायें जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है। अधिसूचनाओं के गजट में प्रकाशन तथा अभिनिर्णय घोषित होने के पश्चात् प्रतिकर का भुगतान किया जाना सम्भव होगा।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ की कार्यशाला एवं संगोष्ठी में स्वास्थ्य सचिव के भाषण पर कथित आरोप

'50–श्री सत्य प्रकाश विकल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 17 अक्तूबर, 1986 को लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में रेडियोलाजी विभाग द्वारा हिन्दी में आयोजित विकिरण संरक्षण संबंधी कार्यशाला एवं संगोष्ठी में जहां देश भर के लगभग 150 वैज्ञानिकों ने हिन्दी में अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किये वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव (श्री श्याम सूरी) ने अपने उद्घाटन भाषण में हिन्दी को अनुपयोगी बताते हुए गोष्ठी को अंग्रेजी में चलाये जाने की वकालत की जिससे गोष्ठी में भाग लेने आये वैज्ञानिकों में भारी उत्तेजना और क्षोभ हुआ और उन्होंने अपने असन्तोष से सरकार को भी अवगत कराया है? यदि हां, तो प्रदेश के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध राजभाषा हिन्दी की अवमानना तथा अवहेलना किये जाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

51–52–श्री महरम सिंह–

[2रे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 172-173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर में फर्जी बैनामों की संख्या एवं शासन द्वारा रोकने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन

53–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में वर्ष 1985-86 में हुए बैनामे कितने फर्जी पाए गए और उनमें से कितने अभियुक्तों को सजा हुई? क्या सरकार फर्जी बैनामा को रोकने हेतु कोई नियम बनाने का विचार कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद गोरखपुर में वर्ष 1985-86 में फर्जी बैनामों से सम्बन्धित कुल 49 मुकदमें पंजीकृत हुए। इनमें से 6 मामलों में आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया है, 4 मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गयी है और 2 मामले खारिज किये गये हैं। शेष 37 मामले पुलिस के विवेचनाधीन हैं। अभी किसी भी अभियुक्त को सजा नहीं हुई।

यह निर्णय लेने के लिए कि कोई बैनामा फर्जी है या नहीं केवल दीवानी न्यायालय सक्षम है। जहां तक रजिस्ट्रेशन विभाग का प्रश्न है इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं।

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन, पिपराइच में पेराई के उपरान्त की गई नियुक्ति का विवरण

54–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन के अन्तर्गत पिपराइच इकाई में गन्ना की पेराई 31 मार्च, 1985 को बन्द हो गयी थी? यदि हां, तो क्या पेराई बन्द होने के बाद उक्त इकाई में कुछ कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं? यदि हां, तो किन-किन पदों पर कुल कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी और इन नियुक्तियों की उपयोगिता एवं औचित्य क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की पिपराइच इकाई में गन्ने की पेराई सत्र 1984-85 के लिए दिनांक 6-2-1985 को समाप्त हो गयी थी। पेराई बन्द होने के उपरान्त रिक्त पद के विरुद्ध एक सुरक्षा दरबान के अतिरिक्त किसी भी पद पर कोई भी नई नियुक्ति नहीं की गयी थी।

संजय पेपर मिल, खलीलाबाद द्वारा जल प्रदूषण फैलाने के सम्बन्ध में अभियोजनात्मक कार्यवाही

55–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

प्रथम सत्र 86 के दूसरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न सं0 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय पेपर मिल खलीलाबाद के उत्प्रवाह में कौन-कौन से दूषित तत्व किस-किस मात्रा में पाये गये जिनसे आमी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है? क्या जल प्रदूषण अधिनियम के प्राविधानों का पालन न करने के आरोप में उपरोक्त उद्योग के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो अब तक न किये जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

संजय पेपर मिल, खलीलाबाद के उत्प्रवाह में सस्पेंडेड सालिड 356 मिलीग्राम प्रति लीटर तथा सी0 ओ0 डी0 1510 मिलीग्राम प्रति लीटर तथा बी0 ओ0 डी0 652.5 मिली ग्राम प्रति लीटर पायी गयी है, जो कि निर्धारित मानकों से कहीं अधिक है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों का पालन न करने के आरोप में उपर्युक्त उद्योग के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 33 व 44 के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक 24-3-86 तथा 5-3-87 को अभियोजनात्मक कार्यवाही संक्षस न्यायालय में प्रारम्भ की गयी है।

प्रदेश में एन0 पी0 3 के पाइपों का पुलिया बनाने में प्रयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

56–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाली पुलियों के निर्माण में एन0 पी0–3 के पाईपों का उपयोग करना

प्रतिबंधित कर दिया गया है? यदि हां, तो यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिबंधित अवधि में उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में कुल कितनी धनराशि के एन0 पी0–3 के पाईप खरीदे गये? शासन के निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद गोरखपुर में केवटली से सोनवरसा, पिपराइच मार्ग तक खड़न्जा लगाने की मांग

57–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर में केवटली से सोनवरसा पिपराइच मार्ग तक गन्ना विभाग द्वारा खड़न्जा लगाना प्रस्तावित था, जिसमें आधे मार्ग पर खड़न्जा लगाया जा चुका है और आधे पर खड़न्जा लगाना शेष है? यदि हां, तो क्या सरकार शेष मार्ग पर खड़न्जा लगवाने का आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत सड़क पर खड़न्जा लगाने का कार्य गन्ना विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित नहीं था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत डी0 आर0 डी0 ए0 ने वर्ष 1984-85 में केवटली से हेमधापुर 2 कि0 मी0 मार्ग पर खड़न्जा लगाने की स्वीकृति दी थी और इसका निर्माण कार्य गन्ना विभाग से कराया गया था। हेमधापुर से सोनवरसा पिपराइच के 3 किलोमीटर मार्ग के निर्माण हेतु डी0 आर0 डी0 ए0 से स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

जनपद गोरखपुर के कतिपय सड़कों के निर्माण में वित्तीय कठिनाई

58–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर में गन्ना विभाग द्वारा सोनराईच उर्फ बड़ा गांव से पोखरभिन्डा उर्फ चकदहा मार्ग पर दो वर्ष पूर्व से कंकड़ पड़ा हुआ है, जिससे जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत शीघ्र करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत सड़क के किनारों पर मरम्मत हेतु कंकड़ का एकत्रीकरण हुआ है। वित्तीय व्यवस्था के अभाव में सड़क मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा सका। वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित होने पर सड़क मरम्मत कार्य कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना

59–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में कितने और कौन-कौन से ग्राम 1500 व 1000 आबादी से अधिक एसे हैं जो पक्की सड़कों से नहीं जुड़ते हैं? इन ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना शासन द्वारा कब तक पूरी कर ली जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में 1500 से अधिक आबादी वाले 5 ग्राम

(1) नथुआ (2) भैसंहा (3) रामनगर (4) जंगल हरपुर (5) खरमहा बुजुर्ग तथा 1000 से 1499 तक की आबादी वाले 12 ग्राम

(1) चिलविलवा (2) परशुरामपुर (3) बगहा (4) हेमछापर (5) बरसौनी (6) रौंसड़बसड़िला (7) सेमरा (8) फतेहपुर (9) नारायनपुर दोयम (10) जंगल शेरवानी (11) आराजी शेरवानी (12) बूढ़ाडीह एसे हैं जो पक्की सड़कों से नहीं जुड़ते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 से अधिक आबादी वाले शत-प्रतिशत ग्राम तथा 1000 से 1499 तक आबादी वाले 50 प्रतिशत ग्राम वर्ष 1990 तक पक्के मार्ग से जोड़े जाने का लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति आवश्यक धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद गोरखपुर के कृषकों से खाद ऋण की समिति द्वारा की गई वसूली सहकारिता विभाग को स्थानान्तरित

60–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या गन्ना मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में केन यूनियन पिपराइच द्वारा सहकारिता के माध्यम से जो गन्ना किसानों को खाद ऋण पर दी गई थी उसका भुगतान गन्ना किसानों से केन यूनियन पिपराइच ने कर लिया है परन्तु यह धनराशि सहकारिता विभाग को स्थानान्तरित नहीं की गई जिसके कारण गन्ना किसानों पर धनराशि शेष रह गई है? यदि हां, तो सरकार उस धनराशि को केन यूनियन द्वारा सहकारिता को भुगतान कर गन्ना किसानों को ऋण से छुटकारा करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1975-76 से अब तक वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत सहकारी बैंक के माध्यम से गन्ना कृषकों को जो ऋण खाद के रूप में दिया गया था उसकी वसूली गन्ना कृषकों से करके समिति द्वारा भुगतान सहकारी बैंकों को कर दिया गया है। सम्बन्धित लेखाओं के मिलान करने के लिए आदेश दे दिये गये हैं।

61–श्री झिलमिट राम, श्री अवधेश प्रसाद–

[स्पष्टीकरण मांगा गया]

लखनऊ की मोतीझील सचिवालय कालोनी में सुचारु रूप से अनुरक्षण कार्य

62–श्री मयंकर सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अधीक्षण अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता अनुरक्षण खण्ड राजकीय कालोनियां (श्री जैदी व श्री प्रसाद) जवाहर भवन लखनऊ की लापरवाही व अदूरदर्शिता के कारण मोतीझील सचिवालय कालोनी में अनुरक्षण का कार्य शून्य हो गया है और वहां भूतल के आवासों में स्थायी सीलन व नल तथा सफाई की व्यवस्था भी लगभग न के बराबर है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह सही नहीं है कि मोतीझील सचिवालय कालोनी में अनुरक्षण कार्य शून्य हो गया है। अन्य कालोनियों की भांति इस कालोनी में भी अनुरक्षण कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। इस कालोनी में जल आपूर्ति लखनऊ जल संस्थान द्वारा की जाती है तथा जल संस्थान द्वारा निर्धारित समय में जो भी जल आपूर्ति होती है उसमें आवासों में यथासम्भव पानी बराबर उपलब्ध रहता है। कालोनी की सफाई का उत्तरदायित्व नगर महापालिका का है तथा आवासों के अन्दर की सफाई का उत्तरदायित्व स्वयं अध्यासी का होता है। अनुरक्षण सम्बन्धी जो भी शिकायत प्राप्त होती है उस शिकायत पर तुरन्त ही आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मोतीझील कालोनी के प्रत्येक आवास का स्टैण्डर्ड रेंट निर्धारित

63–श्री मयंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राम नगर, मोतीझील सचिवालय कालोनियों में एक ही समान के आवास में टंकक से लेकर अनुभाग अधिकारी तक रह रहे हैं जब कि उनसे वेतनमान के हिसाब से विभिन्न धनराशि की कटौतियां हो रही है, ऐसा क्यों? क्या सरकार ऐसे आवासों का कोई स्टैन्डर्ड किराया निर्धारित करने पर विचार करेगी जिससे सभी आवासियों से समान सुविधा वाले आवासों से समान किराया लिया जाय? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

मोतीझील कालोनी के आवास श्रेणी–2 के आवास हैं जो सचिवालय के टंकक/अवर वर्ग सहायकों के लिए हैं, लेकिन इन आवासों में कुछ अनुभाग अधिकारी तथा प्रवर वर्ग सहायक जिन्हें इससे उच्च श्रेणी के आवास अनुमन्य हैं, अपनी जटिल आवासीय समस्याओं के कारण अपनी सहमति से रह रहे हैं। इन सभी कर्मचारियों/अधिकारियों से उनके आवास का किराया मासिक परिलब्धियों का 10% अथवा आवास का स्टैण्डर्ड रेंट जो भी कम होता है, वसूल किया जाता है।

मोतीझील कालोनी के प्रत्येक आवास का स्टैण्डर्ड रेंट रुपया 106-80 प्रतिमाह निर्धारित है।

स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ की छात्र क्षमता एवं वर्षवार विवरण

64–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ अध्यापन छात्रावास की सुविधाओं की दृष्टि से कितने प्रशिक्षार्थियों की कैपेसिटी रखता है तथा वर्ष 1978-79 से अब तक कुल कितने-कितने प्रशिक्षार्थियों को वर्षवार प्रशिक्षण दिया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में 320 छात्रों के प्रशिक्षण की क्षमता है। 1978-79 से वर्षवार प्रशिक्षित छात्रों की संख्या की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 97 पर।)

65–66–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

[उ0 प्र0 सं0 169 व 171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आयुक्त बिक्रीकर द्वारा स्टेट एवार्ड के विवरण में की गई कथित अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर जांच की मांग

67–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि 1982-83 में स्टेट एवार्ड के लिए आयुक्त बिक्रीकर द्वारा मार्च, 84 में रुपया निकालने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 77 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 10-9-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है? इस मामले की जांच किस अधिकारी ने की थी एवं जांच में क्या पाया गया? वर्ष 1982-83 का स्टेट एवार्ड किस-किस अधिकारी को दिया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

68–69–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

70–श्री यदुनाथ सिंह–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

71–श्री यदुनाथ सिंह–

[उ0 मंगलवार के लिए स्थगित]

जनपद वाराणसी के कतिपय मार्गों को डामर लेपित कराने की मांग

72–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा बेलवां मार्ग व कारखीयांव मार्ग तथा पिंडरा जगदीशपुर मार्ग तह0 व जिला वाराणसी को कब तक डामर करके पूरा कर दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मार्गों को डामर लेपित कराने की सार्वजनिक निर्माण विभाग की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

जनपद वाराणसी के पिंडरा देवराई सराय मार्ग की स्वीकृति के अनुरूप कार्यवाही

73–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा देवराई सराय मार्ग तह0 व जिला वाराणसी के ऊपर बोल्डर व पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़े डाल दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग को डामर का बनवाने की आज्ञा प्रदान करेंगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। मार्ग की स्वीकृति के अनुरूप ही मिट्टी डाली गई है।

इस मार्ग को डामर लेपित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

श्री गोविन्द प्रकाश, ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक, निदेशालय मत्स्य, लखनऊ के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

74–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 19 फरवरी, 1986 श्री गोविन्द प्रकाश, ज्येष्ठ अनुसंधान सहायक, निदेशालय मत्स्य लखनऊ के विरुद्ध प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सीता राम निषाद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के पालीटेकनिकों में कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा के आरम्भ का समय एवं उत्तीर्ण छात्र

75–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य में कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा का पाठ्यक्रम किन-किन कालेजों में कब से पढ़ाया जा रहा है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अपने राज्य में कितने लोग उपरोक्त डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राज्य के पालीटेकनिकों में कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम निम्न सात पालीटेकनिकों में उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्षों से प्रारम्भ किया गया :–

1–चन्दौली पालीटेकनिक, चन्दौली (वाराणसी)	1973-74
2–राजकीय पालीटेकनिक, काशीपुर, (नैनीताल)	1975-76
3–जवाहर लाल नेहरू पालीटेकनिक, महमूदाबाद (सीतापुर)	1975-76
4–एम0 जी0 पालीटेकनिक, हाथरस (अलीगढ़)	1976-77
5–राजकीय पालीटेकनिक, गाजीपुर।	1978-79
6–राजकीय पालीटेकनिक, बिजनौर।	1979-80
7–हण्डिया पालीटेकनिक, हण्डिया (इलाहाबाद)	1980-81

राज्य के उक्त संस्थाओं से कृषि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु सत्र 1985-86 तक 902 छात्र उत्तीर्ण घोषित हो चुके हैं।

कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को राज्य सेवा में भर्ती की व्यवस्था

76–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को राज्य की किन-किन सेवाओं में लिये जाने का प्राविधान है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को राज्य की किसी सेवा में नहीं लिया जा रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शासनादेश सं0–663 ई0डी/18-घ-19(एम)ई0डी/78 दिनांक फरवरी 7, 1978 द्वारा कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स की राज्य के अधीनस्थ सेवाओं के उपयुक्त पदों पर भर्ती के लिये मान्यता प्रदान की गयी है।

कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों द्वारा समय-समय पर दिये गये ज्ञापन के अनुसार उनके सेवायोजन में कठिनाई का उल्लेख किया गया है।

77–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त डिप्लोमा धारकों को राजकीय सेवाओं में लिए जाने हेतु शासन द्वारा राजाज्ञा संख्या यू0 ओ0 87 ई0 डी/थ-19 (एम) ई0 डी0/78 जारी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसे लागू किया जा सका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, प्रश्न में संदर्भित शासन के यू0 ओ0 की संख्या–87 ई0 डी0/18-घ-79, दिनांक 28 मार्च, 1979 है।

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित पत्र द्वारा प्रसारित निर्देशानुसार कुछ सेवायोजन विभागों ने अपने अधीनस्थ सेवाओं के उपयुक्त पदों पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के निदेश जारी कर दिये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम की उपयोगिता

78–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा के पाठ्यक्रम को राज्य के विभिन्न निर्माण विभागों के प्रमुख अभियन्ताओं ने गलत एवं अपूर्ण बताया है और इसी कारण अपने विभागों में लेने से मना कर दिया है और इसी कारण राजाज्ञा लागू नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

निर्माण विभागों के कुछ प्रमुख अभियन्ताओं, जो भवन, मार्ग इत्यादि का निर्माण का कार्य कराते हैं, ने अपने विभागों के अधीनस्थ पदों के लिये कृषि इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को तकनीकी रूप से उपयोगी नहीं पाया । जिस उद्देश्य से कृषि अभियंत्रण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया था, उसके अनुसार पाठ्यक्रम गलत एवं अपूर्ण नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग लखीमपुर खीरी के कर्मचारियों का सेलेक्शन ग्रेड

79–श्री राम सजीवन–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय खण्डों अस्थायी खण्ड–1 और अस्थायी खण्ड नं0–2 सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखीमपुर खीरी में कुल कितने कर्मचारी 30 जुलाई, 86 तक शासनादेश के अन्तर्गत सलेक्शन ग्रेड प्राप्त करने के पात्र हैं और इन पात्र कर्मचारियों में से कुल कितने कर्मचारियों पर सेलेक्शन ग्रेड लागू किया गया ? जिन पात्र कर्मचारियों पर सेलेक्शन ग्रेड 30 जुलाई तक लागू नहीं हुआ है उसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी है ? सेलेक्शन ग्रेड कब तक लागू किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

30 जुलाई, 86 तक प्रान्तीय खण्ड, अस्थाई खण्ड नं0–1 तथा अस्थाई खण्ड नं0–2, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खीरी में 93 कर्मचारी सेलेक्शन ग्रेड पाने के पात्र थे । इन 93 पात्र कर्मचारियों में से 87 कर्मचारियों पर सेलेक्शन ग्रेड लागू कर दिया गया है ।

6 कर्मचारियों, जिनमें 5 अवर अभियन्ता तथा एक अवर अभियंता (प्राविधिक) हैं, पर सेलेक्शन ग्रेड इसलिए लागू नहीं किया जा सका क्योंकि उनके अभिलेख अप्राप्त हैं जिन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

अभिलेख प्राप्त होते ही सेलेक्शन ग्रेड नियमानुसार लागू कर दिया जायेगा ।

सार्व0 निर्माण विभाग (श्रमिक संघ) बांदा का शिकायती-पत्र

80–श्री राम सजीवन–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्री उ0 प्र0 सार्व0 निर्माण विभाग श्रमिक संघ, शाखा बांदा का पत्रांक 1/संघ/86-87 दिनांक 26-6-86 अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, सार्व0 निर्माण विभाग, बांदा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस शिकायती-पत्र में उल्लिखित किन-किन शिकायतों पर विभाग के किस अधिकारी द्वारा शिकायत कर्ता के समक्ष जांच कराई ? कौन-कौन सी शिकायतें सही पाई गयीं तथा इन शिकायतों के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि कोई जांच पड़ताल नहीं की गयी, तो क्यों और कब तक की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांदा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । श्रमिक संघ के अध्यक्ष को पत्र की प्रति उपलब्ध कराने को लिखा गया । पत्र की प्रति प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच एवं कार्यवाही की जायेगी ।

उ0 प्र0 सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्रमिक संघ कर्वी की समस्याओं/शिकायतों पर कृत कार्यवाही

81–श्री राम सजीवन–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सार्व0 निर्माण विभाग श्रमिक संघ शाखा कर्वी का पत्रांक–3 श्रमिक दिनांक 24-7-86 कार्य अधीक्षक, विभागीय निर्माण इकाई सार्व0 निर्माण विभाग, कर्वी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस पत्र में उल्लिखित विभागीय श्रमिकों की किन-किन समस्याओं और शिकायतों तथा मांगों पर विभाग द्वारा कौन-कौन सी कार्यवाहियां की गयी तथा कौन-कौन सी मांगों तथा समस्याओं पर कार्यवाही नहीं की गयी है और इसके क्या कारण हैं तथा कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

इस संबंध में विभागीय श्रमिकों की समस्याओं/शिकायतों तथा मांगों पर विभाग द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 98-99 पर)

सार्व0 निर्माण विभाग में विभागीय निर्देशों के बावजूद एम0 पी0–3 के पाइप खरीदने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

82–श्री अशोक बाजपेयी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने 20-3-87 को सचिव, सा0 निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 को लिखित रूप से एक शिकायती-पत्र दिया था जिसमें कि 21वां वृत्त के अंतर्गत आने वाले कार्य खण्डों में प्रतिबन्धित अवधि के बाद एन0 पी0–2 के स्थान पर एन0 पी0–3 के पाइप खरीदे गये हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक खण्ड में अलग-अलग कितनी धनराशि के एन0 पी0–3 के पाइप प्रतिबन्धित अवधि में खरीदे गये ? विभागीय निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रतिबन्धित अवधि में प्रत्येक खण्ड में निम्नलिखित धनराशि के एन0 पी0–3 के पाइप व कालर खरीदे गये :–

प्रान्तीय खण्ड, सीतापुर–12.19 लाख रु0
अस्थायी खण्ड, सीतापुर–3.12 लाख रु0
प्रान्तीय खण्ड, खीरी– शून्य
अस्थायी खण्ड, खीरी– शून्य
वि0 नि0 इकाई, हरदोई–13.00 लाख रु0
प्रान्तीय खण्ड, हरदोई–1.70 लाख रु0

कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :–

प्रान्तीय खण्ड, सीतापुर–अधिशासी/सहायक अभियन्ताओं, जिन्होंने यह आपूर्ति आदेश निर्गत किये, उनका स्टप्टीकरण मांगा गया है, प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अस्थायी खण्ड–सीतापुर :–तदैव

प्रान्तीय खण्ड, हरदोई :–संबंधित अधिशासी/सहायक अभियन्ताओं, जिन्होंने यह आपूर्ति आदेश निर्गत किये, का स्पष्टीकर मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

विभागीय निर्माण इकाई, हरदोई–ह्यूम पाइप व कालर खरीदने में अनियमितता करने व कुछ अन्य आरोपों के संबंध में श्री वी0 के0 बडेरा कार्य अधीक्षक को निलम्बित कर दिया गया है ।

83–श्री अशोक बाजपेयी–

[1 ले बुधवार में अता0 प्र0 सं0 115 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद की कतिपय औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण परिषद् द्वारा नोटिस

84–श्री बुधपाल सिंह "खुर्जावाले"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर में अंसल पेपर मिल, बिलाई सेठी केमिकल, हुकुमचन्द्र आयल मिल, ट्रान्सेसीया (कारपेट) ने उक्त उद्योग के लिए पर्यावरण विभाग से अनुमति ली है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सिकन्दराबाद में जिन कारखानों के मालिकों ने अनुमति नहीं ली है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं,

औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर के अंसल पेपर मिल, सेठी केमिकल्स वर्क्स, हुकुम चन्द्र वेजीटेबुल आयल मिल, ट्रान्सेसीया कारपेट लि0 ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत सहमति नहीं प्राप्त की है एवं मैसर्स विलार्ड इंडिया ने वायु सहमति हेतु आवेदन पत्र भी नहीं

दिया है । ट्रान्सेसीया कारपेट को वर्ष 1986 में सशर्त सहमति दी गयी थी, तब से अब तक उक्त उद्योग ने फिर आवेदन पत्र नहीं भेजा है । उन्हें प्रदूषण नियंत्रण परिषद् द्वारा नोटिस जारी की जा रही है । इन उद्योगों में से हुकुम चन्द्र आयल मिल ने दूषित जल के उत्प्रवाह की सहमति हेतु अब तक आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त आयल मिल की वायु सहमति दिनांक 30-3-87 को अस्वीकार की जा चुकी है । उन्हें सहमति प्राप्त करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण परिषद् द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है । मे0 सेठी केमिकल्स की सहमति 7-1-87 को अस्वीकार की जा चुकी है उन्हें परिषद् द्वारा नोटिस जारी की जा रही है तथा अन्य चार उद्योगों के सहमति आवेदन अस्वीकार किये जा चुके हैं ।

परिषद् द्वारा मेसर्स अंसल पेपर मिल के विरुद्ध उक्त जल अधिनियम की धारा 33, 44 एवं 41 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही की जा रही है । मेसर्स हुकुम चन्द्र आयल मिल को नोटिस जारी किया गया है । मैसर्स सेठी केमिकल्स की सहमति अस्वीकार करते हुये उन्हें उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं । मै0 विलार्ड इण्डिया के विरुद्ध जल अधिनियम की धारा 33 व 44 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है । ट्रान्सेसीया कारपेट के विरुद्ध जल अधिनियम की धारा 33 व 44 के अन्तर्गत परिषद् द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है ।

85–श्री पूरन सिंह माहरा–

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री दूल्हा खां गन्ना ग्राम सेवक के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पत्र

86–श्री मोहम्मद आकिल–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना ग्राम सेवक श्री दूल्हा खां जो स0 ग0 वि0 समिति लि0, मुरादाबाद में कार्यरत है, के विरुद्ध जिला गन्ना अधिकारी, मुरादाबाद का गन्ना आयुक्त को सम्बोधित पत्र जिसमें उक्त ग्राम सेवक के स्थानीय राजनीति में सक्रिय होने तथा इनका मण्डल के दूसरे जनपद में स्थानान्तरित करने की संस्तुति पर अब तक कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गन्ना ग्राम सेवक श्री दूल्हा खां को मुरादाबाद से अन्य जनपद में स्थानान्तरण करने विषयक जिला गन्ना अधिकारी, मुरादाबाद का पत्र प्राप्त हुआ था किन्तु स्थानान्तरण करने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त गन्ना ग्राम सेवक का स्थानान्तरण करना उचित नहीं पाया गया ।

जनपद बस्ती के बांसी-घानी मार्ग पर वर्क आर्डर के तहत निर्माण कार्य के भुगतान में विलम्ब

87–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में बांसी-घानी मार्ग पर वर्क आर्डर नं0 142 दिनांक 15-6-79 के तहत निर्धारित कार्य क्या था ? क्या निर्धारित निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? यदि हां, तो उसका भुगतान अब तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

निर्धारित कार्य बांसी-धानी मार्ग के कि0 मी0 । में 60 सें0मी0 व्यास की एक हयुम पाइप पुलिया का निर्माण था ।

जी हां ।

अक्टूबर, 1979 में नये खण्ड के कारण दो खण्डों के मध्य कार्यभार स्थानान्तरण होते समय संबंधित वर्क आर्डर का स्थानान्तरण न हो पाने के कारण भुगतान अब तक नहीं हो सका ।

प्रदेश के पालीटेकनिकों में कार्यरत इंजीनियरिंग विभागाध्यक्षों के दक्षतारोक पार करने के आदेश जारी

88–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के विभिन्न पालीटेकनिकों में कार्यरत इंजीनियरिंग विभागाध्यक्षों की दक्षता रोक (इ0 बी0) पार करने का मामला काफी समय से शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो दक्षता रोक (इ0बी0) पार करने के आदेश अब तक क्यों नहीं निर्गत किये गये हैं? यह आदेश कब तक निर्गत हो जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अब तक प्राप्त सभी प्रस्तावों पर आदेश किए जा चुके हैं और शासन स्तर पर कोई मामला लम्बित नहीं है ।

श्रीमती रामा देवी, रूद्रपुर, उन्नाव का आर्थिक सहायता सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

89–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता के दिनांक 25-8-86 के पत्र के साथ श्रीमती रामा देवी पत्नी स्व0 श्री चन्द्रिका प्रसाद ग्राम रूद्रपुर पो0 बारा जिला उन्नाव का कोई ऐसा पत्र मिला है जिसमें उन्होंने अपने स्व0 पति के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में किये गये कार्यों (जेल न जाने पर भी) राजनैतिक पेंशन अथवा आर्थिक सहायता प्रदान करने की प्रार्थना की थी जिस पर मुख्य मंत्री जी ने राज्य मंत्री राजनैतिक पेंशन को रू0 1000.00 प्रदान करने के आदेश किये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेश के परिपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? अब यह धनराशि श्रीमती रामा देवी को कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

चूंकि श्रीमती रामा देवी को नियमान्तर्गत पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं थी और उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी थी अतएव वह अनुदान की भी पात्रा नहीं पायी गयीं। तद्नुसार उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी, जिसकी सूचना माननीय विधायक को 4-12-86 को भेज दी गयी थी ।

प्रदेश में वर्षा से अतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत हेतु केन्द्र से सहायता

90–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बरसात से जो मार्गों की क्षति होती है उसकी मरम्मत हेतु केन्द्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त होती है ? यदि हां, तो वर्ष 86-87 में कितनी धनराशि पर्वतीय जनपदों को मिली है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि धनराशि दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । उक्त सहायता सम्पूर्ण प्रदेश के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिये प्राप्त होती है ।

वर्ष 1986-87 की वर्षा से क्षतिग्रस्त मार्गों आदि की मरम्मत के लिये पर्वतीय जनपदों को 280 लाख रु0 की धनराशि आवंटित की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्र सरकार से सहायता विलम्ब से प्राप्त हुई थी ।

प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में नियोजन हेतु आबंटित धनराशि के लैप्स होने की शिकायत

91–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में वर्ष 1985-86 में नियोजन के लिए निर्धारित धनराशि (स्टेट सेक्टर में) उपयोग न किए जाने के कारण लैप्स हुई है ? यदि हां, तो पर्वतीय जनपदों के प्रत्येक जनपद में कितनी धनराशि लैप्स हुई है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि धनराशि लैप्स होने के क्या कारण थे ? उन कारणों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बहराइच में फर्जी मस्टर रोलों द्वारा करोड़ों रुपये की अनियमितता सम्बन्धी शिकायत की जांच

92–श्री मयंकर सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के जिलाधिकारी को श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी अध्यक्ष बहराइच ठेकेदार समिति बहराइच एवं अन्य द्वारा शपथ-पत्र के साथ दिये गये शिकायती-पत्र जो कि विभाग में फर्जी मस्टर रोलों द्वारा करोड़ों रुपया जनधन के अपहरण से संबंधित है तथा स्मरण-पत्र संख्या समिति/सा0 नि0 वि0–भ्रष्टाचार/85-86/68 दिनांक 28-11-85 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश देंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

मामले की छानबीन की जा रही है।

वन विभाग के पूर्वी वृत्त (गोण्डा) के लेखा लिपिकों द्वारा कार्य का सम्पादन और अनियमितताएं

93–श्री फजलुल बारी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग के पूर्वी वृत्त के गोण्डा वन, प्रभागों में शासन व प्रमुख वन संरक्षक, उ0 प्र0 के आदेशों के विरुद्ध कितने वरिष्ठ व कनिष्ठ लिपिकों के लिखित इच्छाओं के बावजूद माह अक्तूबर, 1986 तक लेखा संवर्ग में नियुक्ति करके लेखे के कार्यों का सम्पादन नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस अनियमित कार्यवाही हेतु संबंधित नियुक्ति अधिकारी व नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पूर्वी वृत्त में माह अक्तूबर, 1986 तक गोण्डा वन प्रभागों में दो कनिष्ठ लेखा लिपिक तथा एक लेखा लिपिक कार्यरत थे। दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग में कार्यरत एक कनिष्ठ लेखा लिपिक को उसकी आंख में कमजोरी के कारण लेखा कार्य करने में असमर्थ पाया गया। फलस्वरूप लेखा कार्य नहीं दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

94–श्री रिछपाल सिंह बंसल तथा श्री राम जनम यादव—

[2रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 वन विभाग, पूर्वी वृत्त के दक्षिणी गोण्डा वन प्रभाग में बैरियरों से फीस की वसूली का ब्यौरा

95–श्री फजलुल बारी–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि वन विभाग के पूर्वी वृत्त के दक्षिणी गोण्डा वन प्रभाग में विभिन्न बैरियरों से ट्रांजिट फीस व फाइन की वसूली की धनराशि पूर्व वर्षों की अपेक्षा वर्ष 1983 में एक दम घट गई और निरन्तर घटती जा रही है? यदि हां, तो सरकार उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जफर अली नकवी–

उत्तर प्रदेश वन विभाग, पूर्वी वृत्त के दक्षिणी गोण्डा वन प्रभाग में वर्ष 1983 में विभिन्न बैरियरों से ट्रांजिट फीस आदि की वसूली पूर्व वर्षों की अपेक्षा एकदम न तो घटी है न निरन्तर घटती ही जा रही है। अभिवहन शुल्क राशि वन उपज (चाहे वह राजकीय हो अथवा निजी क्षेत्र की) के उत्पादन तथा अभिवहन पर निर्भर करती

है, इसलिए इसकी धनराशि में कमी/बेशी सामान्यतया स्वाभाविक है। वित्तीय वर्ष 82-83 से 86-87 तक की वसूली का तुलनात्मक ब्योरा निम्नवत है :—

वर्ष	वसूली गयी धनराशि
1982-83	1,18,986.25
1983-84	83,456.75
1984-85	98,557.00
1985-86	1,39,894.00
1986-87	1,05,758.75

उपरोक्तानुसार वर्णित परिस्थिति में किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

96—श्री फजलुल बारी—

[2रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 106 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई में राज्य कर्मचारी गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत बने आवासों का आवंटन

97—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में वर्ष 1981 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए टाइप एफ0 प्रकार के आवासों का निर्माण कराया गया था? यदि हां, तो उनमें से अब तक जिलाधिकारी द्वारा कितने आवास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवंटित किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राज्य कर्मचारी गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत बने आवासों की आवंटन नियमावली 1976 के अन्तर्गत टाइप ई व एफ के आवासों को श्रेणी एक का आवास घोषित किया गया है। तद्नुसार वर्ष 1981 में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के टाइप एक के 12 आवास स्वीकृत किये गये जिनका निर्माण वर्ष 1984 में सम्पूर्ण हुआ। इन आवासों में से एक आवास श्रीमती शशि देवी मिश्रा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को आवंटित किया गया। उस समय, किसी अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से उक्त आवासों के आवंटनार्थ, आवेदन पत्र प्राप्त न होने की दशा में, उक्त नियमावली के नियम 11 के अन्तर्गत, शेष 11 आवास तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को आवंटित कर दिये गये।

श्री ऋषि मुनी पाण्डेय अवर अभियन्ता सार्व0 निर्माण विभाग, इलाहाबाद की अर्धन नियुक्ति की जांच

98—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऋषि मुनि पाण्डेय जो कि इलाहाबाद में अवर अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे, जिनका स्थानान्तरण हो गया है, डिप्लोमा होल्डर नहीं हैं? यदि हां, तो यह अवर अभियन्ता के पद पर कैसे कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार इनकी धोखा-धड़ी तथा गलत सूचना देने की जांच करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री ऋषि मुनि पाण्डेय सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधीक्षण अभियन्ता, पंचम वृत्त, इलाहाबाद द्वारा जनवरी, 1974 में तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये थे। इनकी नियुक्ति के मामले में छानबीन की जा रही है तथा श्री पाण्डेय को भी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जनपद आजमगढ़ में मधुवन भैरोपुर मार्ग का निर्माण कार्य तथा कमरौली नाले पर लकड़ी के पुल का निर्माण

99–श्री विष्णु देव–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में मधुवन भैरोपुर मार्ग (भोलाशाही रोड) जिसका निर्माण कार्य गत कई वर्षों पूर्व प्रारम्भ हुआ था, का कमरौली नाले पर पुल के अभाव में निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त कमरौली नाले पर लकड़ी का पुल स्वीकृत था जिसकी जगह अब लोहे का पुल बनना है ? यदि हां, तो उक्त कमरौली नाले पर कब तक पुल का निर्माण कार्य सम्पन्न हो जायेगा और उक्त मधुवन भैरोपुर मार्ग का अधूरा निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मधुवन-भैरोपुर मार्ग की कुल लम्बाई 4.5 किमी0 है जिसका प्रथम 2 किमी0 भाग खड़ंजा स्तर तक 9/82 में पूर्ण कर लिया गया था । शेष 2.5 किमी0 भाग, जिसकी स्वीकृति 1/87 में हुई है, निर्माणाधीन है ।

कमरौली नाले पर लकड़ी के पुल का निर्माण स्वीकृत है । इसके स्थान पर लोहे के पुल के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

जनपद आजमगढ़ में स्वीकृत अमला दरगाह मार्ग के निर्माण कार्य में विलम्ब

100–श्री विष्णु देव–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में अमला दरगाह मार्ग 11 किमी0 शासन द्वारा पिछले दो वर्षों से स्वीकृत है और सड़क क्षेत्र में पड़ने वाले खेतों का मुआवजा भी सम्बन्धित कृषकों को दिया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कार्य सम्पन्न होने में क्या बाधा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

अभी सब कृषकों को मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि कुछ कृषकों ने एवार्ड के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है ।

प्राधिकृत नियंत्रक हीवेट पालीटेक्निक, महानगर, लखनऊ का कार्यकाल बढ़ाया जाना

101–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हीवेट पालीटेक्निक, महानगर, लखनऊ में नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक का कार्यकाल 16 जून, 1987 को पूरा हो जायेगा ? क्या भंग प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं निलम्बित प्रधानाचार्य द्वारा की

गई अनियमितताओं का निराकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो प्राधिकृत नियंत्रक का कार्यकाल 16 जून, 1987 के बाद बढ़ाए जाने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्राधिकृत नियंत्रक का कार्यकाल 16 जून, 1987 के बाद बढ़ा दिया गया है ।

हीवेट इंजीनियरिंग सोसाइटी महानगर, लखनऊ के सदस्यों का विधिक परीक्षण

102–श्री अकबर हुसैन अाबर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हीवेट इंजीनियरिंग सोसाइटी, महानगर, लखनऊ के वर्तमान सदस्य, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा–10 के तहत स्ट्रेन्जर हैं ? यदि हां, तो उक्त सोसाइटी का विधिक परीक्षण परगना मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा कब तक कराया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत संस्था के वर्तमान सदस्य स्ट्रेन्जर हैं अथवा नहीं, इसके विधिक परीक्षण हेतु मामला सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 25(1) के अन्तर्गत परगना मजिस्ट्रेट सदर, लखनऊ को दिनांक 12-6-87 को सन्दर्भित कर दिया गया है ।

जनपद जौनपुर के कतिपय विकास खण्डों को मछली पालन एवं पोखरा खोदने हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

103–श्री दीपचन्द्र सोनकर–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर तह0 शाहगंज के विकास खण्ड सोधी (शाहगंज) व सुइया कला में कितनी धन राशि मछली पालन एवं पोखरा खोदने हेतु वित्तीय वर्ष 1986-87 में आवंटित की गई थी ? उक्त आवंटित धन-राशि का प्रयोग ग्रामों सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सीताराम निषाद–

मछली पालन एवं पोखरा खोदने हेतु शासन द्वारा विकास खण्डवार धन का आवंटन नहीं किया जाता ।

वर्ष 86-87 में विकास खण्ड सोधी व सुइयाकला में मत्स्य पालन हेतु बैंक द्वारा क्रमशः 2,63,600/- रुपया तथा 1,60,534/- रुपया के ऋण स्वीकृत किए गए जिनके विरुद्ध बैंकों द्वारा 35,750/- रुपया एवं 7,800/- रुपया के ऋण वितरित किए जा चुके हैं । मत्स्य पालक विकास अभिकरण, जौनपुर द्वारा क्रमशः 13,955/- एवं 1,950/- रुपया अनुदान के रूप में बैंकों को उपलब्ध कराया गया । सम्बन्धित ग्रामों की सूची, बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण, वितरित धनराशि तथा मत्स्य पालक विकास अभिकरण, जौनपुर द्वारा अनुदान के रूप में बैंकों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 100 पर)

गन्ना समिति सरदार नगर गोरखपुर द्वारा गन्ना किसानों से पास बुक शुल्क वसूलने की जांच

104—श्रीमती शारदा देवी—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना समिति सरदार नगर, गोरखपुर द्वारा गन्ना किसानों से वर्ष 86-87 में प्रति पास बुक शुल्क 5, 10 व 15 रुपए लेने का क्या औचित्य है ? क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं । जांचोपरान्त यथावश्यक कार्यवाही की जायगी ।

रामपुर—हल्द्वानी वाया रुद्रपुर मार्ग को राज्य मार्ग घोषित करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव तथा धन की उपलब्धता पर पुलों का नवनिर्माण

105—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर-रुद्रपुर मार्ग पर ट्रैफिक का घनत्व बरेली बहेड़ी तथा मुरादाबाद—काशीपुर मार्ग से भी अधिक है तथा इस ट्रैफिक का ज्यादा हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र से रामपुर के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य भागों तथा दिल्ली आने जाने वाले लोगों से संबंधित है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि इस मार्ग को अब तक प्रादेशिक राष्ट्रीय मार्ग घोषित नहीं किया गया है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त मार्ग को हाल ही में चौड़ा करके उसे हाटीमक्स प्लान्ट द्वारा फिनिशर पेवर द्वारा कारपेटिंग भी कर दिया गया है जिससे कि वाहनों की रफ्तार बढ़ गई है, परन्तु इस मार्ग पर कोसी नहर का पुल, डकरा नदी का पुल संख्या 25/1 तथा सेंजनी नदी का पुल संख्या 25/3 के बहुत तंग होने के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है और मार्ग गति अवरोधक बनाने तथा चेतावनी बोर्ड लगाने से वह आशंका समाप्त नहीं होती है ? क्या मंत्री जी, अविलम्ब इस मार्ग को भी प्रदेशीय राजमार्ग घोषित करने तथा इन तंग पुलों को चौड़ा करने के लिए धन आवंटन करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

रामपुर—रुद्रपुर मार्ग पर ट्रैफिक का घनत्व मुरादाबाद—काशीपुर मार्ग से अधिक है परन्तु बरेली-बहेड़ी मार्ग से कम है । इस मार्ग से यातायात दिल्ली से पर्वतीय क्षेत्र नैनीताल, अल्मोड़ा इत्यादि को जाता है क्योंकि यह न्यूनतम दूरी पर है ।

प्रश्नगत मार्ग वर्तमान में केवल प्रमुख जिला मार्ग है । रामपुर—हल्द्वानी वाया रुद्रपुर मार्ग को राज्य मार्ग घोषित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत मार्ग को चौड़ा करने का कोई कार्य नहीं किया गया है । मार्ग पर हाट मिक्स प्लान्ट एवं पेवर फिनिशर द्वारा बी0 एम0 तथा एस0 डी0 सी0 का कार्य कराया जा रहा है । इस मार्ग के किमी0 25/1 में डकरा नदी पर तथा 25/3 में सेंजनी नदी पर बने पुल तंग हैं जिसकी चौड़ाई 3.66 मीटर है । इन पुल के दोनों ओर

गति अवरोधक बने होने तथा साइन बोर्ड लगे होने से दुर्घटनाओं की आशंका काफी कम हो गई है ।

रामपुर–हल्द्वानी वाया रुद्रपुर मार्ग को राज्य मार्ग घोषित किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । तंग पुलों को चौड़ा किया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

लखनऊ, कानपुर और इटावा के बिक्रीकर कार्यालयों में कर सम्बन्धी कथित अनियमितताओं पर जांच कार्यवाही हेतु शिकायती पत्र

106–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 28 व 29 के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 501 तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को ता0 18-10-83 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मा0 सदस्य का पत्र सं0 501 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । पत्र उपलब्ध होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

गाजियाबाद की फर्म राजकुमार पवन कुमार के पंजीयन व नवीनीकरय प्रमाण पत्र संबंधी पत्र के उत्तर का प्रेषण

107–श्री यदुनाथ सिंह –

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 120 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 33 मुख्य मंत्री जी को ता0 6-9-85 को मिला था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । माननीय विधायक को शासन के अर्धशासकीय पत्र संख्या वि0 क0-4-789/दस–87, दिनांक 19 जून, 1987 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है तथा संदर्भित पत्र का उत्तर दे दिया गया है ।

जनपद मिर्जापुर के राबर्ट्स गंज की जांच चौकी के बिक्रीकर अधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र

108–श्री यदुनाथ सिंह –

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि माह जून, 1981 में मिर्जापुर जनपद की राबर्ट्सगंज जांच चौकी के बिक्रीकर अधिकारी द्वारा माल सीज कर परेशान करने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 2120 मुख्य मंत्री जी को ता0 3-7-85 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? पत्र में जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी उसे अब तक न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर वांछित सूचना प्राप्त करने की कार्यवाही की गयी । वांछित सूचनाओं को प्राप्त करने में समय लगा ।

पत्र संख्या : बि0क0-4-790/दस–87–18 ए क्यू/87, दिनांक 20 जून, 1987 द्वारा संदर्भित पत्र का उत्तर माननीय विधायक को दे दिया गया है ।

109–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

110–श्री यदुनाथ सिंह –

[न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के सभी विद्यालयों एवं सभी कार्यालयों पर रोजगार पत्रों को भेजने सम्बन्धी सुझाव

111–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश –

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की समस्त ग्राम सभाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विकास खण्डों के मुख्यालयों स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों आदि पर रोजगार पत्रों को सशुल्क या नि:शुल्क भेजने पर सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती दीपा –

"वर्तमान वित्तीय संसाधनों की पृष्ठभूमि में माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करना संभव नहीं है ।

जनपद गोरखपुर में आनन्द नगर फारेस्ट चेक पोस्ट पर जारी अभिवहन शुल्क

112–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर में आनन्दनगर फारेस्ट चेक पोस्ट पर नौतनवां से मिट्टी (पत्थर) लाने पर 20/-से 25/- प्रति ट्रक की वसूली रसीद के साथ की जाती है ? यदि हां, तो क्या यह वसूली रसीद बंद करने पर वन विभाग विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री जफर अली नकवी –

वसूली "अभिवहन शुल्क नियमावली, 1978" के अनुसार ही की जाती है । प्रश्नकर्ता द्वारा बतायी गई दरें नहीं वसूली जाती है । वसूली बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि वसूली भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत बनाई गई उ0 प्र0 इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 1978 के अन्तर्गत की जाती है ।

श्री बी0 बी0 जौहरी, सेवा निवृत्त वन रेन्जर की जमानत की धन राशि जप्त

113–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि श्री बी0 बी0 जौहरी जिन्होंने फारेस्ट रेन्जर के पद से सितम्बर, 1973 में पीलीभीत वन खण्ड के सुरई रेंज से अवकाश प्राप्त कर (रिटायरमेन्ट) लिया था, की जमानत की धनराशि का भुगतान अवकाश ग्रहण के 15 वर्ष बाद भी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्री बी0 बी0 जौहरी की जमानत का तुरन्त भुगतान करने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री बी0 बी0 जौहरी, सेवा निवृत्त वन रेन्जर के द्वारा उनके कार्यकाल की सुरई, महाँफ तथा खटीमा राजि की मु0 41624.84 रुपये के राजस्व की धनराशि, जिसका पूर्ण दायित्व उनका था, ठेकेदारों से वसूल न होने के कारण उनकी जमानत की राशि रु0 900/- का भुगतान नहीं किया गया है ।

114–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

[2रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड नरेन्द्र नगर के कतिपय मोटर मार्गों के निर्माण हेतु मूल आकलन एवं व्यय

115–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

क्या सा0 नि0 मंत्री को ज्ञात है कि विकास खण्ड नरेन्द्र नगर, जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत बडियारगढ़ धोडगी-सोराखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु मूल आंगणन किस अधिकारी द्वारा कितनी धनराशि के तैयार किये गये थे ? इसी मार्ग के निर्माण में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ? इस निर्माण में अप्रत्याशित रूप से अधिक व्यय होने और करने के लिए सरकार से कब-कब अनुमति ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मार्ग के आगणन अधिशासी अभियन्ता सा0 नि0 विभाग नरेन्द्र नगर द्वारा चार चरणों में अलग-अलग कुल रुपया 85.30 लाख की लागत के बनाए गये थे । प्रथम दो चरणों के आगणनों की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई । इस प्रकार कुल मिलाकर सम्पूर्ण मार्ग के लिए इस समय तक रु0 111.27 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है जिसके विरुद्ध मई, 87 के अन्त तक रु0 55.22 लाख का व्यय हो चुका है । इससे स्पष्ट है कि बगैर शासकीय अनुमोदन के कोई व्यय नहीं किया गया है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में गजा-व्यारी टिहरी मोटर मार्ग के निर्माण में पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति

116–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में गजा-व्यारी-टिहरी मोटर मार्ग के निर्माण का मूल आगणन 1977-78 से पूर्व 40 लाख रुपये के लिए तैयार किए गये थे ? यदि हां, तो 1980-81 तक 54 लाख रुपये खर्च कर बनाए गये इस मार्ग के लिए अधिक धनराशि खर्च करने की प्राविधिक स्वीकृति सरकार से कब प्राप्त की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मोटर मार्ग की स्वीकृति 40.00 लाख रु0 की लागत पर वर्ष 1976-77 में दी गई थी जिसके विरुद्ध वर्ष 1980-81 में मार्च, 1981 तक 45.14 लाख रु0 का व्यय हुआ । अधीक्षण अभियन्ता सा0 नि0 विभाग 27 वां वृत्त, टिहरी गढ़वाल द्वारा इस मार्ग का 49.93 लाख रु0 का पुनरीक्षित आगणन तैयार किया गया है जिसे मुख्य अभियंता सा0 नि0 विभाग पौड़ी के माध्यम से शासन को स्वीकृति हेतु भेजने की कार्यवाही उनके द्वारा की जा रही है ।

सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेन्शन राहत की सुविधा

117–श्री सरदार सिंह–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति अभी तक पेंशन राहत की सुविधा प्राप्त नहीं है ? क्या सरकार यह सुविधा शीघ्र प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

शासनादेश संख्या-4952/प्रा0 शि0-2-86-46 (बी)/86, दिनांक 20 अक्तूबर, 1986 द्वारा यह सुविधा 13-2-80 से प्रदान कर दी गयी है ।

नगर पालिका बलरामपुर (गोण्डा) द्वारा अनियमित रूप से निर्मित दुकानों के विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही

118–श्री मयंकर सिंह –

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में नगरपालिका बलरामपुर द्वारा किए गए दुकानों के निर्माण में सड़कों के मध्य में 45 फिट के भीतर अनियमित तरीके से निर्माण कराया गया है ? उसमें विभाग द्वारा निर्माण कर्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस तरह से कितनी दुकानों का अवैधानिक निर्माण किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

जनपद गोण्डा में नगरपालिका, बलरामपुर द्वारा गोण्डा-बलरामपुर-तुलसीपुर द्वारा मार्ग के कि0मी0-40 में 4 दुकानें अनियमित रूप से निर्मित कराई गई है । इसके संबंध में विभाग द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका बलरामपुर के विरुद्ध "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू गृहादि (अग्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972" के अधीन दायर मुकदमा परगनाधिकारी, बलरामपुर के न्यायालय में विचाराधीन है ।

119–श्री कल्यान सिंह–

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद, अकबरपुर में सार्व0 निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण

120–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद के सा0नि0वि0 के सहायक अभियंता जिनका स्थानान्तरण शासन द्वारा उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर किया गया है और वे बगैर चार्ज दिए कई माह गायब थे और अकबरपुर स्थित डाक बंगले के सरकारी निवास में कई माह तक ताला बन्द कर रखे थे ? क्या यह सही है कि उनके विरुद्ध अपने कार्यकाल में कराये गये कार्यों का मस्टर रोल लेखा जोखा इत्यादि भी

कार्यालय से गायब कराना पाया गया है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण प्रमुख अभियन्ता द्वारा किया गया था । जी नहीं, वे गायब नहीं थे बल्कि वे दिनांक 6-8-86 से 8-8-86 तक आकस्मिक अवकाश पर चले गये थे । इसके उपरान्त मेडिकल अवकाश का प्रार्थना-पत्र देते रहे । इनका चार्ज दिनांक 21-8-86 को अन्य सहायक अभियन्ता को एज्यूम करा दिया गया था ।

जी हां । फैजाबाद खण्ड से इन्होंने माह 7/86 तक वेतन आहरित किया था तथा इस माह तक उनसे किराये की कटौती कर ली गई थी । दिनांक 30-11-86 को इनके द्वारा आवास खाली कर दिया गया । अतः माह 8/86 से 11/86 तक किराये की कटौती हेतु नये खण्ड को अधिशासी अभियन्ता द्वारा लिखा जा चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के भानमऊ चौकी से सलेमपुर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति

121—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत मानमऊ चौकी से सलेमपुर मार्ग का निर्माण वर्ष 1979-80 में शासन द्वारा स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्ष 1983-84 में इस मार्ग की दिशा, जिला स्तर पर परिवर्तित करके, निर्मित करा दिया गया ? यदि हां, तो शासन द्वारा स्वीकृत मार्ग की दिशा जिला स्तर पर परिवर्तित करने के क्या कारण थे ? क्या सरकार द्वारा स्वीकृत मार्ग को तत्काल बनवाने के पुनः आदेश दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं । मार्ग सीधे संरेखण पर बनाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य स्वीकृत के स्तर तक पूर्ण है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

122—श्री शारदा प्रताप—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सहारा इन्वेस्टमेन्ट इण्डिया लि0 का पंजीकरण

123—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारा इन्वेस्टमेन्ट इण्डिया लि0 जो कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धन संग्रह का कार्य कर रही है, को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का लाइसेन्स प्राप्त है ? यदि हां, तो उसका लाइसेन्स नम्बर क्या है ? यदि नहीं, तो बिना लाइसेन्स कार्य करने के लिए इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी, नहीं, ।

किन्तु कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रश्नगत कम्पनी पंजीकृत है जिसके लिए रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेन्स दिये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ की राजकीय कालोनियों के अनुरक्षण का कार्य अलग-अलग अवर अभियन्ताओं को आवंटित

124–श्री रिछपाल सिंह बंसल तथा श्री राम जनम–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री को जानकारी है कि अधीक्षण अभियन्ता अनुरक्षण (राजकीय कालोनी) जवाहर भवन, लखनऊ की गलत नीतियों के कारण मोती झील, राम नगर, एशबाग, लालबाग कैम्पस, डी0 एम0 कम्पाउण्ड एवं हैवलक रोड सरकारी कालोनियों के अनुरक्षण के कार्य एक ही अवर अभियन्ता को सौंपे जाने के कारण मोती झील, सचिवालय कालोनी के अनुरक्षण का कार्य अपेक्षाकृत अन्य कालोनियों के शून्य हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को दण्डित करने पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मोतीझील, रामनगर (एशबाग) तथा हैवलक रोड कालोनी का अनुरक्षण कार्य अलग-अलग अवर अभियन्ताओं के पास है । लालबाग एवं डी0 एम0 कम्पाउण्ड का कार्य एक ही अवर अभियंता सिविल के पास, जो कैसरबाग कालोनी का कार्य भी देखते हैं, है । लालबाग तथा डी0 एम0 कम्पाउण्ड तथा हैवलक रोड कालोनी के अवर अभियन्ता (विद्युत) भी अलग-अलग हैं । अतः मोतीझील कालोनी का अनुरक्षण कार्य अन्य कालोनियों की अपेक्षा शून्य होने का प्रश्न नहीं उठता ।

अतः अधिकारियों को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ की रामनगर एशबाग कालोनी में नियमानुसार आवास का आवंटन

125–श्री मयंकर सिंह तथा श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री को जानकारी है कि मई, 1986 में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा रामनगर एशबाग सचिवालय कालोनी में जिस प्रकार आवास आवंटन में मुख्यालय के कर्मचारियों को पचास प्रतिशत की भागीदारी दी गई है ऐसा नियम इससे पूर्व नहीं था ? क्या यह सही है कि राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2 द्वारा भ्रष्ट तरीके से यह नयी प्रथा लागू की गयी और लगभग एक दर्जन आवास ऐसे लोगों को आवंटित किये गये थे जो न तो सचिवालय के कर्मचारी हैं न ही मुख्यालय के बल्कि निगम/बोर्ड आदि के कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा एशबाग कालोनी में आवासों का आवंटन वर्ष 1986 में नहीं किया गया है बल्कि वर्ष 1985 में किया गया है । मुख्यालय के कर्मचारियों को पचास प्रतिशत की भागीदारी देने का कारण यह है कि राज्य सम्पत्ति विभाग में आवास आवंटन हेतु उ0 प्र0 सचिवालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों के कर्मचारियों को श्रेणी-2 के आवासों का आवंटन किये जाने हेतु अलग-अलग प्रतीक्षा सूचियां बनायी गयी हैं इसी

कारण प्रत्येक प्रतीक्षा सूची से पचास प्रतिशत का आवंटन उक्त कालोनी में किया गया है । यह प्रक्रिया कर्मचारियों की आवासीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके हित में ही लागू किया गया है । अतः भ्रष्ट तरीके से नयी प्रथा लागू किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है । उक्त कालोनी में सरकारी कार्यालयों के अतिरिक्त राजस्व परिषद्/उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को आवासों का आवंटन किया गया है जो कि उ0 प्र0 सरकार के ही अंग हैं । केवल एक आवास का आवंटन आवास के परिवर्तन स्वरूप निगम के कर्मचारी को किया गया है जिन्हें ऐशबाग में आवंटन से पूर्व मोतीझील कालोनी में आवास आवंटित था । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दीनानाथ, वरिष्ठ गन्ना निरीक्षक धुधुली (गोरखपुर) द्वारा विभागीय निर्माण कार्य में की गई अनियमितताएं

126—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ गन्ना निरीक्षक धुधली (गोरखपुर) श्री दीनानाथ के विरुद्ध गत वर्ष प्रश्नकर्ता एवं स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता श्री रामाश्रय प्रसाद जायसवाल ने गम्भीर आरोपों से युक्त पत्र देकर जांच की मांग की थी जिसकी जांच के लिए गन्ना आयुक्त कार्यालय से जांच दल आया था किन्तु अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण वह दल वापस चला गया ? यदि हां, तो अब तक उक्त अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की जांच न कराए जाने के क्या कारण हैं ? यदि जांच कराई गयीं, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नकर्ता एवं श्री रामाश्रय प्रसाद जायसवाल के शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे । प्रश्नगत शिकायतों की जांच हेतु जांच दल गोरखपुर भेजा गया था । इस जांच दल ने गन्ना आपूर्ति तथा ऋण वितरण से सम्बन्धित अनियमितताओं की जांच की थी किन्तु विभागीय निर्माण कार्यों में बरती गयी अनियमितताओं विषयक सम्बन्धित अभिलेख तत्समय जांच दल को उपलब्ध नहीं हो सके थे । अतः पुनः जांच दल भेजकर निर्माण संबंधी अनियमितताओं की जांच भी पूर्ण करा ली गयी थी । जांच रिपोर्ट में फर्जी गन्ना पड़ताल, खाद, बीज वितरण आदि में अनियमितताएं एवं निर्माण कार्य में त्रुटियां/अनियमितताएं पाई गयीं ।

अधीक्षक जिला कारागार, आजमगढ़ द्वारा कतिपय बन्दियों के रिहाई एवं प्रवेश संबंधी प्रमाण पत्र जारी न होना

127—श्री विष्णु देव—

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ की कारागार से श्री शिवपूजन सिंह पुत्र लालता सिंह, दयानन्द सिंह पुत्र पासू सिंह व श्री राम चन्द्र सिंह पुत्र राम लगन सिंह अध्यापक गौरी मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के कारागार में दाखिल होने तथा रिहा होने के सम्बन्ध में दो प्रकार के प्रमाण-पत्र दिये गये हैं ? प्रथम प्रमाण-पत्र में उक्त तीनों को 24-1-84 को कारागार में प्रविष्ट होना तथा 27-1-84 को रिहाई दिखाया गया है तथा दूसरे प्रमाण-पत्र में उक्त तीनों को प्रवेश दिनांक 24-1-84 तथा रिहाई दिनांक 30-1-84 दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या फर्जी प्रमाण-पत्र देने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ़ द्वारा ऐसा कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है जिसमें बन्दी (1) शिवपूजन सिंह पुत्र लालता सिंह (2) दयानन्द सिंह पुत्र पासू सिंह व (3) राम चन्द्र सिंह पुत्र राम लगन सिंह का कारागार में प्रवेश का दिनांक 24-1-84 तथा मुक्ति का दिनांक 27-1-84 अंकित किया गया हो ।

जो प्रमाण-पत्र जारी किया गया है उसमें उक्त तीनों बन्दियों का कारागार में प्रवेश का दिनांक 24-1-84 तथा मुक्ति का दिनांक 30-1-84 अंकित किया गया है ।

अतः किसी कर्मचारी/-अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 घोसी, आजमगढ़ के गन्ने की पिराई तथा भुगतान सम्बन्धी विवरण

128—श्री विष्णु देव—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी किसान चीनी मिल घोसी जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1984—85 तथा 1985—86 में कितना गन्ना पेरा गया, कितने का भुगतान हुआ तथा अभी तक कितना किसानों को देना शेष है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गन्ना किसानों का बकाया कब तक दे दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, घोसी जनपद आजमगढ़ द्वारा वर्ष 1984—85 तथा 1985—86 में पेरे गये गन्ने की मात्रा तथा देय, भुगतान एवं अवशेष गन्ना मूल्य की स्थिति दिनांक 30-4-87 के अनुसार निम्नांकित है:—

पैरा वर्ष	पेरे गए गन्ने की मात्रा ला0कु0 में	गन्ना मूल्य लाख रु0 में		
		देय	भुगतान	अवशेष
1984 85	.01	21.41	21.37	0.04
1985—86	3.38	77.81	77.72	0.09

उक्त अवशेष धनराशि भुगतान की प्रक्रिया में है।

जनपद फैजाबाद के श्रवण क्षेत्र पर मड़हा और बिसुही नदियों पर निर्मित लकड़ी के पुल में बरती गई अनियमितता सम्बन्धी शिकायती पत्र पर जांच

129—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित अन्नागां औरंगनगर (पहतीपुर) मार्ग पर श्रवण क्षेत्र पर मड़हा और बिसुही नदियों पर निर्मित लकड़ी के पुल पर घटिया स्तर के सामानों का प्रयोग

किये जाने के कारण पुल का निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ और कई जगह पर पुल एक तरफ को झुक गया है? क्या यह भी सही है कि पुल में लगायी गयी लकड़ियां भी घटिया किस्म की हैं जिसमें पुल काफी कमजोर है और किसी भी समय भयंकर दुर्घटना हो सकती है? यदि हां, तो सारे निर्माण कार्य की टैक्निकल आडिट सेल से जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने और पुल की मरम्मत कराकर उसका निर्माण सही करने का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मामले की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, सम्परीक्षा कोष्ठ, सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में बाला पैकोली के पास स्थित मड़हा नदी पर बने पुल की मरम्मत

130–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में गोसाईंगंज सराय बीरसिंहपुर मार्ग पर बाला पैकोली के पास स्थित मड़हा नदी का पुल बहुत ही जर्जर हो गया है और उसके नये सिरे से निर्माण की आवश्यकता है? यदि हां, तो इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराने में सरकार को क्या कठिनाई है और यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ग्रस्तगत पुल की दशा कुछ खराब है परन्तु इसकी आवश्यकतानुसार मरम्मत कर चालू हालत में रखा जा रहा है।

यह भविष्य में बढ़ते हुये भारी यातायात पर निर्भर है।

धनाभाव जिसके कारण इससे भी उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों की स्वीकृति तक संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

131–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्रीमती ऊषा चतरथ भूतपूर्व सचिव, हरिजन समाज कल्याण से अनधिकृत अध्यासन के सम्बन्ध में नियमानुसार क्षतिपूर्ति की वसूली

132–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती ऊषा चतरथ जो कि हरिजन विभाग में सचिव थीं और स्थानान्तरण के बाद उन्होंने अपना मकान ए-1 बटलर पैलेस अपने पास रखा था उसका किराया उन्होंने अदा किया? यदि हां, तो वह किस हिसाब से तथा उन्हें रहने की अनुमति किसने दिया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्रीमती ऊषा चतरथ ने स्थानान्तरण के पश्चात् आवास संख्या ए-1, बटलर पैलेस कालोनी दिनांक 30-6-86 तक अपने पास रखा था। स्थानान्तरण के फलस्वरूप आवंटन क्षमता समाप्त होने के उपरान्त अनधिकृत अध्यासी केवल एक माह आवास में नियमानुसार

निवास करने के लिये अधिकृत होता है। अतः अनधिकृत अध्यासन के समय की नियमानुसार क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु विहित प्राधिकारी के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। उक्त न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति के निर्धारण के उपरान्त नियमानुसार क्षतिपूर्ति की वसूली की जायेगी और इस बीच जो किराया अनधिकृत अध्यासन के समय का श्रीमती चतरथ द्वारा जमा किया गया है वह क्षतिपूर्ति में समायोजित किया जायेगा। श्रीमती चतरथ को उक्त आवास में 30-6-86 तक रहने की अनुमति शासन द्वारा नहीं दी गई।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर, नगरा और रतनपुरा के ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु प्रस्तावित योजना

133–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर, नगरा और रतनपुरा में कितने मार्गों का निर्माण वर्ष 1985 से 1987 तक विभाग ने कराया है? क्या सरकार खराब सड़कों की मरम्मत और आवश्यक रूप से मांग की जा रही नयी सड़कों के निर्माण के लिये इस अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिकता से अतिरिक्त धन राज्य सेक्टर से देकर निर्माण कराने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सीयर ब्लाक में 17 मार्ग, नगरा ब्लाक में 16 मार्ग, रतनपुरा ब्लाक में 20 मार्ग।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण मार्गों का निर्माण जिला सेक्टर के अन्तर्गत आता है। अतः राज्य सेक्टर से प्राथमिकता पर अतिरिक्त धन से निर्माण कराने की योजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के जौनपुर टाउन एरिया में एक ही मालिक द्वारा दो चल चित्र चलाने सम्बन्धी कथित शिकायत

134–श्री राम जन्म–

क्या सरकार को जानकारी है कि जौनपुर टाउन एरिया जनपद आजमगढ़ की सीमा के अन्तर्गत एक ही स्थान पर एक ही मालिक विभिन्न नामों से दो चल चित्र के भवन बनवाकर बारी-बारी से चल चित्र का प्रदर्शन करते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और जांच के बाद उस पर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़-दोहरीघाट मार्ग पर अवैध रूप से पक्के निर्माण किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

135–श्री राम जनम–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में इलाहाबाद गोरखपुर रोड पर बनकट बाजार, अनजान शहीद, बखालिस सगड़ी जियनपुर नरईपुर लाटघाट का संभाद इत्यादि जगहों पर लोग पक्के मकान बना रहे हैं? यदि हां, तो उन लोगों के खिलाफ विभाग ने क्या कार्यवाही किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़-दोहरीघाट मार्ग पर बनकट बाजार, अनजान शहीद, बखालिस, सगड़ी, कासमाबाद इत्यादि जगहों पर 22 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से पक्का निर्माण किया गया है जिन्हें हटाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की वेदखली) अधिनियम, 1972 एवं संयुक्त प्रान्त सड़क-पार्श्व भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1945 के अधीन कानूनी कार्यवाही की गई है।

जनपद आजमगढ़ में ग्राम काखगार से ग्राम सुरैना तहसील सगड़ी मार्ग पर खड़ंजा लगाने में कथित अनियमितता सम्बन्धी शिकायत की जांच

136–श्री राम जनम–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम काखगार से ग्राम सुरैना तहसील सगड़ी मार्ग जिला आजमगढ़ में जो खड़ंजा लगा है वह समस्त सेमाईंट का लगाया गया है? क्या इससे सम्बन्धित अधिकारी (सहायक अभियन्ता) के खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जांच की जा रही है।

जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में जनरेटर आपरेटर का वेतन घटाये जाने की शिकायत

137–श्री राम जनम–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनरेटर आपरेटर का वेतन रुपये 400-00 से घटाकर रुपये 305-00 क्यों कर दिया गया है जबकि जनरेटर 100 के0 वी0 के ऊपर तक के आपके विभाग में आपत्तिकाल सेवा के लिए लगाये गये हैं तथा जनरेटर हैवी मशीन के अन्तर्गत आते हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में कार्यालय अधीक्षक के पद का सृजन

138–श्री भोपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में कार्यालय अधीक्षक का पद कब एवं किस शासनादेश के अन्तर्गत सृजित किया गया था? यदि उक्त पद वास्तव में सृजित नहीं किया गया है तो कालेज के कर्मचारी श्री जाहिद हुसैन ने अपनी सेवा पुस्तिका में कार्यालय अधीक्षक के पद पर तैनात होने की

प्रविष्टि किस आधार पर करायी है ? इस मामले में दोषी व्यक्ति कौन-कौन हैं तथा क्या उनके खिलाफ सरकार उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ एक स्वशासी संस्था है । इसके कर्मचारी वर्ग का निर्धारण संस्था की प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाता है। प्रबन्ध परिषद् के प्रस्ताव दिनांक 5 मार्च, 1975 के निर्णयानुसार अन्य पदों के साथ हेड क्लर्क का पद भी संस्था में रखा गया। प्रबन्ध परिषद् के दिनांक 22 मार्च, 1979 के प्रस्ताव द्वारा हेड क्लर्क के पद की कार्यालय अधीक्षक के पदनाम में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में कथित व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर जांच

139–श्री भोपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री त्रिलोक चन्द्र, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री राम जनम यादव, श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री मित्रसेन यादव आदि विधान सभा सदस्यों द्वारा कोई पत्र माह अगस्त, 1985 में स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उसमें की गयी मुख्य शिकायतें क्या हैं और क्या उन शिकायतों की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। शिकायतों की सूची संलग्न है। जांच में शिकायतें निराधार पाई गईं ऐसी स्थिति में किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 101 पर)

श्री आनन्द शुक्ला, प्रधानाचार्य, स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

140–श्री भोपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य, श्री आनन्द शुक्ला के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं सम्बन्धी कितने पत्र उन्हें वर्ष 1986 एवं 87 में अब तक प्राप्त हुए हैं? क्या उक्त पत्रों में लगाये गये आरोपों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो उन्हें अब तक स्पोर्ट्स कालेज से न हटाये जाने का क्या कारण है ? क्या मुख्य मंत्री जी प्रधानाचार्य (श्री शुक्ला) का स्थानान्तरण अविलम्ब करके उक्त आरोपों की जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत प्रकरण में उल्लिखित अवधि में अनेक शिकायती-पत्र प्राप्त हुए । शिकायतों की जांच के आदेश दिये जा चुके हैं। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

141–श्री भोपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के समस्त खेल अध्यापकों एवं सहायक खेल अध्यापकों द्वारा माह दिसम्बर, 1986 में सशरीर उपस्थित होकर उन्हें स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में की गई शिकायतें क्या हैं और क्या उनकी जांच करायी गयी? यदि हां, तो उनके लिये दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । शिकायतों की सूची संलग्न है। शिकायतों की जांच कराई गई। जांच में शिकायतें निराधार पाई गईं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 102 पर)

142–श्री शिवनारायण मिश्र–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री महन्धु सिंह, चौकीदार कादीपुर रेंज का चरित्र ठीक न होने के कारण सेवा समाप्त

143–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 27 मई, 1980 से अप्रैल, 1985 तक महन्धु सिंह उर्फ महन्त सिंह निवासी शाहपुर थाना चन्द्रा, सुल्तानपुर जो वन विभाग कादीपुर रेंज शाहपुर डेवाढ में जंगल का चौकीदार नियुक्त था, की नियुक्ति के पूर्व उसका चरित्र प्रमाण-पत्र क्यों नहीं लिया गया ? वर्ष 1985 में यह जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि महन्त सिंह अच्छे चाल चलन का नहीं है और सजा याफ्ता है ? क्या यह सच है वन विभाग के अधिकारी ऐसे अपराधी को राजनैतिक संरक्षण के दबाव में पनाह दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रभागीय निदेशक, सुल्तानपुर के आदेश 27-5-80 द्वारा कादीपुर रेंज में श्री महन्थु सिंह उर्फ महन्त सिंह की नियुक्ति चौकीदार के पद पर की गयी थी । नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट था कि कार्यभार ग्रहण करते समय श्री सिंह दो सक्षम अधिकारियों द्वारा दिए गए चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे । श्री गिरजा शंकर मिश्र, निवासी डेवाढ़, थाना चन्द्रा के शिकायती पत्र जिसमें श्री सिंह को सजायाफ्ता होने एवं चाल-चलन अच्छा न होने की शिकायत थी, का सत्यापन पुलिस अधीक्षक ने भी पूछने पर किया और तदनुसार पुष्टि होने पर श्री महन्त सिंह की सेवायें तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दी गयीं। यह सत्य नहीं है कि वन विभाग के अधिकारी ऐसे अपराधी को राजनैतिक संरक्षण के दबाव में पनाह दे रहे हैं।

किसान सहकारी चीनी मिल, सुल्तानपुर के गन्ना क्रय ठेकेदारों के नाम एवं ढुलाई की दरों का विवरण

144—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर किसान सहकारी चीनी मिल में वित्तीय वर्ष 86 में कांटों से गन्ने की ढुलाई के लिए किन-किन ठेकेदारों को किस रेट पर ठेका दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि दिनांक 30-11-86 से विधान सभा क्षेत्र चांदा के लम्भुवा शम्भूगंज चांदा के कांटों पर गन्ने की तौल बन्द थी तथा किसानों में इससे भीषण असन्तोष था कांटों पर गन्ना ढुलाई के अभाव में सूखता रहा तथा इससे चीनी मिल को क्षति हुई ? क्या जनरल मैनेजर, राजनैतिक दबाव के कारण ठेकेदारों के विरुद्ध संस्था के हित में वैधानिक कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या अवैधानिक कार्यवाही करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत चीनी मिल के वित्तीय वर्ष 86 में गन्ना क्रय केन्द्रवार, ठेकेदारों के नाम एवं उनकी ढुलाई की दरों का विवरण संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र चांदा के अन्तर्गत आने वाले क्रय केन्द्र शम्भूगंज तथा बांदा पेराई सत्र के दौरान कभी-कभी सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा मुख्यतः ठेका बीच में ही छोड़ देने के कारण बन्द हुए। इसके कारण क्षेत्रीय कृषकों को कुछ हद तक असुविधा हुई । उक्त क्रय केन्द्रों पर गन्ने की सूखन के लिये सम्बन्धित ठेकेदारों की जमानत/ ढुलाई-बिलों से कुछ धनराशि समायोजित कर ली गई है और अवशेष के वसूली के लिये प्रधान प्रबन्धक द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध विधिक राय लेकर, अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 103–104 पर)

डा0 सी0 के0 पाण्डेय, वैयक्तिक सहायक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के विरुद्ध स्थानान्तरण के पश्चात आवास न खाली किये जाने पर विहित कार्यवाही

145—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की अलीगंज कालोनी सेक्टर ई का एम0 आई0 जी0 54 आवास किस अधिकारी को आवंटित है तथा आवंटी अधिकारी कितने वर्षों से लखनऊ से बाहर कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त अधिकारी से जब से वह लखनऊ के बाहर कार्यरत है आज तक का नियमानुसार किराया वसूल कर आवास खाली कराने के आदेश करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आवास संख्या–54 एम0 आई0 जी0, अलीगंज कालोनी (डा0) सी0 के0 पाण्डेय, वैयक्तिक सहायक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन को आवंटित था। डा0 पाण्डेय का

स्थानान्तरण दिनांक 23-2-82 को लखनऊ जनपद से हुआ। उक्त आवास को रिक्त कराने तथा स्थानान्तरण की तिथि से एक माह के पश्चात् से नियमानुसार क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु वाद विहित प्राधिकारी राज्य सम्पत्ति के न्यायालय में दायर कर दिये गये थे। विहित प्राधिकारी द्वारा बेदखली के आदेश पारित हो चुके हैं। क्षतिपूर्ति की वसूली का वाद विहित प्राधिकारी के न्यायालय में लम्बित है।

जनपद गाजीपुर में गाजीपुर–बलिया मार्ग पर बनी हाटा सेतु की लागत एवं वसूली धनराशि

146–श्री अफजाल अन्सारी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के तह0 सिमा मुहम्मदाबाद में मुहम्मदाबाद बलिया मार्ग पर हारा ग्राम के समीप बने शहीद सेतु के निर्माण पर कुल कितना धन व्यय किया गया है और उक्त सेतु से प्राप्त टोल टैक्स द्वारा 15 अक्टूबर, 1985 तक कुल कितनी आय हुई है? क्या लागत से अधिक वसूली की गयी ? यदि हां, तो कितनी ? क्या अधिक धन जो वसूला गया उस पैसे से ही इसी सेतु के समीप एक छोटी पुलिया ग्राम नसरतपुर के नाले पर बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गाजीपुर बलिया मार्ग के कि0मी0 25 पर मंगई नदी पर हाटा सेतु की लागत तथा अक्टूबर, 85 तक उक्त लागत पर ब्याज, पुल के रखरखाव एवं अधिष्ठान खर्च सम्मिलित करते हुए कुल रु0 26.84 लाख व्यय हुआ है। 15 अक्टूबर, 85 तक मात्र 20.78 लाख ही पथकर के रूप में वसूली हुई है। अतः लागत से अधिक वसूली किये जाने एवं उस धनराशि से कोई पुलिया बनवाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

विधायक आवासों में चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या एवं पात्र कर्मचारियों को बोनस सुविधा

147–श्री अफजाल अन्सारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक आवासों में चौकीदार, फर्राश, लिफ्ट चालक, स्वीपर के पद पर सन् 1979 से कुल कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं तथा इन्हें कितना पारिश्रमिक दिया जाता है ? क्या यह सही है कि सन् 84 में इन कर्मचारियों को बोनस दिया गया था ? यदि हां, तो सन् 1985 में इन्हें बोनस न देने का क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि इन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1979 में विधायक आवासों में चौकीदार, फर्राश, लिफ्ट चालक, स्वीपर आदि के पद पर कुल 30 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत थे जिनकी संख्या 1-1-87 में बढ़कर 175 हो गयी है। उक्त कर्मचारियों को वर्ष 1979 में 6.50 रुपये प्रतिदिन पारिश्रमिक दिया जाता था जो बढ़कर 1 जनवरी, 1987 से 10.00 रुपये प्रतिदिन हो गया है।

नियमानुसार ऐसे दैनिक दर कर्मचारी जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा, कम से कम प्रत्येक वर्ष 240 दिन सहित कर ली हो, को बोनस देय होता है। वर्ष 1984 में पात्र दैनिक दर कर्मचारियों को बोनस दिया गया था।

सभी पात्र दैनिक दर कर्मचारियों को वर्ष 1985 में बोनस दिया गया है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

फर्म हरीश कुमार राजेन्द्र कुमार बनाम आयुक्त, बिक्रीकर के निर्णय सम्बन्धी पत्र के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

148—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्रीकर अधिकरण की बेंच लखनऊ ने धारा 11(8) के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 3-8-84 फर्म हरीश कुमार राजेन्द्र कुमार बनाम आयुक्त बिक्रीकर द्वितीय अपील सं0 97/1980 में दिया है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1523 मुख्य मंत्री जी को ता0 6-2-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां माननीय विधायक का पत्र संख्या 1523 द0म0कि0पा0-85 दिनांक 9-1-85 मुख्य मंत्री कार्यालय में 6-2-85 को प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर दिया जा चुका है ।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम कृष्ण बीज भण्डार के निर्णय के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

149—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि अलीगढ़ बिक्रीकर अधिकरण के सदस्य ने अपना निर्णय दिनांक 1-8-81 आयुक्त बिक्रीकर बनाम कृष्ण बीज भंडार में दिया है और आयुक्त बिक्रीकर के द्वारा दाखिल रिवीजन प्रार्थना-पत्र को द्वितीय अपील नहीं माना है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1978 दिनांक 20-5-86 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं, किन्तु इसी सम्बन्ध में मा0 विधायक का पत्र संख्या 1878/लो0द0/85 दिनांक 14-5-85 अवश्य प्राप्त हुआ जिसका उत्तर दिया जा चुका है।

150—श्री यदुनाथ सिंह—

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

151—श्री यदुनाथ सिंह—

[3रे मंगलवार के लिये स्थगित]

152–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णतः के आधार पर निरस्त]

शुगर कारपोरेशन की चीनी मिलों में शासनादेशानुसार वारिसों की नियुक्तियां

153–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या गन्ना विकास मंत्री की जानकारी में है कि शुगर कारपोरेशन की चीनी मिल में जी0 ओ0 जुलाई, 1983 के अन्तर्गत कर्मचारियों के वारिसान को नौकरी देने की बात कही गयी थी? यदि हां, तो क्या उसका परिपालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्रम विभाग, उ0 प्र0 की अधिसूचना संख्या 3158(एच0 आई0)/36-2-101(11) (एच0 आई0)-79, दिनांक 15 जुलाई, 1982 जिसकी अवधि 28 दिसम्बर, 1983 को बढ़ाई गई थी, के अनुसार शुगर कारपोरेशन की चीनी मिलों में वारिसों की नियुक्तियां यथासम्भव की जा रही हैं।

श्री कुशलपाल सिंह, विधायक के शिकायती-पत्र पर जांच

154–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 86 को उन्हें दिया था ? यदि हां, तो क्या उस शिकायती-पत्र की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

माननीय विधायक के शिकायती-पत्र की जांच क्षेत्रीय निदेशक, बृजभूमि क्षेत्र, आगरा से कराई जा चुकी है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के तोणखंड विकास खण्ड में वन कटाव से हुए भूस्खलन की क्षतिपूर्ति की मांग

155–श्री शूरबीर सिंह सजवाण–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1978-79 में ग्राम तोणखंड विकास खण्ड जखोला/नरेन्द्रनगर के लोगों द्वारा प्रचण्ड विरोध के बाद भी वन विभाग द्वारा भूजगढ़-हिन्दाव मोटर मार्ग के निर्माणाधीन भाग के आसपास बहुत मात्रा में वन कटाव करने से जुलाई, 1979 में, प्रथम वर्षा से ही उल्लिखित ग्राम व इससे लगे क्षेत्र में अत्यन्त भयंकर भूस्खलन हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्तियों को रोकने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जफर अली नकवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर की गई नियुक्तियों के विरुद्ध शिकायत

156–श्री फजलुल बारी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वन विभाग के पूर्वी वृत के दक्षिणी गोंडा वन प्रभाग से वर्ष 1983 से 1986 तक अवर अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 1980/82, व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियमावली, 1975 के प्राविधानों में निर्धारित शैक्षिक योग्यता से कम अर्हता रखने वाले व्यक्तियों की वन रक्षक व अन्य चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तदर्थ नियमित नियुक्तियां की गई हैं? यदि हां, तो ऐसी अनियमितता बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा बरती गई कथित अनियमितता के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

157–श्री राम सजीवन–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री फैंज बक्श निजामी निवासी ग्राम अफसरिया पोस्ट मदियापुर, जिला कानपुर देहात का रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 7-8-86 को भेजा गया पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी, कानपुर देहात पर शासनादेश संख्या बी-1742/कार्मिक-1/82 दिनांक 10 दिसम्बर, 82 के खुले उल्लंघन की शिकायत सप्रमाण प्रस्तुत की गयी है ? यदि हां, तो अभी उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र पर आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल की जांच आख्या मांगी गयी थी। जो प्रतीक्षित है।

लखनऊ में गोमती नदी के प्रदूषित जल को स्वच्छ बनाने में शासन की व्यवस्था

158–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ में गोमती नदी का पानी अत्यधिक प्रदूषित हो जाने के कारण नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है? यदि हां, तो उक्त तथ्य शासन और सरकार के संज्ञान में कब से आये और उक्त जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं और इसके स्थायी निदान हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा वर्तमान में गोमती प्रदूषित जल के वैज्ञानिक विश्लेषण (जांच) की रिपोर्ट क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

गोमती नदी का पानी दिनांक 30 दिसम्बर, 1986 को प्रदूषित अवश्य हो गया था परन्तु यह इतना प्रदूषित नहीं था कि जीवन और स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा पैदा हो गया हो ।

शासन सदैव ही गोमती नदी के जल की गुणवत्ता के प्रति सजग रहा है तथा नदी के जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण भी समय-समय पर किया जाता रहा है । गोमती के जल के दिनांक 30-12-86 को अधिक प्रदूषित होने का कारण हरगांव शुगर मिल, सीतापुर तथा मोहन मीकिन लि0 उद्योगों द्वारा अत्यधिक औद्योगिक प्रदूषित जल का उत्प्रवाह गोमती नदी में एक साथ छोड़ा जाना था। जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी उक्त प्रमुख उद्योगों एवं नगर महापालिका, लखनऊ के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की गयी जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा शुद्धीकरण संयंत्रों की व्यवस्था की जा रही है। गोमती नदी के जल का माह जनवरी–अप्रैल, 1987 के वैज्ञानिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नदी के जल में गऊ घाट पम्पिंग स्टेशन के समीप पी0 एच0, डी0 ओ0, बी0 ओ0 डी0 आदि की मात्रा क्रमशः (7.5-8.5), (8.2-8.6 मिलीग्राम प्रति लीटर) और (4.0-10.0) मिलीग्राम प्रति लीटर पायी गयी जो कि इस जल को पेय जल हेतु निकासी के लिए उपयोगी दर्शाता है परन्तु जल संस्थान, लखनऊ द्वारा एहतियात के तौर पर जल के शोधन एवं क्लोरिनेशन के बाद ही उसकी आपूर्ति की जाती है।

जनपद फैजाबाद के भारीडीहा सम्पर्क मार्ग एवं थिरुआ नाले पर पुल सम्बन्धी कार्य

159–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के टाण्डा ब्लाक में स्थित भारीडीहा सम्पर्क मार्ग का भारी डीहा ग्राम तक निर्माण कार्य पूरा करके तथा थिरूआ नाले पर पुल का निर्माण करके उसे जन साधारण के प्रयोग के लिये कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

भारीडीहा सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 4.00 किलोमीटर है, जिसमें से 3.00 किलोमीटर की लम्बाई मिट्टी व पुलिया स्तर तक स्वीकृत थी जिस पर कार्य करा दिया गया है। भारीडीहा ग्राम को जोड़ने हेतु शेष 1.00 किलोमीटर मार्ग तथा थिरुआ नाले पर पुल निर्माण का कार्य अथवा सम्पर्क मार्ग को पुल सहित पक्का कराने का कार्य जिला सेक्टर के अन्तर्गत आता है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा इस कार्य हेतु धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

भीटी ब्लाक के भीटी बाजार, जनपद फैजाबाद में गन्ना क्रय केन्द्र खोलने की मांग

160–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की भीटी ब्लाक के भीटी बाजार में गन्ना खरीद का कांटा न होने के कारण ब्लाक के मध्य और दक्षिणी अंचल के गन्ना किसानों को काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार भीटी बाजार में गन्ना क्रय केन्द्र खोलवाने और कांटा लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक के भीटी बाजार में गन्ना खरीद का कांटा न लगा होने के कारण ब्लाक के मध्य और दक्षिण अंचल के गन्ना किसानों को कठिनाई होने के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता । भीटी ब्लाक में के0 एम0 शुगर मिल, मसोधा (फैजाबाद) का सुरक्षित क्रय केन्द्र ग्राम असगवां में स्थापित है तथा इसी क्रय केन्द्र से ग्राम भीटी भी गन्ना पूर्ति हेतु संबद्ध है । वर्तमान में कम गन्ने की उपलब्धता के कारण भीटी बाजार में अलग से नया केन्द्र खोलना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है ।

सार्व0 निर्माण विभाग द्वारा 1984-85 में पेवर द्वारा बनायी गयी सड़कों की स्थिति एवं लक्ष्य तथा निजी क्षेत्र पेवर द्वारा सड़क निर्माण

161–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1984-85 में पेवर से कितने कि0 मी0 सड़के बनायी गयी और 85-86 में कितना लक्ष्य रखा गया था ? क्या सरकार पेवर से निजी क्षेत्र में सड़क बनाने पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1984-85 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पेवर से (राष्ट्रीय मार्ग को छोड़कर) 167 कि0 मी0 सड़कों का निर्माण किया गया तथा वर्ष 1985-86 में (राष्ट्रीय मार्ग को छोड़कर) 1018 कि0 मी0 मार्गों को बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । चूंकि विभाग के पास पेवर मशीनों की संख्या आवश्यकता से बहुत कम है । अतः निजी क्षेत्र में भी ठेकेदारों के माध्यम से पेवर द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है ।

सहारा नाम की संस्थाओं के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की मांग

162–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने सहारा नाम से चलायी जाने वाली संस्थाओं के विरुद्ध एक शिकायती पत्र रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज तथा चिट्स फण्ड उत्तर प्रदेश एवं वित्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन को 24 मार्च, 1987 एवं 2 अप्रैल, 1987 को दिया था ? यदि हां, तो क्या इन शिकायती-पत्रों पर अभी तक कोई जांच की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नकर्ता का दिनांक 24-3-87 का पत्र रजिस्ट्रार फर्म सोसाइयटीज व चिट्स के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । वित्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन को लिखा गया दिनांक 2-4-87 का पत्र प्राप्त हुआ है ।

दिनांक 2-4-87 के पत्र पर रजिस्ट्रार फर्म सोसायटीज व चिट्स की जांच आख्या प्राप्त हो गई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

हीवेट इंजीनियरिंग सोसायटी के विरुद्ध सी0बी0आई0डी0 से जांच एवं संस्था को दिया जाने वाला वित्तीय अनुदान

163–श्री मित्रसेन–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हीवेट इंजीनियरिंग कालेज सोसाइटी जो हीवेट पालीटेक्निक लखनऊ का संचालन लगभग 30 वर्षों से कर रही है, पर गंभीर गबन एवं अनियमितताओं के आरोप प्रकाश में आने के परिणाम स्वरूप सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से जांच वर्ष 80-81 में कराये जाने के आदेश दिये गये थे और दोष सिद्ध पाये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि यह सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार गठित नहीं है ? यदि हां, तो संस्था को वित्तीय अनुदान दिये जाने का कारण क्या था और अब तक जांच परिणाम के संदर्भ में वैधानिक और वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सी0 बी0, सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

दि हीवेट इंजीनियरिंग कालेज सोसाइटी लखनऊ दिनांक 5-2-34 से पंजीकृत है। संस्था प्राधिकृत नियंत्रक के नियंत्रण में 17-6-1982 से है । हीवेट पालीटेक्निक लखनऊ के संचालन हेतु छात्रों के हित में अनुदान वर्षानुवर्ष दिया गया था । सी0 बी0, सी0 आई0 डी0 से अभी तक जांच परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं ।

राज्य कर्मचारियों के लिए श्रेणी तीन के शासकीय आवासों की आवंटन प्रणाली एवं स्थिति

164–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों के लिये श्रेणी तीन के शासकीय आवास आवंटित किये जाने की क्या प्रणाली एवं नियम है ? सचिवालय कर्मचारियों के लिये शासकीय आवास आवंटन का क्या कोई विशेष नियम है ? क्या आवंटन वरीयता या प्राथमिकता के आधार पर किये जाते हैं तथा प्राथमिकता वरीयता कौन निर्धारित करता है ? जून, 1984 से जुलाई, 1986 तक कितने आवंटन वरीयता तथा कितने प्राथमिकता के आधार पर किये गये हैं उनमें से कितने विभाग द्वारा बनाई गयी सूची से तथा कितने विभाग द्वारा बनायी गयी वरीयता सूची के बाहर से किये गये है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राज्य कर्मचारियों के लिये श्रेणी-3 के आवासों का आवंटन नियमावली के नियम-4 के अनुसार कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों के प्राप्ति के दिनांक के अनुसार प्रतीक्षा सूची में नाम अंकित किये जाते हैं । श्रेणी-3 के आवासों की अत्यधिक कमी और अधिक मांग को देखते हुए वर्तमान में विभाग में अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुसार केवल उन्हीं कर्मचारियों के आवेदनों पर विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी नियुक्ति/तैनाती के दिनांक से लखनऊ में निरन्तर कार्य करते हुए न्यूनतम 10 वर्षों की सेवायें पूर्ण कर ली हैं और जो प्रतीक्षा सूची में नाम की वरीयता रखते हैं ।

सचिवालय के कर्मचारियों के लिये आवास आवंटन की प्रक्रिया/नीति, अन्य कर्मचारियों की भांति ही है किन्तु महानगर स्थित कालोनी (श्रेणी-3 "बी" टाइप) जिनमें कि केवल सचिवालय कर्मचारियों के पक्ष में ही आवासों का आवंटन किया जाता है से संबंधित आवास अन्य कालोनी के आवासों से अधिक अच्छे होने के कारण उनमें सचिवालय के प्रबरवर्ग सहायक एवं वैयक्तिक सहायक के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की अधिकतम सेवाओं का आंकलन करते हुए आवासों का आवंटन किया जाता है ।

नियमानुसार आवासों का आवंटन विभाग में बनायी गयी प्रतीक्षा सूची में क्रम की वरिष्ठता रखने वाले कर्मचारियों को ही किया जाता है किन्तु कभी-कभी कर्मचारियों की कतिपय विशेष परिस्थितियों को देखते हुए आवास आवंटन नियमावली के नियम-23 के अंतर्गत आवास आवंटन संबंधी नियमों को शिथिल करते हुए आवासों का आवंटन कर दिया जाता है ।

नियम-23 के अंतर्गत प्राथमिकता निर्धारित करने का प्राविधान है ।

जून, 1984 से जुलाई, 1986 तक वरीयता तथा प्राथमिकता के आधार पर किये गये आवासों की आवंटन की संख्या निम्न प्रकार है:-

नियमानुसार (प्रतीक्षा सूची से)	प्राथमिकता के आधार पर (प्रतीक्षा सूची)
29	10

उपर्युक्त में विभाग द्वारा बनाई गई सूची के अनुसार किये गये आवासों के आवंटन एवं वरीयता सूची से बाहर किये गये आवंटनों की संख्या पृथक-पृथक निम्न प्रकार है:-

प्रतीक्षा सूची के अनुसार	प्राथमिकता के आधार पर प्रतीक्षा सूची से बाहर
39	12

उ0 प्र0 बिक्रीकर (द्वितीय) अपीलों को निपटाने हेतु गठित ट्रिब्यूनलों की स्थिति एवं स्थान

165-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या संसदीय वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 बिक्रीकर की द्वितीय अपीलों को निपटाने के लिए कितने बिक्रीकर ट्रिब्यूनल गठित किये गये हैं । वे कहां-कहां है तथा प्रत्येक ट्रिब्यूनल में कितने स्थान रिक्त है ?

श्री वीर बहादुर सिंह-

बिक्रीकर की द्वितीय अपीलों को निपटाने के लिए बिक्रीकर अधिकरण का गठन किया गया । जिसके एक अध्यक्ष है तथा निम्न 26 पीठें सृजित की गई है जिनमें से कानपुर प्रथम, इलाहाबाद प्रथम, झांसी तथा मुजफ्फरनगर की पीठों में सदस्यों के एक-एक स्थान रिक्त है:-

1-मेरठ प्रथम

2-मेरठ द्वितीय

3–वाराणसी प्रथम
4–वाराणसी द्वितीय
5–वाराणसी तृतीय
6–आगरा प्रथम
7–आगरा द्वितीय
8–लखनऊ
9–मुरादाबाद प्रथम
10–मुरादाबाद द्वितीय
11–अलीगढ़ प्रथम
12–अलीगढ़ द्वितीय
13–कानपुर प्रथम
14–कानपुर द्वितीय
15–इलाहाबाद प्रथम
16–इलाहाबाद द्वितीय
17–बरेली प्रथम
18–बरेली द्वितीय
19–गाजियाबाद प्रथम
20–गाजियाबाद द्वितीय
21–देहरादून
22–फैजाबाद
23–सहारनपुर
24–गोरखपुर
25–झांसी
26–मुजफ्फरनगर पीठ

जनपद ललितपुर में शहरी जमीन क्रय करने में कथित रूप से की गयी स्टाम्प चोरी

166–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर में शहरी जमीन की खरीद में 133.097 रुपये की स्टाम्प चोरी के संबंध में कोई शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता तथा अन्य विधायकों के हस्ताक्षर से दिनांक 13-2-86 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन उन्हें मिला ? यदि हां, तो शिकायत का पूरा विवरण क्या है तथा जांच किससे करायी गयी? जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये एवं प्राप्त तथ्यों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । कथित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था । जिसमें ललितपुर शहर मुहल्ला घुसयाना के कतिपय खसरा के क्रय में 1,33,097 रुपये की स्टाम्प अपवंचन की शिकायत की गई है । मामले की जांच महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के स्तर से जिला निबंधक, ललितपुर से कराई गयी । जिला निबंधक की रिपोर्ट के अनुसार प्रलेखों

पर मूल्यांकन संदिग्ध पाये जाने के कारण उचित स्टाम्प शुल्क निर्धारित हेतु लेखपत्रों की प्रतिलिपियां स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत कलक्टर ललितपुर को संदर्भित की गई थी उनके द्वारा जांचोंपरांत प्रश्नगत मामले में स्टाम्प शुल्क की कोई कमी नहीं पाई गयी ।

167–श्री कुशलपाल सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 की 19 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से शलाका द्वारा 7 सूचनाएं स्वीकार की गई हैं, जिनके नाम.....

नियमों को निलम्बित करके स्थानीय निकायों के चुनाव की तिथि तथा मेरठ की घटनाओं की जांच हेतु सर्वदलीय जांच समिति के गठन की मांग

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं आपसे एक अनुमति चाहता हूं । आप सारे नियमों को निलम्बित करके आज पहले इसको लीजिए। मैं इस सम्बन्ध में आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूं और वह बातें आप सुनने की कृपा करें । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जबसे यह चुनाव हुए, सरकार आई है, तब सरकार ने यह वायदा किया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जायेंगे और तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने यह कहा था और घोषणा की थी कि दिसम्बर, 85 तक चुनाव हो जायेंगे । उसके बाद वर्तमान मुख्य मंत्री ने एक वर्ष का समय फिर बढ़ा दिया और एक वर्ष का समय फिर बढ़ा दिया । इस तरह से लोकतंत्र की बुनियाद यह जो स्थानीय निकाय हैं, जिनसे स्थानीय नेतृत्व तैयार होता है, जो फिर धीरे-धीरे देशीय स्तर तक जाता है, उसे यह सरकार कोई महत्व नहीं देती है, और उसको छिन्न भिन्न, कमजोर और नष्ट करने पर तुली है । क्योंकि यह सरकार समझती है कि बिना शासनतंत्र और पुलिस के दुरुपयोग के यह चुनाव जीत नहीं सकती है । इसलिए उसने इन स्थानीय निकायों में अपने अधिकारी बिठा रखे हैं और कहीं-कहीं अपने हमदर्द लोगों को बिठा रखा है। उसका नतीजा यह है कि आज नगरों में गन्दगी का साम्राज्य है, कामचोरी और लूटमार का बोलबाला है और अफसरों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है । इसके साथ ही विधान परिषद् हमारा उच्च सदन है । उसका बहुत बड़ा महत्व है । उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित मोतीलाल नेहरू जैसे लोग सदस्य रह चुके हैं । किन्तु आज इस सरकार के चलते वह सदन लंगड़ा पड़ा है और उसमें 39 स्थान रिक्त पड़े हैं– 39 स्थान बिना चुनाव हुए सदस्यों के खाली पड़े हैं ।

ग्राम पंचायतों के चुनाव का समय भी समाप्त हो गया । पांच वर्ष बीत गए उस दिशा में कुछ इस सरकार ने नहीं किया । पांच वर्ष बीत गए और आज तक जिला परिषदों का गठन नहीं हो पाया है । सहकारी संस्थाओं के चुनावों की कई बार घोषणा हुई और श्रीमन्, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चुनाव शुरू हो गए

और कहीं-कहीं वोट भी पड़ने लगे, किन्तु उसके बाद उनका स्थगन आदेश पहुंचा है। इसलिये आपसे प्रार्थना है कि सारे नियमों का उल्लंघन करके सरकार आज चुनावों की तारीखें घोषित करे।

और दूसरी बात यह है कि आज जैसा आप सबने सुना होगा अलीगढ़ फिर से जल गया है, अलीगढ़ में दंगे हुए हैं और मेरठ का तनाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरठ में जो जांच हो रही है, उसके सम्बन्ध में हमारे कई माननीय सदस्यों ने यह राय दी है, सुझाव दिया है और मांग की है कि सदन की एक सर्वदलीय समिति बिठाई जाए, जो पूरे मामले की जांच करे और एक महीने में जांच रिपोर्ट दे दें और वह रिपोर्ट इसी विधान सभा सत्र में पेश हो और गम्भीरता से उस पर विचार हो, जिससे सारे देश में जो साम्प्रदायिकता का वातावरण पैदा हो गया है, वह समाप्त हो सके..... वरना सदन उठ गया तो 6 महीने तक मौका नहीं मिलेगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि इन दो विषयों पर नियमों को निलंबित करके चर्चा कराने की कृपा करें।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुलायम सिंह जी ने जो बातें कहीं हैं, एक बार नहीं, बल्कि अनेक बार इस सदन में मुख्य मंत्री जी ने और समय-समय पर जो मुख्य मंत्री रहे हैं और जो स्वायत्तशासन मंत्री रहे हैं सबने चुनावों के बारे में आश्वासन दिये हैं लेकिन उन आश्वासनों को आजतक पूरा नहीं किया गया है। यही नहीं जब तक यह सरकार कायम है इन आश्वासनों की पूर्ति होने वाली नहीं है। इसलिये हम चाहते हैं कि जैसा माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा, नियमों को निलंबित करके इस पर चर्चा करायें और आज ही सरकार यह घोषणा करे कि कब स्थानीय निकायों के और सहकारिता के चुनाव होंगे। दूसरी बात जो सर्वदलीय समिति की, कही गयी है यह कब बनायी जायगी जिससे इसकी रिपोर्ट एक महीने में सदन में आ जाय। जब तक इन मांगों को नहीं मानेंगे तब तक यह बेइमानी होगी कि हम लोग सदन में आकर बैठें और इस तरह से फार-मेलिटी अदा करके यहां से चले जांय। आज जो प्रदेश की ज्वलंत समस्याएं हैं वह मुंह बाये हमारी ओर देख रही हैं। सरकार उनका निदान नहीं कर रही है। मैं चाहूंगा कि मान्यवर, आप नियमों को निलंबित करके इस पर तुरंत चर्चा करायें।

*श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, यह जो प्रश्न उपस्थित हुआ है यह सार्वजनिक महत्व का है। हम देख रहे हैं कि लगातार शासन लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन कर रही है और अवमानना कर रही है। विधान परिषद् की अनेक सीटें खाली पड़ी हुयी हैं, पिछले 15-18 सालों की अवधि बीत गयी है, जिला परिषद्, स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुये हैं। प्रधानों की अवधि बीत चुकी है, जिला परिषद् के सदस्यों के चुनाव हुये उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, लेकिन जिला परिषदों का गठन आजतक नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि शासन आज इस बात की घोषणा करे कि स्थानीय निकायों के चुनाव के लिये उसकी समय सारणी क्या है। मैं विशेष रूप से इस बात को इसलिये कहना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के न्यायाधीशों ने एक फैसला दिया है कि सरकार को 6 महीने के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव करा देने चाहियें। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार की ओर से न्यायालय के फैसले पर कोई प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं हुयी है। इससे आभास हो रहा है कि सरकार कदाचित न्यायालय की अवमानना की कमर कसे बैठी है। आपने जगह-जगह पर अधिकारियों को बैठा रखा है जो जनता का खून चूस रहे हैं और उसको मिलने वाली सुविधाओं को खुद खा रहे हैं। स्थानीय निकायों में टैक्स लगा रहे हैं। व्यूरोक्रेसी को, अधिकारियों को किसी तरह का टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होता है टैक्स लगाने का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को होता है। सरकार लगातार सरकारी शिकंजे में स्थानीय निकायों को कसकर जनता पर अत्याचार कर रही है और दमन कर रही है तथा उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रही है। मैं इस बात का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि सरकार चुनाओं के लिये समय सारणी की घोषणा करे। दूसरी बात सदन की एक समिति बनाने की है। तो यह समिति अवश्य बनायी जाय जो एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे दे। यह दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं इनका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इसका उत्तर "हां" में होगा, अगर इसका उत्तर "नहीं" होगा तो यह माना जायगा कि सरकार को जनतांत्रिक मूल्यों का कोई ख्याल नहीं है, जनहित का कोई ख्याल नहीं है और न्यायालय के निर्णय का कोई ख्याल नहीं है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, इस सरकार के चलते सारी लोकतांत्रिक संस्थायें और सारी लोकतांत्रिक मान्यतायें समाप्त कर दी गयी हैं। जिला परिषदों और स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं जो कि लोकतंत्र पर कुठाराघात है। सारे अधिकार अधिकारियों को दे दिये गये हैं मंत्री लोग खाली बैठे हैं, अधिकारी जो बताते हैं वह यह कर देते हैं। अधिकारी लोकतांत्रिक मान्यताओं की हत्या कर रहे हैं। प्रेस की आजादी समाप्त कर दी गयी है। जालौन में पुलिस अधिकारियों और जिलाधिकारी ने राधे श्याम दातर के ऊपर हमला कराया, मुख्य मंत्री जी ने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन दिया लेकिन आजतक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी हैं।

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि जालौन के एस0 एस0 पी0 और जिलाधिकारी को निलम्बित किया जाय। इसकी घोषणा आज माननीय मुख्य मंत्री जी करें। अभी मेरठ के दंगे पर चर्चा चल रही थी, अलीगढ़ में भी दंगा शुरू हो गये और ये उन्हीं अधिकारियों से जांच करा रहे हैं जिनके रहते दंगा हुए है। मान्यवर, मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री जी आज सदन में घोषणा करें कि नगरपालिकाओं तथा तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव कराये जायेंगे और दूसरी बात मेरठ और अलीगढ़ के दंगों के लिए संसदीय कमेटी बनाकर जांच करायी जायेगी और एक और घोषणा करें कि जालौन के जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 को निलम्बित किया जायगा।

*श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में जो नगरपालिका और टाउनएरिया है, सबमें पानी का संकट विकराल रूप से हो गया है। पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जो सरकारी अधिकारीगण म्यूनिसिपैलिटीज में और टाउन एरिया में, नोटिफाइड एरियाज में बैठ गये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, उन्होंने इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को चारागाह बना रखा है, उसमें चरते हैं । तमाम पैसा जो जनता के टैक्स का है, वह सारा का सारा उनकी सुविधाओं में खर्च हो रहा है । एक-एक आफिसर्स 4-4 गाड़ियां रखे हैं। डिस्ट्रक्ट बोर्ड की गाड़ी डी0एम0के पास रहेगी, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी रहेगी तो इस तरह से जनता का जो पैसा है वह चारागाह के रूप में इस्तेमाल हो रहा है और वह अधिकारीगण उसका उपयोग और उपभोग कर रहे हैं। जनता में जो एक आस्था जनतंत्र के प्रति है उसका यह सरकार खत्म कर रही है । तमाम लोकतांत्रिक संस्थाए खत्म करके । अभी हमारे एक उधर के भाई कह रहे थे कि बैठे हैं तो यह भी खत्म कर देंगे। एक खम्भा राजस्तम्भ का स्थापित है वह भी एक खम्भे पर रह गया है । हम यहां पर तो बैठे है तमाम मिनिस्टर को देख लीजिए, मुख्यमंत्री को देख लीजिए बराबर दिल्ली में बैठे रहते हैं। जो भी काम होता है, सरकारी काम जो उत्तर प्रदेश सरकार को और विधान सभा को करना चाहिए वह भी काम खत्म कर रहे हैं । और इस प्रकार की जो नीतियां हैं उनकी अवहेलना की जा रही है । मान्यवर, डिस्ट्रक्ट बोर्ड के मेम्बरों के चुनाव हुए 2 वर्ष बीत रहे है और वह अभी तक शपथ नहीं ले पाये, डिस्ट्रक्ट बोर्ड की बैठक में बैठ नहीं पाये कि वह अपना काम कर सके तो मान्यवर, इस प्रकार से मैं लोकतंत्र की हत्या होते हुए नहीं देख सकता और यह आज हमारी मांग है, जोरदार मांग है कि जब तक यह सरकार यह एलान नहीं करती है कि डिस्ट्रक्ट बोर्ड के चुनाव होंगे स्थानीय निकायों के चुनाव फलां तारीख को होंगे तब तक हम दूसरा काम नहीं करने देंगे । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें । मान्यवर, मेरठ का दंगा कोई मामूली बात नहीं है सैकड़ों लोग मारे गये हैं, हजारों लोग बेघरबार हो गये हैं और लाखों का शहर मेरठ तबाह हो गया है । लेकिन यह लोग अपनी नीतियों को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि दंगाई लोग कुछ ही होते है जो यह दंगा करवाते है लेकिन मान्यवर, यह जो है यह इनकी सरकार जो पिछले 20-25 सालों से चल रही है इनकी गलत नीतियों के कारण लोगों में मनमुटाव हुआ है । पिछले कई वर्षों से लगातार जो उत्तर प्रदेश में तनाव रहे हैं उसका कारण इनकी गलत नीतियां हैं। अगर यही चलता रहा तो मेरठ की तरह और भी जगह कांड होंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, हो सकता है कि इसमें हमारे विरोधी दल के राजनेता कुछ दोषी हों लेकिन बड़ा दोष इस सरकार का है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है उसको सिर्फ राजनेताओं के ऊपर लगाना चाहते है । आज हमारी जो इंटेलीजेंस है, हमारे सुरक्षा कर्मी है वह सिर्फ राजनेताओं की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं । इसलिए मैं मांग करता हूं कि संसदीय समिति

का एलान जरूर होना चाहिए जो एक महीने के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट इस सदन के अन्दर प्रस्तुत करे ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

जो प्रश्न विधान सभा के अन्दर उठाया गया है और सभी विरोधी पक्ष के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उसके सम्बन्ध में मुझे आपके माध्यम से इस सरकार से कहना है कि पिछले 16 वर्षों से नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि प्रत्येक शहरों के अन्दर सड़कों की दुर्दशा तो है ही, ये लोग पीने का पानी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, विद्युत की व्यवस्था नहीं है। वहां पर जो सरकारी अधिकारी बैठे हुए हैं, वे सारे के सारे अधिकारी आज रिश्वतखोरी में लिप्त हैं। अगर वहां पर आज जन-प्रतिनिधि होते, तो आज शहरों की इस प्रकार से दुर्दशा न होती। नगरपालिकाओं और टाउन एरिया के चुनाव नहीं हुए। सहकारिता का चुनाव तो कई बार नामिनेशन होने के बाद भी नहीं हुआ। इन्होंने अपनी कमजोरी समझ कर उस चुनाव को नहीं कराये। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी आज सरकार पंगु बनी बैठी है। प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिकता की ज्वाला भड़क उठी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह सरकार जल्द से जल्द यह घोषणा करें कि यह चुनाव कब कराने जा रही हैं।

* मुख्य मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, अभी नेता विरोधी दल और सभी नेताओं ने यहां पर स्थानीय निकायों के चुनाव के सम्बन्ध में, जिला परिषदों के चुनाव के सम्बन्ध में, सहकारिता के चुनाव के सम्बन्ध में और लोकल बाडीज से जो विधान परिषद् के लिए सदस्य चुने जाते हैं, उसके सम्बन्ध में और इसी बीच में कुछ माननीय सदस्यों ने मेरठ की बात का भी हवाला दिया, जबकि मेरठ पर चर्चा अभी होना बाकी है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार, इधर की ही सरकार ने पहले चुनाव कराया था और जब उधर की सरकार आयी थी, तो उसने सारी लोकल बाडीज जो थीं, उनको भंग कर दिया और चुनाव नहीं कराया। मैं कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार आई, तो उसने लोकल बाडीज को भंग कर दिया और उसके बाद चुनाव नहीं कराया।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके शान्त रहिये, माननीय नेता सदन बोल रहे हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार चुनाव करायेगी। मान्यवर, हम जिला परिषद् का चुनाव करायेंगे, सहकारिता का चुनाव करायेंगे, मंडी समिति का चुनाव करायेंगे और विधान परिषद् की जो लोकल बाडीज की सीटें हैं, उनका चुनाव करायेंगे।

(घोर व्यवधान)

---

*. वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके शान्त बैठें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

सुनाई तो दे नहीं रहा है। आप बैठ जाइये। माननीय मुलायम सिंह खड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, पहले मुख्य मंत्री जी को बोलने का ढंग सिखाइये। मान्यवर, हम चेतावनी देते हैं कि इस तरह गुण्डागर्दी और धमकी से यह सदन नहीं चल सकता है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सब कृपा करके बैठें। शान्त रहें।

(घोर व्यवधान)

(श्री मुलायम सिंह यादव, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री जवाहर सिंह यादव, श्री गौरी भइया तथा कुंवर रेवती रमण सिंह और जनता पार्टी तथा लोकदल (ब) के अन्य बहुत से सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठ गये और नारे लगाने लगे–गुण्डागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसी नारे को कई बार दोहराने लगे)

श्री अध्यक्ष–

यह उचित नहीं है। कृपा करके आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें।

(फ्लोर पर बैठे माननीय सदस्य पुनः नारे लगाने–गुण्डागर्दी नहीं चलेगी। वीर बहादुर की गुण्डागर्दी नहीं चलेगी। इसी नारे को बार-बार दोहराने लगे)

श्री अध्यक्ष–

मैं आप सब से अनुरोध करूंगा कि कृपा करके अपने स्थान पर आ जायें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप अन्याय कर रहे हैं। आप इस सदन की मर्यादा को भंग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप माननीय नेता सदन को सुन लें।

(फ्लोर पर बैठे माननीय सदस्य पुनः नारे लगाने लगे–स्थानीय निकाय का चुनाव कराओ, चुनाव कराओ। मेरठ काण्ड पर पर जांच कराओ, जांच कराओ। इसी नारे को बार-बार दोहराने लगे)

श्री अध्यक्ष–

मुलायम सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना आसन ग्रहण करें।

(फ्लोर पर बैठे माननीय सदस्य पुनः नारे लगाने लगे–गोरखपुर और विधान सभा में फर्क करो–फर्क करो)

(गुण्डागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसी नारे को बार-बार दोहराने लगे)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मुलायम सिंह जी व उनके समस्त सम्मानित सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम लोग बात कर सकें।

(घोर व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य, गुण्डा गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चुनाव कराओं, चुनाव कराओ के नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 12 बज कर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिए स्थगित कर दी गयी।)

1 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन आधे घण्टे और बढ़ा दिया है।

1 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने पुन: सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन आधे घण्टे और बढ़ा दिया गया है।

2 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

2 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है।

2 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई।)

(सदन के पुन: शुरू होने पर विरोध पक्ष के अनेक विधायक, जो कि पहले से ही सदन के "फ्लोर" पर बैठे थे, "तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो" के नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

मैं नम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध करूंगा, आपका हमेशा सहयोग मिलता रहा है, मैं बड़े अदब के साथ अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब अपने-अपने स्थान पर बैठें ताकि सदन की कार्यवाही चले ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

(सदन के फ्लोर से ही)

आप सहयोग लेते रहे और धोखा देते रहे।

श्री अध्यक्ष–

मैं नम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध करूंगा। माननीय मुलायम सिंह जी, आप अपनी जगह पर आ जायं तो मुनासिब रहेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

(सदन के "फ्लोर" से ही खड़े होकर)

हमने आपको हमेशा सहयोग दिया है, लेकिन इस कुर्सी से हमेशा धोखा मिला है।

(सत्ता पक्ष की ओर से "माइक पर आकर बोलें, माइक पर आकर बोलें" की आवाजें)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुलायम सिंह जी, मैं समझता हूं कि जितना आदर मैं आप सबको देता हूं, मुश्किल से ही कोई और स्पीकर देता होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपा करके बैठें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

(सदन के "फ्लोर" पर खड़े होकर)

हमने हमेशा सदन की गरिमा बनाये रखने के लिए आपका सम्मान किया है और पवित्रता बनाये रखने की कोशिश की है। हमारी तीन मांगें हैं। पहली यह कि स्थानीय निकायों के चुनाव की आज ही तारीख की घोषणा कर दें। इस मांग से कोई भी इन्कार नहीं करेगा चाहे उधर के हों या इधर के हों। न क्रान्तिकारी मोर्चे का सवाल है, न कांग्रेस पार्टी का सवाल है। आप स्वयं भी महसूस करते होंगे कि नगर-महापालिकायें और टाउन एरिया भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं। मेरा विश्वास है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास है कि आज अगर आप तारीख निश्चित कर दें, दो-तीन महीने से ज्यादा देर की नहीं, तो मेरठ और अलीगढ़ के दंगे एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेंगे।

श्री भोपाल सिंह–

(अपनी सीट से बोलते हुए)

मान्यवर, क्या यह कार्यवाही में सम्मिलित किया जायगा?

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही से इसका कोई ताल्लुक है या नहीं है यह मैं देख लूंगा।

(सदन के "फ्लोर" से)

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप सुनना नहीं चाहते लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा यह विश्वास है कि अगर आज चुनाव की घोषणा हो जाय तो जो उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव है, वह भी समाप्त हो जायगा। यह सरकार ध्यान नहीं हटाना चाहती है, केवल एक ही तरफ लगी हुई है कि अफसरशाही रहे।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके अपनी सीट पर आकर बोलें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

कृपा करें। मेरठ और अलीगढ़ के दंगों के लिए . . .

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि क्या सदन के अन्दर "फ्लोर" से बोलना सदन की कार्यवाही का भाग होगा?

श्री अध्यक्ष–

यह मेरे विवेक पर है कि कार्यवाही का भाग होगा कि नहीं।

श्री भोपाल सिंह–

आप क्या विवेक करेंगे? यह निर्णय तो अभी आपको देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

यह मेरे विवेक पर है कि यह कार्यवाही का हिस्सा है या नहीं है। कृपा करके मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जगह पर आकर बोलें। माननीय रेवती रमण सिंह, अब काफी हो गया, मेहरबानी करके आप लोग वापस अपनी जगह पर आ जायं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप गम्भीरता से इसको ले ही नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि काफी हो गया?

श्री अध्यक्ष–

आपको काफी कष्ट हो रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं कि काफी हो गया।

श्री भोपाल सिंह–

आप तो कह रहे हैं कि बाद में निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रेवती रमण सिंह जी, कुछ तो . . .

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आज जो मांगें हम लोगों ने रखी हैं, या तो आप सरकार से कह दीजिये कि मान लें, या हमको सदन से बाहर करवा दीजिये। दो रास्ते हैं, जो आप निर्णय लें वह हमको शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग अपनी जगह पर आ जायं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

हम भी आपसे अनुरोध ही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह कैसे होगा कि जब तक आप कक्ष में आकर बात न करेंगे तब तक कैसे यह मसला हल होगा? मैं 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 53 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी।

तदुपरान्त 3 बजकर 8 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने स्थान पर आ जायें।

(व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह–

मेरठ के दंगों में तनाव पैदा हो रहा है, उस पर चर्चा के लिए समय दिया गया था, उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है, उसमें व्यवधान डाल रहे हैं। आज व्यवधान पैदा किया है। अलीगढ़ में तनाव हो गया है, कल मैं भी व्यवधान पैदा करूंगा। यह लोग चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं। मुख्य मंत्री से मिलकर षडयंत्र रचा है और जिससे असली अपराधी सामने न आ सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपसे अनुरोध है, मेहरबानी करके अपने स्थान पर आ जायें। (व्यवधान) कृपा कर अपने स्थान पर आ जायें ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय, मैंने पहले ही कहा है कि चुनाव कराये जायेंगे। मैं चुनाव कराने से हटता नहीं हूं। बरसात के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। चुनाव बरसात के पहले नहीं हो पायेंगे। इसमें दो राय नहीं हैं कि चुनाव कराना जरूरी है। जो माननीय सदस्यों की मन्शा है, उसको मैं समझता हूं कि चुनाव होने चाहिए, मैं चुनाव कराऊंगा। सभी माननीय सदस्य साथी हैं और सभी का मैं सम्मान करता हूं और करता रहूंगा, जिसको भ्रम हो वह दूर हो जाना चाहिए।

श्री कौशिक रमा शंकर–

बरसात के बाद दिसम्बर, 87 और दिसम्बर, 88 भी आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब आप लोग अपने स्थान पर आ जायें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

बरसात भादों में खत्म होती है, आधे क्वार तक करा दो। महीना बता दो। हरियाणा में 3 करोड़ रुपया देकर देवी लाल को हराने की कोशिश की गयी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं परसों 11 बजे फिर मिलेंगे। परसों के एजेण्डा में मेरठ की चर्चा और जो सूचनायें रह गयी हैं, वह ली जायेगी। सदन उठने के बाद कोई माननीय सदस्य सदन में नहीं रह सकता है।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 11 मिनट पर वृहस्पतिवार, 25 जून, 1987 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

23 जून, 1987

भाल चन्द्र शुक्ल

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 64 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

प्रश्नोत्तर में उल्लिखित प्रशिक्षित छात्रों की संख्या की वर्षवार सूची

शैक्षिक सत्र	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
वर्ष 1978–79	219
वर्ष 1979–80	239
वर्ष 1980–81	220
वर्ष 1981–82	248
वर्ष 1982–83	274
वर्ष 1983–84	267
वर्ष 1984–85	201
वर्ष 1985–86	237
वर्ष 1986–87	227

सत्यमेव जयते

नत्थी "ख"

(देखिए अति0प्र0सं0 81 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

परिशिष्ट 'क'

1—श्री बृजभूषण सिंह ट्रक ड्राइवर व दुर्गा प्रसाद रोलर ड्राइवर, प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक 1577 व्यग/764 व्यग/86, दिनांक 28-2-86 के अनुसार मंहगाई भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है। बकाया सहित भुगतान कराया जाय, एवं श्री बृजभूषण सिंह को रेगुलर करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना देने की कृपा करें।	1—मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार श्री बृजभूषण सिंह को नियमित करने पर विचार किया जायगा।
2—इटवां मारकुण्डी मानिकपुर मार्ग, ओहन डैम, राजापुर रैपुरा मार्ग, राजापुर हटवा मार्ग आदि मार्गों पर लगभग 4 माह से वेतन नहीं दिया गया है। शीघ्र ही भुगतान कराने की व्यवस्था की जाय।	2—अंकित मांगों में कार्यरत कर्मचारियों का भुगतान किया जा चुका है।
3—प्रायः रख रखो मार्गों में नए आदमी रख लिए जाते हैं और पुराने छटनी शुदा कर्मचारियों को कार्य पर नहीं रखा जाता है। भविष्य में पुराने और छटनी शुदा कर्मचारियों को अवश्य रखने की कृपा की जाय।	3—भविष्य के लिए सुझावोनुसार कार्यवाही की जायगी।
4—दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रमुख अभियन्ता उ0प्र0 सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र संख्या 958 व्यग/565 व्यग/86, दिनांक 4-2-86 के आधार पर मंहगाई भत्ते एवं दैनिक वेतन दिया जाय ताकि साथ ही बकाए का भुगतान कराया जाय।	4—शासकीय आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।
5—मस्टर रोल कर्मचारियों को बोनस का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, शीघ्र कराया जाय।	5—भुगतान किया जा चुका है।
6—संघ को शाखा को यह सूचना प्राप्त हुई है। स्थानिक अभियन्ता द्वितीय श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव के कार्यालय में नकदीकरण अवकाश के प्रार्थना-पत्र अनिस्तारित पड़े हुए हैं, जिन्हें निस्तारित कराया जाय।	6—लम्बित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर भुगतान किया जा चुका है।
7—जो मार्ग पूर्ण रूप से बन कर तैयार हैं और प्रथम लेयर सतह का कार्य हो चुका है उन मार्गों का परमानेंट करवाने की कार्यवाही एवं उनमें कार्यरत कर्मचारियों को ज्येष्ठता के आधार पर वर्कचार्ज में देने की कार्यवाही अविलम्ब की जाय।	7—नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

8—रेगुलर कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 का लेखा जोखा शीघ्र तैयार कराया जाय।

9—रेगुलर कर्मचारियों को दो वर्ष से अधिक वेतन वृद्धि नहीं दी गयी ह। शीघ्र ही वेतन वृद्धि लगाकर बकाया का भुगतान कराया जाय साथ ही समयमान वेतनमान भी लगाया जाय।

10—आपके द्वारा शिकायत निवारण समिति की बैठक नहीं बुलाई जाती है, जिसे प्रति माह बुलाकर निम्न कर्मचारियों की बातें सुनी जायं।

8—नियमित कर्मचारियों का जी0पी0एफ0 लेखा 85–86 तक पूर्ण किया जा चुका ह।

9—नियमित कर्मचारियों की वेतन वृद्धि लगा दी गयी है। बकाया भुगतान एवं समयामान वेतनमान लगाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

10—भविष्य के लिए कार्य अधीक्षक को नियमानुसार नियमित रूप से बैठक बुलान के निर्देश दिए गए हैं।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 103 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

क्रम सं0	ग्राम	बैंक द्वारा स्वीकृत धनराशि	अभिकरण द्वारा दिया गया अनुदान	वितरित धनराशि
1	2	3	4	5
	विकास खण्ड—सुइया बेला (जौनपुर)			
		रु0	रु0	रु0
1	डीह असरफाबाद	4,200	..	..
2	अशोकपुर खुर्द	12,200	..	..
3	सुइयां कलां	57,764	..	..
4	मंगोली	4,800	1,200	4,800
5	कौडिया	3,000	750	3,000
6	शखवलिया	13,000	..	..
7	बुद्धपुर	27,820	..	..
8	कोहेडा	4,210	..	..
9	जडापलर	17,640	..	..
10	एवडा	15,900	..	..
	कुल योग	1,60,534	1,950	7,800
	विकास खण्ड शाहगंज (जौनपुर)			
1	मजडीहा	2,900	..	..
2	मानीकलां	11,000	2,750	11,000
3	इटौरी सीनिवपुर	11,040	2,760	2,760
4	बड़ा गांव	35,620	..	..
5	शाहपुर	28,300	3,200	9,240
6	लपरी	20,975	2,760	12,750
7	अरन्द	35,440	2,485	..
8	बड़सैना	7,870	..	..
9	छताई कलां	11,700	..	..
10	चमकमल्देपुर	15,085	..	..
11	पावा कमाल	22,400	..	..
12	असरफपरउतरहटा	33,955	..	..
13	कुडियारी	2,940	..	..
14	कापा	24,075	..	..
	कुल योग	2,63,600	13,955	35,750

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 139 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

प्रश्नोत्तर में उल्लिखित शिकायतों की सूची

1--स्पोर्टस कालेज, लखनऊ में सन्दर्भगत वर्ष (1981-84) में मेस के लिए खाद्यान्न सामग्री क्रय करने को क्या प्रक्रिया रही और क्या क्रय की कार्यवाही नियमानुसार की गयी।

2--क्या तत्कालिक प्रधानाचार्य श्री गिरीश चन्द्र पाठक, कार्यालय अधीक्षक श्री जाहिद हुसैन एवं लेखाकार श्री शम्भू लाल ने कालेज मेस में खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित अनेक टेंडरों को नष्ट करके भूतपूर्व ठेकेदार श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता के पुत्र श्री रमा शंकर गुप्ता से साजिश करके अवैध रूप से तीन वर्ष अवधि के लिए ठेका दिया गया।

3--क्या अनुबन्ध पत्र के रूप में प्रयोग किया गया रु0 5 का जनरल स्टैम्प श्री जाहिद हुसैन के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रय किया गया था। क्या ठेके की एक वर्ष की अवधि वर्ष 1982 में समाप्त होने के उपरान्त "1982" को मिटाकर उस पर 1984 अंकित कराया गया।

4--क्या टेंडर के नियम एवं शर्तों पर श्री रमा शंकर गुप्ता ठेकेदार के हस्ताक्षर दिनांक 28-5-81 ठीक हैं और अनुबन्ध पत्र पर ठेकेदार के हस्ताक्षर जाली हैं जिस पर कार्यालय अधीक्षक एवं लेखाकार ने गवाहों के हस्ताक्षर बनाए हैं।

5--ठेके के तीन वर्ष की अवधि में कालेज में ठेकेदार से कितनी धनराशि की खाद्यान्न सामग्री क्रय की और क्या क्रय की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत थी।

6--क्या कालेज भवनों की पुताई एवं मरम्मत से सम्बन्धित फर्जी नाम से ठेका श्री छोटे लाल गुप्ता, लाल कुआं, लखनऊ को दिया गया और वास्तविक कार्य श्री रमा शंकर गुप्ता एव उनके पिता श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता से कराया गया।

7--क्या कालेज के वित्तीय मामले ऐसे कर्मचारियों द्वारा निपटाए जा रहे हैं जिनकी सत्य-निष्ठा संदिग्ध है और क्या गम्भीर भ्रष्टाचार के कारण कार्यालय अधीक्षक का पद वर्ष 1984 में समाप्त करके वित्त एवं लेखाधिकारी के नियुक्ति के आदेश दिए गये।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0 141 का उत्तर पीछे पृष्ठ 76 पर)

प्रश्न में उल्लिखित प्रधानाचार्य स्पोर्ट्स कालेज को सम्बोधित शिकायती-पत्र में अंकित शिकायतों की सूची

1—खेल अध्यापकों द्वारा प्रधानाचार्य, स्पोर्टस कालेज, लखनऊ के विरुद्ध कार्य दिवसों की जानकारी न देने के सम्बन्ध में दोषारोपण।

2—कार्य दिवसों के अतिरिक्त कालेज मेस में भोजन ग्रहण करने की सुविधा न उपलब्ध कराने का दोषारोपण।

(3) प्रधानाचार्य को भोजन क्षति की पूर्ण जानकारी न होना।

4—मेस भोजन की क्षति हेतु कालेज के प्रशासनिक खण्ड तथा शिक्षकों की मेस के प्रभारी द्वारा बस कोमती पकवान सामग्री की आपूर्ति हेतु दोषी ठहराना।

5—प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में उनके परिवार के सभी सदस्य तथा कालेज के नौकरों का मेस में भोजन करन सम्बन्धी दोषारोपण।

6—प्रधानाचार्य के रिश्तेदारों अधिकारीगणों एवं मित्रगणों को अनियमित ढंग से कालेज मेस से खाद्य पदार्थ का सेवन कराया जाना।

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0 144 का उत्तर पीछे पृष्ठ 77 पर)

सूची

क्रय केन्द्र का नाम	ठेकेदार का नाम	लदाई सहित गन्ना ढुलाई को 100 कु0 की दर
1	2	3
1 विरसिंहपुर	श्री के0के0 सिंह, पूर्ण सत्र कार्य किया।	425
2—बझना	श्री रामानुज मिश्र, पूर्ण सत्र कार्य किया	308
3—जयसिंहपुर	श्री बोरेन्द्र प्रताप शुक्ल, पूर्ण सत्र कार्य किया	325
4—मुडिलाडोह	श्री बोरेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व सत्र कार्य किया	448
5—करौदीकलां	श्री बोरेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्ण सत्र कार्य किया	478
6—घनपतगंज	श्री दान बहादुर सिंह, पूर्ण सत्र कार्य किया	425
7—सूरापुर	श्री सन्तोष कुमार सिंह, पूर्ण सत्र कार्य किया	413
8—लम्मुआ	श्री मो0 शमीम हाशमी, पूर्ण सत्र कार्य किया	400
9—बल्दीराय	श्री बिनय कुमार सिंह, पूर्ण सत्र कार्य किया	480
10—परस्पटटी	श्री योगेन्द्र सिंह, पूर्ण सत्र कार्य किया	320
11—हालापुर	श्री विजयपाल सिंह, पूर्ण सत्र कार्य किया	423
12—केदार नगर	श्री विजयपाल सिंह, पूर्ण सत्र कार्य किया	720
13—जाफरगंज	श्री विनय कुमार पाण्डेय ,पूर्ण सत्र कार्य किया	645
14—कटेहरी	श्री किशन लाल, पूर्ण सत्र कार्य किया	635
15—रगडगंज	श्री किशन लाल, पूर्ण सत्र कार्य किया	700
16—अकबरपुर	श्री मुन्ना सिंह, पूर्ण सत्र कार्य किया	539
17—पटना	श्री मनजोत सिंह, पूर्ण सत्र कार्य किया	300
18—रानीगंज	..	..
19—अखण्डनगर	(अ) श्री शबीबुल हसन, प्रारम्भ से 18-12-86 तक ।	451
	(ब) श्री दान बहादुर सिंह, 19-12-86 से अन्त तक ।	500
20—चांदा	(1) श्री राधेश्याम सिंह आरम्भ से 18-12-86 तक ।	411
	(2) श्री उदय प्रताप सिंह 23-12-86 से 22-2-87 तक ।	485
21—ढकवा	(1) श्री हरेन्द्र सिंह , आरम्भ से 20-2-87 तक ।	525
	(2) चीनी मिल द्वारा 21-3-87 तक ।	
22—शम्भूगंज	(1) श्री राधेश्याम सिंह, आरम्भ से 15-12-86 तक ।	331
	(2) श्री मु0 शमीम मिस्त्री, 16-12-86 से 12-2-87 तक ।	

1	2	3
23—दुर्गापुर	(1) श्री राधेश्याम सिंह, प्रारम्भ से 15-12-86 तक ।	321
	(2) राम सुन्दर, 6-1-87	400
	(3) चीनी मिल द्वारा 17-2-87 से अन्त तक ।	
24—दोस्तपुर	(1) श्री मतीन खां, 13-12-86 से 8-2-87 तक ।	431
	(2) श्री बाल गंगाधर त्रिपाठी, 26-2-87 अन्त तक ।	540
25—गोसाईगंज	(1) श्री एम0 पी0 सिंह, 5-12-86 से 25-12-86 तक ।	655
	(2) श्री गुरु बक्स सिंह बख्शी, 26-12-86 से अन्त तक ।	655
26—जार्मो	(1) श्री प्रेम प्रकाश यादव, 24-12-86 से ।	611
	(2) चीनी मिल द्वारा 28-1-87 से अन्त तक	
27—गौरीगंज	(1) श्री प्रेम प्रकाश यादव	590
	(2) चीनी मिल, प्रारम्भ से अन्त तक ।	
28—अलीगंज	(1) श्री प्रेम प्रकाश यादव, 10-1-87 से 30-1-87 तक ।	455
	(2) चीनी मिल द्वारा, 10-2-87 से अन्त तक ।	
29—मेटुआ	चीनी मिल द्वारा	
30—सराय मेहदी	(1) श्री मनजीत सिंह, 6-12-86 से 1-1-87 तक ।	587
	(2) श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, 2-1-87 से अन्त तक ।	539

पी0एस0यू0पी0—एस0 120 विधान सभा (217)—1987—813।